खण्ड-273, अंक-6
शनिवार, 17 आषाढ़, शक संवत् 1889
(8 जुलाई, 1967 ई0)

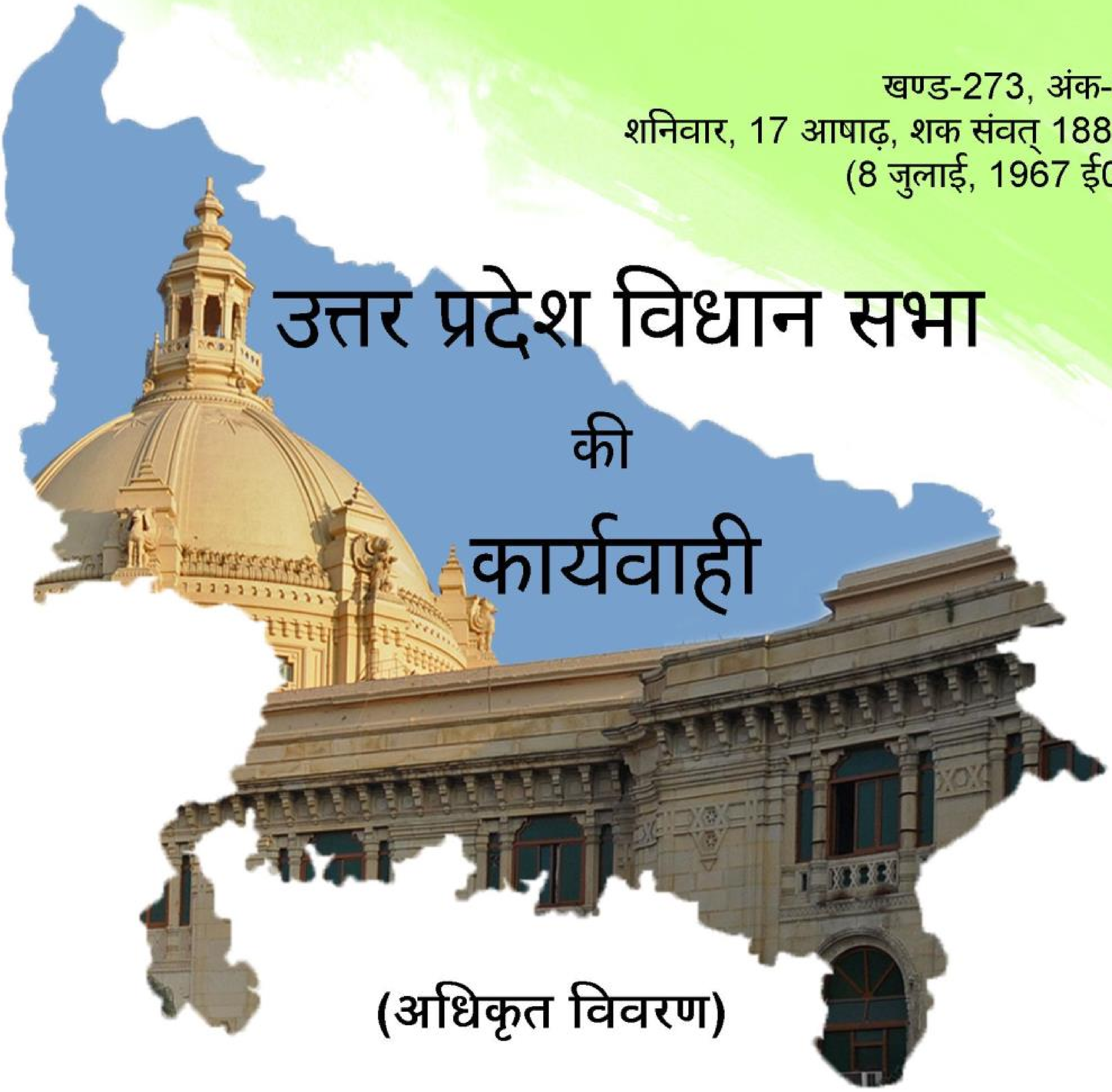

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ८ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—३८७

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीज प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उ दत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छ्न्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री

गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगा भक्त सिंह, श्री
गंगा राम, श्री
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरी शंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरी, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
जंग बहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जुगल किशोर, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रपन सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाल सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पाती राम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)

विधान सभा प्रदेश

ब्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदस सिंह, श्री
बदल राम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचन राम, श्री (मिर्जापुर)
बेचन राम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखा लाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुल्की राज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री

रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राज बहादुर, श्री (सीतापुर)
राज बहादुर चन्द, श्री
राज बहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चन्द्र सिंह, श्री
राम चरन दोहरे, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
राम दुलार पटेल, श्री
राम दुलारे, श्री (गोंडा)
राम दुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
राम नाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री (आगरा)
राम प्रसाद, श्री (गढ़वाल)
राम प्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबाबू मिश्र, श्री
राममूर्ति श्री
रामर्मूति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सरन सिंह, श्री
राम सिंह, श्री
राम सुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
राम स्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रूपनाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती

शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीश चन्द्र सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—उद्योगमंत्री श्री प्रभुनारायण सिंह तथा परिवहन मंत्री श्री मानसिंह वर्मा भी उपस्थित थे।

## उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २७ जून, १९६७ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ७ जुलाई, १९६७ को वापस प्राप्त हो गया है।

## मिर्जापुर में भूख से हुई मृत्युओं को राजस्व उपमंत्री द्वारा स्वीकार न किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना माननीय अवधनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' द्वारा आई है, जिसमें उन्होंने कहा है "विगत तथा वर्तमान सरकारों द्वारा अभी तक २ भूख से मृत्युओं की परिभाषा तक न करके, केवल सदन में यह घोषणा करना कि मिर्जापुर में

[श्री अध्यक्ष]

भूख से मृत्य नहीं हुई है, तथा अन्यत्र मंत्री परिषदों के सदस्यों द्वारा भूख से मृत्युयें स्वीकार कर सदन का अवमान किया गया है। कल दिनांक ७ जुलाई, १९६७ को उप-राजस्व मंत्री का यह वक्तव्य कि मिर्जापुर में भूख से मौतें नहीं हुई, पुनः सदन का अवमान किया गया है। अस्तु संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में सरकार समग्र दायित्व का निर्वहन प्राकृतिक मृत्यु और भूख से मृत्यु को परिभाषित करके करे तथा अनिश्चित एवं निराधार आख्याओं को चरमचिति देकर अविलम्ब घोषित करे कि सीमा-समेकित आधानों पर मृत्युओं की जांच होगी।"

मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। इससे कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है। मैं बार-बार सदन में कह चुका हूं कि अगर कोई माननीय मंत्री या सदस्य कोई बात कहें और कोई माननीय सदस्य उसके विपरीत राय रखते हों तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं हो सकता।

## कतिपय विषय

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा आजमगढ़ के बारे में है। वहां वर्षा हो गई है और डी० एम० ने ३२,००० क्विंटल अर्ली पैडी और ३५,००० क्विंटल लेट पैडी मांगी थी।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया करें कि जो कार्य-सूची का क्रम है उसके अनुसार ही आप बात करें तो अच्छा हो। इस समय विशेषाधिकार में ले रहा हूं। अगर आपने ५१,५२ की कोई बात भेजी है तो उसका जब समय आयेगा तब ली जायगी।

## १९६७—६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

## अनुदान संख्या २४—सहकारिता

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री से) आप बैठकर बोल सकते हैं, अस्वस्थ हैं, इसलिये।

*सहकारिता मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०५,००,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, पिछली सरकार के काल में सहकारिता विभाग की जो स्थिति बनी है उसे देखकर आज हृदय को कष्ट पहुंचता है। आज सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण और जनहितकारी आन्दोलन के पक्ष में कुछ कहने में मुझे संकोच अनुभव हो रहा है। इस संकोच का कारण यह नहीं है कि सहकारिता आन्दोलन उपयोगी नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि आज अपने प्रदेश की गरीब जनता को ऊपर उठाने के लिये इस से बड़ा दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश की जनता गरीब है। उसके पास पूंजी का अभाव है। बड़े काम करने के लिये उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह अपने आर्थिक विकास के लिये कुछ कर सके। ऐसी स्थिति में, पूंजी के अभाव में, अगर कोई माध्यम है जिससे यहां की गरीब जनता योजनायें चलाकर अपनी पूंजी जुटाकर अपने को ऊपर उठा सकती है तो उसका साधन पारस्परिक सहयोग ही है। सहकारिता के आधार पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह अपनी छोटी पूंजी को एकत्रित करके उसके द्वारा ऐसे कार्य करें जिन से उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। दूसरी ओर सरकार भी जनता के साथ सहयोग करते हुये और गरीब जनता को उठाने के लिये योजनायें चला सकती है, जिनके द्वारा गरीब जनता का उत्थान हो सकता है। आज तो जितनी भी समस्यायें हैं, जैसे महंगाई है, पैदावार को बढ़ाना है, इन सब पर सहकारिता के आधार पर योगदान किया जा सकता है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सहकारिता मंत्री पर उनके दल को विश्वास है ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

सहकारिता का अपना एक महत्व है परन्तु आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहकारिता का जो रूप आज बनाया हुआ है उसके कारण जनता की आस्था इससे उठती जा रही है। इसका कारण यह है कि स्थानीय लोगों द्वारा जो कार्य सहकारिता के चलाये जा रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। जनता को जितना सहकारिता का लाभ होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। मैं तो कहूंगा माननीय नेता विरोधी दल क शब्दों में, यह विभाग आज कुछ पेशेवर लोगों के हाथों में पड़ गया है। वह स्थिति आज स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सहकारिता आन्दोलन की शीर्षक संस्थाओं में मैंने प्रत्यक्ष इस बात की जानकारी की है कि कितने ही संचालक इनके हैं जो बराबर रहते आये हैं और इस कारण नये लोगों को उनमें योगदान देने का अवसर ही नहीं मिलता है। वे पुराने चीजों को लेकर अपने ही ढंग से उसे चलाने का प्रयत्न करते हैं। इतना ही नहीं, आम जनता को जो इससे लाभ पहुंचने चाहिये वे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं। जो थोड़े से चालाक और बड़े लोग हैं वे ही सारा लाभ उठा रहे हैं। बैंक से ऋण के जाली दस्तखत बनाकर, दूसरों का अंगूठा लगाकर, उसे वसूल कर लिया जाता है और साल डेढ साल बाद उसकी उगाही का समय आता है तो परेशानी होती है। मेरे पास कितने ही उदाहरण ऐसे आये हैं। सुपरवाइजर और सरपंच जो ऋण बांटने का काम करते हैं वे लोगों से बिना मिले, जाली दस्तखत बनाकर, उसके पीछे सारी बातें चलती हैं। मैं स्पष्ट रूप से इसलिये कहता हूं कि आज माननीय सदस्यों के सामने इस प्रकार की चीज आ रही है। आज चाहे कोई किसी पक्ष का बैठने वाला हो, वह इस बात को स्वीकार करेगा कि सहकारिता विभाग से जो लाभ लोगों को मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल रहा है। ऐसा भी देखने में आया है कि समिति बनी ही नहीं, और अन्य लोगों के नाम से ऋण ले लिया गया और उसका उपयोग कर लिया गया तथा उनका अभी तक पता ही नहीं है। लोगों ने ऋण लिया है, उनका अंगूठा और दस्तखत मौजूद हैं लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार की स्थिति चारों ओर दिखाई पड़ रही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों द्वारा उसमें गोलमाल भी दिखाई पड़ती है। मैं इस थोड़े से काल में कई स्थानों पर गया और इस प्रकार की गड़बड़ियां मिलीं। बाराबंकी के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वहां पर डी० सी० डी० एफ० में कुछ गड़बड़ी है। जो आपत्तियां उनके बारे में उनको लिखी गयी थीं, उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने वहां के ए० आर० को जांच करने के आदेश दिये और वहां स्वयं भी जाकर देखा तो लाखों रुपये की गड़बड़ी मालूम हुई। ६३–६४ और ६४–६५ की आडिट रिपोर्ट में जो आपत्तियां थीं उनका निर करण नहीं किया गया था। वे केसेज अब पुलिस को दे दिये गये हैं। करीब ३०–४० हजार रुपये के गबन का मामला पुलिस के हवाले किया गया है।

मैं फैजाबाद भी गया। वहां भी ऐसा ही दिखाई पड़ा। मुझे सूचना मिली कि लगभग २७ हजार रुपये के गबन है। उसके बारे में सीनियर आडिट इंसपेक्टर से बातें करके मैंने आडिट और इंक्वायरी करने की आज्ञा दी। साथ में कोई विलम्ब न हो, मैं भी गया। वहां पर मैनेजिंग बोर्ड की अनियमिततायें थीं। २५ हजार में से १४ हजार रुपया नेहरू मेमोरियल मांटेसरी स्कूल के नाम से अलग कर दिया गया था, बाद में इसको लोन कर दिया गया। लोन करने में कुछ अनिय-

[श्री गंग भक्त सिंह]

मितायें थीं। जिला सहकारिता बैंक, रुदौली, बाराबंकी जिले में पड़ता है। शमशेर बहादुर के नाम से १४ हजार रुपया लिखा गया है। जब इसकी और जांच करायी तो पहले तो यह पता लगा कि इस नाम का कोई स्कूल ही नहीं है। बात को पता चला कि इस नाम का एक छोटा सा स्कूल है जिसमें एक मुस्लिम महिला पढ़ाती हैं तथा नेशनल हाईस्कूल का श्री शमशेर बहादुर से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के जो स्थानीय एम० एल० ए०, श्री त्रिपाठी जी हैं, वे भी मुझे वहां मिले। उन्होंने स्वयं मुझे लिख कर दिया कि शमशेर बहादुर सिंह का मान्टेसरी स्कूल से कोई संबंध नहीं है और उसका संचालक स्वयं अपने को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इस प्रकार के ३–४ स्कूल चलाये थे, रुदौली के आसपास। उनमें से कुछ चल पाये और कुछ नहीं चल पाये। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार का कोई धन उनको प्राप्त नहीं हुआ।

इसके बाद बाराबंकी गया। वहां पर भी गड़बड़ियां पायी गयीं। १० हजार रुपया जीप के नाम से बैंक से निकाला गया। लेकिन जीप पता नहीं कई मास के बाद खरीदी गई, लाखों का कर्ज बैंक पर है, चार मास पहले ही पैसा निकाल लिया गया और बाद में केश हुआ है, जांच हो रही है, मामला पुलिस के हवाले किया गया है। उसमें यह दस हजार की अनियमितता तो थी ही। जहां भी मैं गया, बरेली गया तो वहां दुग्ध सहकारी संघ को देखा। वहां मैंने डी०आर० से कहा कि यहां भी आप जरा स्टाक और बिक्री के पैसे का चेकिंग कर के देखें। उन्होंने स्टाक बुक देखी तो उसमें भी गड़बड़ थी और बिक्री का पैसा भी कम निकला और उसके फलस्वरूप वहां के २ कर्मचारियों को फौरन पुलिस के हवाले किया गया। इस तरह से हर तरफ एक विशेष स्थिति बनी हुई है और इसके कारण चारों ओर अनास्था पैदा होना स्वाभाविक है। सभी जगह ऐसे केसेज मिलते हैं। आम जनता में जैसा स्तर होना चाहिये उस का तो अभाव कह सकते हैं लेकिन और भी दोष हैं जिनके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है।

मैं आपके सामने और भी ब्योरा रखना चाहता हूं कि स्थिति कितनी खराब रही है वह रखना चाहता हूं। जितनी सहकारी संस्थायें हैं उनके संबंध में मैंने पता चलाने की कोशिश की और कितने ही गबन के मामले सामने आये हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां १५७३ ऐसे मामले थे जो गबन के पकड़े गये और उनमें कार्यवाही के लिये आदेश दिये गये। जिला सहकारी बैंकों में १२ मामले पकड़े गये और ३,५१,९४८ रु० का गबन हुआ, जिला सहकारी संघ में २५ मामले पकड़े गये और ९,४२,४६५ रु० का गबन हुआ, थोक सहकारी उपभोक्ता भंडार में ८ मामले पकड़े गये और १,०४,८०९ का गबन हुआ, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार में १२ मामले पकड़े गये और १,८२,५३९ का गबन हुआ, सहकारी बीज भंडार में ९९ मामले पकड़े गये जिसमें २,९०,१३४ का गबन हुआ, क्षेत्रीय विकास संघ में २५२ केस पकड़े गये और १३,६०,८६१ का गबन हुआ, क्षेत्रीय सहकारी समिति में ९८ मामले पकड़े गये, ५,२३,००९ का गबन हुआ, सहकारी क्रय विक्रय समितियों में २० मामले पकड़े गये और १२,०६९ का गबन हुआ, सघन सहकारी समिति के २१० मामले पकड़े गये और ११,८०,२७० का गबन हुआ, कृषि समितियों में १२ मामले पकड़े गये ५८,१०५ का गबन हुआ। अन्य सहकारी समितियों के ८२४ मामले पकड़े गये और २७,३५,४६७ का गबन पकड़ा गया। यह एक ऐसा चित्र है जिससे पता चलता है कि बहुत अधिक संस्थायें इस तरह की अनियमितताओं और गड़बड़ियों से भरी पड़ी हैं। यह स्थिति है कि जिस पर कार्यवाही हो रही है। मैं आप को बता दूं कि सहकारिता के कार्यक्षेत्र में ६,७४० गबन के मामले सामने आये हैं जिन को सपरीक्षण विभाग ने निकाला है और जिन पर कार्यवाही होने जा रही है। इन आपत्तियों को देखते हुये कुल १ करोड़ ३३ लाख का गबन हुआ है ऐसे आंकड़े हैं। चारों ओर इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। जिला सहकारी बैंक ने जब से काम सम्हाला है उनकी बड़ी लम्बी सूची है जिसमें तरह तरह की अनियमिततायें और गड़बड़ियां हैं। वहां की स्थिति देखकर जिस तरह से बैंकों ने ओवर ड्राफ्ट दिया है, ४० हजार रुपया तो कर्मचारियों को ओवर ड्राफ्ट कर दिया गया है, कानपुर बैंक में बाहर के लोगों को जिनका बैंक से कोई संबंध नहीं, डेढ़ लाख का ओवरड्राफ्ट कर दिया गया, ४० हजार के बोगस चेक बनाये गये,

७५ हजार रुपया बाहर की एक कम्पनी को दे दिया गया। इस तरह की तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं। फर्जी एन्ट्रीज उनमें पायी गयी हैं। बकाया बढ़ता जा रहा है। प्रबन्ध में तरह तरह की गड़बड़ियां हैं। रिजर्व बैंक ने ऋण देना बन्द कर दिया है। हिसाब ठीक नहीं रहता है। संपरीक्षण की आपत्तियों को दूर नहीं किया गया है। मैं नहीं समझ पाया कि पिछले सालों के अन्दर इस विभाग के अन्दर शासन का कितना नियंत्रण रहा। यह माना कि नियंत्रण हमारे कुछ कर्मचारियों का रहता है लेकिन शासन का भी कुछ फर्ज होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी बिल्कुल उपेक्षा रही है।

दूसरे जो प्रादेशिक सहकारी संघ की स्थिति है वह अत्यन्त ही आश्चर्यजनक है। इसमें इस कदर अनियमिततायें हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं तो माननीय भूतपूर्व सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर लखनऊ के अन्दर और सरकार की नाक के नीचे जो एक संस्था है, उसके अन्दर इतनी अनियमिततायें हैं कि जिन्हें सुनकर आप चकित हो जायेंगे।

इस सहकारी संघ ने मास्टर सीट ड्रिल्स के क्रय के संबंध में एक ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी की फर्जी रसीदों पर ४५ हजार रुपये का भुगतान कर दिया और इस मामले को १० महीने के बाद पुलिस को दिया गया।

इसके अलावा, अभिनन्दन ग्रन्थ श्री फतेहचन्द्र राणा के लिये तथा अन्य संचालकों को बहुमूल्य भेटों और कमेटियों की अनावश्यक तथा सारहीन बैठकों और गोष्ठियों पर ३७ हजार ६ सौ २२ रुपये का व्यय किया गया।

यनमार पावर टिलटों में ७ लाख रुपयों का विनियोजन जिसमें ६ लाख रुपये की क्षति की आशंका है क्योंकि इस माल की कोई मांग नहीं है।

रेडियो, टाइपराइटर, तथा कपड़ा सेक्शनों की पुरानी बकाया धनराशियां जिनके वसूल होने की आशा नहीं है, यह राशि ४ लाख १८ हजार ७,७७० रुपये है।

इस संघ द्वारा बिना रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त किये ही ३ लाख ७० हजार ६ सौ ४८ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया। रजिस्ट्रार की कोई अनुमति नहीं ली गयी।

संचालक मंडल की अनुमित के बिना ही रोजेन फैक्ट्री हल्द्वानी के भवन के निर्माण पर दूसरे की भूमि पर ३० हजार ९ सौ ७१ रुपया व्यय कर दिया।

इस प्रकार की स्थिति इस सहकारी संघ की है। हमारे यहां पर प्रादेशिक स्तर पर जो ऋण देने के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक है उसमें तरह तरह की अनियमिततायें भी सामने आयी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें ओवर ड्राफ्ट नहीं होना चाहिये। जो नियम बने हुये हैं, उनके अनुसार ऋण देना चाहिये लेकिन अनियमित रूप से ६७,१५१ रुपया का ओवरड्राफ्ट कर दिया गया। उसमें कुछ भिन्न भिन्न कर्मचारी भी हैं। कुछ हमारे यहां के जो भूतपूर्व सहकारिता मंत्री हैं, उनके द्वारा भी हुआ है। अगर ऊपर के लेविल पर ऐसी बातें होती हैं तो नीचे के स्तर पर भी उसी प्रकार की बातें होती हैं। इस विभाग के जो सर्वे सर्वा थे उन्होंने भी इसी प्रकार के ओवर ड्राफ्ट दिया। एक दिन हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने १०० रुपये जमा किया और उसके पहले दूसरे सहकारिता मंत्री ने ४ हजार का ओवर ड्राफ्ट लिया। सहकारिता मंत्री ने भी अपने पद का दुरुपयोग करके ११ हजार से अधिक का ओवरड्राफ्ट नियम विरुद्ध कराया।

इसके अतिरिक्त बिना निबन्धक की पूर्व आज्ञा प्राप्त किये ४४,३८८ रुपये बट्टे खाते में डाल दिये।

भवन निर्माण हेतु ११२ व्यक्तियों को बिना उचित अधिकारियों की स्वीकृति के ७,५०,७७० रुपये का ऋण दे दिया गया। इसके अतिरिक्त बिना भूमि बन्धक किये भवन निर्माण हेतु २७९ व्यक्तियों को १७,८९,००० रुपये का ऋण दिया गया। इसके अलावा जो रुपया भवन निर्माण के लिये दिया गया उसमें से १ करोड़, ३६ लाख, ९८ हजार रुपया अभी तक बकाया पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ? मैं समय पर नियंत्रण की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं ।

श्री गंगाभक्त सिंह—

कमसे कम आधा घंटा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिये कुछ आत्म नियंत्रण करके समय में कमी कर दें ।

श्री गंगाभक्त सिंह—

ठीक है । यह कहा गया कि नये मंत्री महोदय छापा मारते हैं । मैं कहूंगा कि अगर इस के पहले के भूतपूर्व मंत्री सहकारिता ने जनता के हितों की रक्षा के लिये सक्रियता दिखायी होती तो कदापि इस प्रकार की स्थिति सामने न आती । म तो कहूंगा कि सहकारिता विभाग के पदों का भी दुरुपयोग हुआ है, उनका प्रभाव डाला गया और उनके कारण भी तरह तरह की बातें सामने आयीं । इतना ही नहीं भूतपूर्व सहकारिता मंत्री के रिश्तेदारों को प्रादेशिक सहकारी संघ के अन्दर ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा गया है, उन्हें सब प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं, और परिणाम यह हुआ कि सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार रखे गये, किसी ने रखे हों, इस पर आपत्ति होनी चाहिये थी क्योंकि नियमावली में लिखा हुआ है कि जो भी संचालक मंडल में है या अन्य विभाग के लोग हैं वे नहीं रखेंगे । लेकिन वे आपत्तियां नहीं हुईं । जिसका परिणाम यह निकला कि वहां पर सहकारी संघ के अन्दर और अन्य वहां के जो संचालक हैं उन के भी कितने ही रिश्तेदार रखे गये । कोई रोक नहीं लगायी गयी । और भी तरह-तरह से जो पद की गरिमा थी उस का दुरुपयोग करके लाभ उठाया गया । मेरे सामने जो जानकारी आयी है यहां पर उससे स्पष्ट है कि भूतपूर्व सहकारिता मंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल कर के उनके लड़के श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, जो डिवीजनल मैनेजर, यूनियन कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी के हैं, उन्होंने दबाव डलवा कर सहकारी समितियों से लाखों रुपये का व्यवसाय किया इंश्योरेंस कम्पनी का । और मैं तो यह कहूंगा कि आपत्ति की बात यह है कि विभाग से भी इस प्रकार का कोई पत्र भिजवाया गया जिसमें पूरा पूरा आदेश तो नहीं था, लेकिन इस प्रकार का संकेत निश्चित था जिससे प्रकट होता है कि इनको व्यवसाय मिलना चाहिये और उसी का परिणाम हुआ कि १९६५–६६ में जो यहां के कुछ ऐपेक्स इंस्टीट्यूशन्स हैं उन संस्थाओं के अन्दर जो इंश्योरेंस का बिजनेस हुआ है उसमें कुल १,४२,००० रु० का हुआ जिसमें से १,३४,००० रु० का बिजनेस इस कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी को दिया गया । केवल नाममात्र का १, २ अन्य इंश्योरेंस कम्पनीज को बिजनेस दिया गया ।

मेरा आशय किसी को बदनाम करने का नहीं है । लेकिन एक बात कही गयी, हमारे माननीय भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने इस बात की घोषणा की कि जो हमारे प्रदेश के अन्दर श्री सी० बी० गुप्ता हैं उनका मैं अदार करता हूं, उनके नाम को लेकर एक जन्म दिवस समारोह मनाया गया । उसके लिये कहा गया कि सहकारिता दिवस का कोई उपयोग नहीं किया । फतेहपुर से शिकायत आयी थी, जांच की गयी, और मंत्री ने आदेश दिया । पता यह चल रहा है कि कहीं ऐसी कोई घटनायें नहीं हुईं । स्पष्ट रूप से चारों तरफ घोषणाएं होने के बाद यह बात निश्चित रूप से सामने आयी कि हजारों रुपये सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों के द्वारा लिया गया । वैसे तो ९,७०४ रु० तो सीधे समितियों के नाम से लिये गये । और उस के बाद १,७०० रु० और है जो समितियों से ही, ऐसा लगता है जैसे वहां के जमा करने वाले उन समितियों से संबंधित हैं, उन के नाम के सामने समिति लिखी है । लेकिन १,७०० रु० वहां पर जमा है । इसमें और लाखों रुपये भिन्न-भिन्न नामों से आया है, इन बैंकों के द्वारा आया है, कहीं किसान संघ के नाम से जमा हुआ । लेकिन वह सहकारी बैंकों के प्रभाव में वहां की समितियों द्वारा निश्चित रूप से दबाव डलवा कर किया गया है । यह कहने में मुझे संकोच नहीं है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जालौन

जिले में तीन सहकारी समितियों से कैथवा साधन समिति, दीन साधन समिति, राजपुरा साधन समिति से ४०० रुपये प्राप्त हुये १००, १०० और २०० रुपये क्रमशः। गोंडा जिले में मथुरा बाजार क्षेत्रीय समिति से २०० रुपये प्राप्त हुये। गाजीपुर जिले की अमरघाट साधन समिति, बरेजी साधन समिति, अलना प्रारम्भिक समिति, अरंगी साधन समिति तथा रकसाहा साधन समिति से ४५ रुपये प्राप्त हुये। लखीमपुर खेरी जिले में कसमोरी सहकारिता साधन समिति से १० रुपये प्राप्त हुये। मिर्जापुर जिले में दुद्धी सहकारी संघ, दुद्धी से २,५०० रुपये प्राप्त हुये। बदायूं जिले में परौलिया साधन समिति, बैर कसीमाबाद साधन समिति, कसरा अब्दुल्ला नगर साधन समिति, सदत्तनगर ढे कनगला, समिति, इसलामनगर मरवा प्राइमरी समिति, अलीपुर प्रायमरी समिति आदि से ७५ रुपये प्राप्त हुये, ५, १० रुपये करके। अलीगढ़ जिले की क्षेत्रीय सहकारी समिति सिकन्दरा राव से २,००० रुपये प्राप्त हुये। फैजाबाद जिले में एम० डी० फंड एकाउंट से २,९१९ रुपये प्राप्त हुये। बुलन्दशहर जिले में सिकन्दराबाद तथा जेवर की समितियों से १,५५५ रुपये प्राप्त हुये। यहीं पर रामजीलाल, राजपाल सिंह, सूरनवीरो सिंह और मनीराम वगैरह से १,७०० रुपये प्राप्त हुये। इस तरह से कुल मिला कर ११,४०४ रुपये इन समितियों से प्राप्त हुये। इतना स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि इन समितियों ने अपनी समिति के नाम से यह रुपया जमा किया है। अगर व्यक्तिगत रुपया होता तो उनका नाम होना चाहिये था। इस प्रकार से सहकारिता विभाग के अन्दर एक क्षुद्रता का भाव रखकर कार्य किया गया और शासन को जागरुकता का भाव रख कर जिन चीजों से बचना चाहिये था उनसे नहीं बचा गया। चारों तरफ इस तरह की स्थिति पैदा करने में यह गबन मिला है और किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। यह बात आगे आयेगी कि कितने ही केसेज थी जानकारी यहां संपरीक्षण विभाग ने दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इतना ही नहीं भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने सहकारी टेक्सटाइल मिल, बुलन्दशहर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, श्री भगत लाल को इसका मंत्री बना दिया जिन्होंने वहां लाखों रुपयों की गड़बड़ी की है। इस टेक्सटाइल मिल की अब तक बनी हुई इमारत में लगभग २५ लाख रुपया व्यय हुआ है जब कि वास्तविक लागत १७ या १८ लाख से ज्यादा नहीं आंकी जा रही है। कई कई गुने रेट लगाये गये हैं। तीन फर्मों असशियेटेड स्टील कान्सट्रक्शन, भारत कांस्ट्रक्शन कं० एलाइड कांस्ट्रक्शन कं० से लगभग ६ लाख रुपये का काम कराया गया परन्तु उनसे कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं लिया गया। इन फर्मों के अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता न कहीं कार्यालय हैं और न कहीं बैंकों में हिसाब है और न कोई उनका रजिस्ट्रेशन ही है। हजारों की संख्या में बीयरर चेक काटे गये हैं। इन फर्म्स को हजारों रुपये का अडवर पेमेन्ट भी किया गया। एलाइड कांस्ट्रक्शन कं० को ६,३८० रुपये का, भारत कांस्ट्रक्शन कं० को ३२०० रुपये का और सलीमुद्दीन ठेकेदार को १९,००० रुपये के अडवर पेमेन्ट किये गये। एक जूनियर स्कूल बनाया गया जिसके लिये २१ हजार की स्वीकृति दी गयी। लेकिन उसमें ७ हजार रुपये खर्च किये गये। इसके कुछ गेस्ट हाउस बनाये गये जिसमें ३० हजार रुपये का खर्च था परन्तु ६५ हजार रुपये खर्च किये गये। एक और मजे की बात सामने आयी। मैं तो अब तक नहीं समझ पाया कि बुलन्दशहर के अन्दर जहां यह टेक्सटाइल मिल बनी है वहां दो-दो, तीन-तीन मील के ऊपर ईंटों के भट्ठे हैं जहां से ईंटें ली जा सकती थीं। लेकिन वहां से ईंटें न लेकर वहां से ४५ मील की दूरी पर एक भट्ठा है उससे ईंटें ली गयीं और २५ रुपये प्रति हजार के हिसाब से २६ हजार रुपये ईंटों की ढुलाई के हिसाब दे दिये गये। इसका क्या कारण हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पता किया कि वहां पर नरौरा बांध बन रहा था और शायद दिल्ली से जो ट्रकें सामान लेकर लौटती थीं और फिर खाली जाती थीं उन्हें दस पांच रुपये हजार पर ही तय कर लिया गया अन्यथा वरना कौन कारण था कि बुलन्दशहर के अन्दर ही ६, ७ और ८ रुपये प्रति हजार के हिसाब से ईंटें न ढुला कर वहां से २५ रुपये हजार पर ढुलाई गयी। इससे तो यही लगता है कि शायद वह ढुलाई सस्ती होगी क्योंकि वहां से ट्रकें खाली लौटती थीं। दूसरी

[श्री गंग भक्त सिंह]

बात यह भी समझ में आती है कि वहां ढीला ईंटा भी बहुत काफी था जिसको नहर विभाग ने नहीं लिया था और वह पीला ईंटा वहां खपाया गया। अन्यथा कोई और बात समझ में नहीं आती।

इसी तरह और भी बहुत सी गड़बड़ियां वहां पर दिखायी पड़ती हैं। मैंने तो इस बात की कोशिश की कि इस प्रकार के कारनामे जहां कहीं नजर आयें उन पर जितनी जल्द से जल्द कार्यवाही हो सकती है वह की जाय। मुझे इस बात की आशा थी कि सहकारिता विभाग के अन्दर के भ्रष्टाचार को शायद हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री कोई समर्थन नहीं देंगे और उनका सहयोग हमें प्राप्त होगा और वह हमारी शाबासी करेंगे कि आपने कुछ तो निकाला। लेकिन उनका जो वक्तव्य हुआ उसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने धमकियां भी दीं कि अगर ऐसा होगा तो कुछ घटनायें होंगी और भी बहुत-सी निराधार बातें उन्होंने कहीं। सहयोग देना तो दूर रहा, उन्होंने तरह तरह की बातें कहीं और यह भी कहा कि संघ के लोगों को वहां पर किया गया। मैं नहीं समझता कि इसमें जनसंघ के लोगों को ले जाने की क्या आवश्यकता है। आखिर पुलिस विभाग है। पुलिस की सेवायें ली जा सकती हैं। इसके लिये किन्हीं कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता क्या है। आज जो स्थिति है उसमें चारों तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। आज मेरे सामने सब से बड़ा सवाल यही है कि सहकारिता विभाग को कैसे शुद्ध किया जाय और इसके लिये मैंने सब प्रकार की सतर्कता से काय प्रारम्भ कराया है और इसके आधार पर मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि इस स्थिति में सुधार होगा और निश्चय रूप से सुधार होगा। हो सकता है कि भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने हमारे इस काम को पसन्द न किया हो लेकिन जनता ने पसन्द किया है। जनता चाहती है कि इस प्रकार का जो गोलमाल हो उसको खोला जाय और उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय। आज मेरी तो यही कोशिश है कि जिस प्रकार से भी हो अपने विभाग की दक्षता और सतर्कता के आधार पर हम इन सारी चीजों को मिटा कर खुशहाली लायें।

जो स्थिति आज विभाग की है वह मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी। आज इसमें सब के सहयोग की आवश्यकता है कि इसको कैसे ठीक किया जाय। अगर किसी कारण से सहकारिता विभाग के प्रति लोगों की अनास्था पैदा हो, यदि सहकारिता का उपयोग आम जनता के लिये न हो सके तो फिर कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इसका सुधार किया जा सके, उनकी स्थिति संभाली जा सके। इसलिये इन परिस्थितियों में भी जो सहकारिता विभाग के कार्य का प्रसार हुआ है वह बहुत ही संक्षेप में सदन के सामने रखता हूं। हालांकि जैसी परिस्थिति है उसको हमको और आपको मिलकर सुधार होगा। लेकिन हमने कार्य को चारों तरफ फैलाया है और जनता की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न हुआ है। सहकारिता आंदोलन को ५ भागों में बांटा है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक ऋण देने की व्यवस्था है। अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा दिये जाते हैं। पिछले साल ४४ करोड़ ४८ लाख रुपया बांटा गया है। इसमें से ३ करोड़ ५७ लाख रुपया मध्यकालीन ऋण का है। इस तरह से हमने ऋण की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा दीर्घकालीन ऋण देने की भी व्यवस्था कर रखी है जिससे किसान अपनी खेती की उन्नति कर सकें तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था कर सके, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था में काफी लम्बी रकम खर्च होती है। इसके लिये ११ करोड़ ८९ लाख रुपया १९६२ से लेकर अब तक बांटा गया है। पिछले साल ५ करोड़ ९६ लाख ६८ हजार रुपया बांटा गया है। प्रदेश में जिला सहकारी बैंक ५४ हैं और भूमि विकास बैंक की १२७ शाखायें हैं।

दूसरी क्रय विक्रय एवं प्रक्रिया योजना है। इसमें क्रय-विक्रय समितियों की संख्या १९९ है। इनके द्वारा मंडियों में कार्य होता है। किसानों को बेचने की सुविधा दी जाती है। इन समितियों के द्वारा ३४० मंडियों में कार्य हुआ है। इनकी सदस्य संख्या ७ लाख ७७ हजार है। इन्होंने कारोबार १० करोड़ ८२ लाख रुपये का किया है। यह सब उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अन्तर्गत कार्य किया गया है। स्वयं प्रादेशिक सहकारी संघ ने १७ करोड़ ६० लाख रुपये का कारोबार किया है।

इसके साथ ही साथ ११० प्रक्रिया इकाइयां बनी हैं, जिनमें से ४९ ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिनके द्वारा खाँडसारी बनाने, धान कूटने, दाल बनाना, मूंगफली से छिलका निकालने, तेल निकालने तथा मसाला कूटने का कार्य होता है । इसके साथ ही प्रदेश में ७ शीत गृहों का निर्माण होना है । दो शीत गृह बन कर तैयार हो चुके हैं और उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है । इसके अतिरिक्त ६२ भंडार चलाये गये हैं, किसानों को सामान रखने की सुविधा देने के लिये ये भंडार हैं । इनमें ७२ लाख क्विंटल कृषि उपज रखी है ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में ४८ उपभोक्ता भंडारों की स्थापना हो चुकी है । पिछले ४ वर्षों में ६२३ प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियां सम्बद्ध हुई हैं । और १८८ शाखायें खोली गई हैं । कुल ८११ हैं । इनके द्वारा ८५ लाख ८८ हजार रुपया का प्रति मास का सामान बेचा गया है । प्रदेश में ९ (सुपर बाजार) नये बाजार खुलने हैं जिनमें से तीन लखनऊ, प्रयाग तथा देहरादून में चालू हो गये हैं । कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, बरेली तथा वाराणसी में बनाने की आयोजना है । इसके बाद १० विश्वविद्यालय और १०० कालेजों में भंडार खोलने की योजना है ।

सहकारी दुग्ध योजना के लिये प्रदेश में एक दुग्ध संघ स्थापित है जिसके अन्तर्गत २४ दुग्ध संघ कार्य कर रहे हैं । इनमें ९ दुग्ध संघों में आधुनिक यंत्रों द्वारा कार्य होता है । शेष स्थानों पर दूध इकट्ठा करके बांटते हैं । ग्राम स्तर पर १९०७ दुग्ध समितियां हैं ।

इसके अतिरिक्त एक सहकारी कृषि योजना है । इस समय प्रदेश में १३६० सहकारी कृषि समितियां पंजीकृत हैं जिनमें से २४४ कार्य नहीं कर रही हैं । इनके अन्तर्गत १,६३,००० एकड़ भूमि है । सदस्यों की संख्या २६,५०० है । हिस्से की पूंजी ४७,११,००० रुपये है ।

इसके अतिरिक्त एक बीज भंडार योजना है । प्रदेश में १४२८ बीज भंडार कार्य कर रहे हैं । उन्होंने ९,५१,००० क्विंटल बीज बांटा और १,५६,००० टन खाद बेचा तथा २२ हजार रुपये कृषि यंत्र और ३० टन कीट नाशक दवाइयां बांटी ।

इसके अतिरिक्त श्रम सहकारी समितियां हैं जो श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये गठित की गई हैं । इनकी संख्या २९० है और सदस्यता ४८३८ है । प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण का कार्य होता है । जिसके द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण होता है । इन में पंच, सरपंच, एकाउन्टेन्ट और मंत्रियों का प्रशिक्षण किया जाता है । १०६ केन्द्र जिलों में हैं । साथ ही सहकारी परिवेक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करते हैं ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, कोई लिखित पढ़ रहे हैं माननीय मंत्री जी । अगर लिखित वक्तव्य है तो हम लोगों को मिल जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जहां तक फीगर्स और आंकड़ों का सम्बन्ध है, उसमें लिखित का सहारा लेना होगा । लेकिन शायद माननीय मंत्री जी लिखित स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं ।

श्री गंगाभक्त सिंह—

इसमें आंकड़े ही तो हैं जो आपके सामने रख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह अपेक्षित भी है कि स्पीच न पढ़ें ।

श्री गंगाभक्त सिंह—

पिछली सरकार के समय में नवीन सहकारी कानून पास हो चुका है, उसको लागू करने की भी योजना है । उसके उपनियम बन जायेंगे तो वह लागू हो जायगा ।

जो सहकारी कार्यपद्धति है उसकी कुछ त्रुटियां सामने आयीं हैं । एक त्रुटि यह है कि किसानों में जो ऋण बांटा जाता है वह उत्पादन कार्य की दृष्टि से नहीं बांटा जाता है । एक ऋण को अदा करने के लिये दूसरा ऋण दे दिया जाता है । दूसरी बात यह है कि ऋण वसूली की व्यवस्था ठीक नहीं है । ऋण वसूली वास्तव में नहीं होती है । ट्रान्सफर इंट्रीज हो जाती है । ऋण की वसूली केवल कागज पर हो जाती है । इसके अतिरिक्त परिवेक्षकों की कार्यप्रणाली से भी कठिनाई पैदा हुई है । वह प्रादेशिक सहकारी यूनियन के कर्मचारी हैं । उसके द्वारा बैंकों और सहकारी समितियों के अन्दर वह काम करते हैं लेकिन उनके ऊपर सहकारी समितियों एवं बैंकों का नियंत्रण नहीं है । वह यूनियन के मातहत रहते हैं । सभी बैंकों और समितियों ने यह आग्रह किया कि यह उल्टी से बात हुई है, सुपरवाइजरों पर खर्च वे करती हैं लेकिन उनके ऊपर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है । रिजर्व बैंक ने भी आग्रह किया कि पर्यवेक्षकों को उन संस्थाओं के अधीन किया जाय । इस पर विचार करके सरकार ने निर्णय किया है कि इन पर्यवेक्षकों को उन संस्थाओं के नियन्त्रण में पूरी तरह से दिया जाय । यूनियन केवल नियुक्त करने और बरखास्त करने का ही कार्य करेगी । लेकिन बाद में जितना नियन्त्रण है वह संस्थायें करेंगी ।

एक त्रुटि और रही है । यहां पर जो सहकारिता विभाग में आडिट्स हुये हैं उन की आपत्तियों पर कार्यवाही नहीं हुई, यद्यपि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत ही आडिट विभाग था ।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा संक्षेप कर लें । आपको एक दफा बोलने का और अधिकार होगा ।

(श्री बनारसी दास के खड़े होने पर )

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कोई प्रश्न अगर सहकारिता मंत्री सुनना चाहें या जवाब देना चाहें तो वे सकते हैं । अगर वह जारी रखना चाहें तो मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

माननीय सहकारिता मंत्री ! आप जवाब देना चाहते हैं ?

श्री बनारसी दास (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मैं वैसे इस आक्षेप का जवाब दूंगा । मैं समझता हूं कि जिस तरह सहकारिता मंत्री बोल रहे हैं और जिस नीचे स्तर की बातें उस तरफ से कह रहे हैं (शोर) मैं सहकारिता मंत्री से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आडिट डिपार्टमेंट कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत था । क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि आडिट डिपार्टमेन्ट किस साल के अन्दर पृथक हुआ है, क्या आपने यह अध्ययन करने की कोशिश की है ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

अभी आपही का अध्ययन हो रहा है, यही काम काफी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सारे माननीय सदस्य एक साथ खड़े न हों । अपना अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, सिर्फ मैं समय के बारे में पूछना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री को श्रीमन्, कितना समय देना चाहते हैं । एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सहकारिता मंत्री को चाहे जितना समय दे दें, किन्तु मेरा निवेदन है कि उतना ही समय आप मेरे भी सदस्य को दीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब एक प्रश्न मेरे सामने आया है तो उस पर मुझे व्यवस्था देने दीजिये । लक्ष्मीरमण आचार्य जी, समय के बारे में कुछ ऐसी परम्परा रही है कि जब माननीय मंत्री कोई अनुदान प्रस्तुत करते हैं तो उनके लिये समय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है । किन्तु फिर भी २–३ बार मैं उन्हें टोंक चुका हूं । (मंत्री से) आज ४–५ घंटे के समय में १ घंटे से ऊपर आपको बोलते हो गया है अब आप समाप्त करने का प्रयत्न कीजिये ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

किसी के भाषण के बीच में प्रस्ताव नहीं होता है ।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

मंत्री जी को अपने विभाग के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है । वह विभाग की किताब देख देख कर उससे अपना भाषण पढ़ रहे हैं, जो उन्हें अफसरों ने बनाकर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप बैठ जाइये ।

श्री त्रिवेणी—

श्रीमन्, मेरी एक वैधानिक आपत्ति है । आज तक किसी अनुदान पर हाउस में किसी के द्वारा कोई किताब नहीं पढ़ी गई है । किन्तु सहकारिता मंत्री जी एक घंटे से अपनी किताब पढ़ रहे हैं । इसे आप देखें, यह मेरी आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें । इस तरह से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना ठीक नहीं है । एक इस तरह का प्रश्न उठ चुका था और मैं उस पर अपनी व्यवस्था दे चुका था । फिर उसके बाद भी व्यवस्था के नाम पर खड़े होना और एक ऐसी बात कहना जिस पर मैं अभी कह चुका हूं, ठीक नहीं है ।

श्री गंगा भक्त सिंह—

जिस किताब को पढ़ने का यह आरोप लगा रहे हैं, यह मेरी किताब नहीं है, यह तो आप ही की किताब है, इसे आप सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

इन त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से हमने कदम उठाये हैं । अल्पकालीन ऋण जो अब तक दिये जाते थे और जिनकी वसूली में विभाग को बहुत परेशानी होती थी, उसके लिये

[श्री गंगा भक्त सिंह]

अब यह व्यवस्था की गई है कि उसके स्थान पर बीज और खाद आदि दी जाय । दूसरे पर्यवेक्षकों जिनको लेकर यह कठिनाई खड़ी हो रही थी, उसको सुधारने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । साथ ही साथ जितनी भी संस्थायें हैं, उनकी भी व्यापक जांच कराने के और जहां भी गड़बड़ियां हैं उनकी व्यापक और विशेष जांच कराने के लिये सरकार ने प्रयत्न किया है और कर रही है । इसके अतिरिक्त जो आपत्तियां सम्प्रेक्षण विभाग के द्वारा की गई हैं, उन पर कार्यवाही की जायेगी । सहायक निबन्धक के द्वारा जांच कराये जाने पर जोर दिया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि वह महीने में कम से कम २५ विशेष जांच और ५० साधारण जांच किया करें । इस तरह से उनकी त्रुटियां शनैः शनैः दूर हो जायेंगी । इतना ही मैं और कह सकता हूं कि जितना भी प्रयास सम्भव होगा उसके लिये सहकारिता विभाग और सब ने कमर कसी है । हम सब इसकी कमियों को दूर कर देंगे ।

मैं तो यही चाहता हूं कि यह विभाग जिसके लिए सबके हृदय में आस्था है और सब यह अनुभव करते हैं कि यह विभाग जनता के हित में है उस के शुद्धिकरण और बढ़ाने में सब का सहयोग हो और इसी आशा से यह कहता हूं कि मैं निश्चित रूप से इसका सुधार कर सकूंगा । मैं तो भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री से सहयोग की आशा करता था और करता हूं और यह आशा करता हूं कि कटौती के प्रस्ताव वापस लिये जायेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण और जनहितकारी विभाग के लिए जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उस को स्वीकार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

(अत्यधिक व्यवधान होने पर) मैं यह देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्यों की आदत पड़ती जा रही है कि बिना बुलाये ही खड़े हो जाते हैं और कुछ न कुछ कहने लगते हैं और इस बात की मैं हरगिज अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मैं श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी द्वारा प्रस्तावित कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । माननीय बहुगुणा जी सदन में उपस्थित हैं । उन के उपस्थित रहते हुए क्या किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है कि उन के प्रस्ताव को दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत करे ।

श्री अध्यक्ष---

सदन में यह परम्परा चली आयी है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है । फिर मेरे पास लिखकर भी आ गया है कि श्री शिव मंगल सिंह जी इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत हैं ।

श्री शिवमंगल सिंह---

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव* इस प्रकार है--"सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४--सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--(१) सहकारिता की नीति में आमूल परिवर्तन कर अफसरशाही के बन्धन से इस आन्दोलन को हर क्षेत्रों से समाप्त कर सहकारिता के माध्यम से समाजवादी समाज की रचना की ओर अग्रसर होना तथा यदि आवश्यकता हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करना ।

(२) सहकारी संस्थाओं से राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने हेतु सरकारी दखलन्दाजी और नामिनेशन की प्रथा का अन्त करना ।

---

*अन्य कटौती के प्रस्ताव के लिए देखिये बत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१४-५१६ पर

(३) सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के माध्यम से ही नियन्त्रित रहने देना और इसके लिए कानून में यथावश्यक परिवर्तन करना।"

मान्यवर, सरकार द्वारा सहकारिता के ऊपर जो साहित्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि गत २० वर्षों में सहकारिता के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। विगत वर्षों में जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में यह सहकारी आन्दोलन आगे की तरफ बढ़ा है उस में निस्सन्देह हम को और आप को सब को गर्व होना चाहिये। मुझे आश्चर्य हुआ आज सहकारिता मन्त्री जी के भाषण को सुन कर जिस के ऊपर यह पुस्तिका हम सब को उपलब्ध करायी गयी है यदि आप उन के भाषण को सुनें तो कदाचित् उस से यही अर्थ निकालेंगे कि उन के समय में उत्तर प्रदेश में सहकारिता के अन्दर केवल भ्रष्टाचार और गबन के अलावा और कोई कार्य ही नहीं हुआ। (आवाजें—सही है।) बड़े दुःख की बात है कि जितनी मोटी पुस्तिका तैयार करके एक ओर आन्दोलन की भूरि-भूरि प्रशंसा की जाय और दूसरी तरफ जब माननीय सहकारिता मन्त्री जी का भाषण हो उस में इस प्रकार की निन्दायें की जाय जिसका कि कोई भी जिक्र उस पुस्तिका में न हो। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। कोई भी सहकारिता मन्त्री अपने विभाग की इस तरीके से निन्दा करे, इस हद तक पहुंच जाय कि विभाग म भ्रष्टाचार और गबन के अलावा और दूसरा कोई कार्य नहीं होता है तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं मान्यवर, बड़ी नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के लिए यह एक नयी परिपाटी है। कम से कम उस पद पर बैठने के कारण उनको इतना संयम रखना चाहिये था और भले ही गड़बड़ी हो और भ्रष्टाचार तथा गबन हो, लेकिन शिष्टाचार के नाते भी इस तरह उनको प्रहार नहीं करना चाहिये था। इस सब को सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद सहकारिता मन्त्री जी का सम्बन्ध जिस राजनीतिक दल से है—जन संघ—जहां तक मेरी जानकारी है, उसका कोई भी विश्वास इस सहकारिता आन्दोलन में नहीं है। वह तो हमेशा पूंजीपति और साहूकारों की सहायता करता आया है। इसलिये यदि ऐसे मन्त्री के द्वारा सहकारिता आन्दोलन की निन्दा की जाय तो यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती है। लगभग एक घंटे के भाषण को सुनने के बाद मैं यह समझता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में केवल भ्रष्टाचार और गबन के मामलों के अलावा और किसी बात की चर्चा नहीं की है। इसके बाद कोई भी दूसरी चर्चा प्रधानता से यदि आप के भाषण में हुई है, तो वह यह कि उन्होंने भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री पर आक्रमण किया है। यह एक नयी परिपाटी हम को इस सदन के अन्दर देखने को मिली है। बहुत से मन्त्री होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक संसदीय प्रणाली का तरीका होता है जिस में इस तरह की बात कहना उचित नहीं होता है इस प्रकार से किसी भी मन्त्री के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करना कदाचित् हमारे वर्तमान मन्त्री को शोभा नहीं देती है। उस पद पर जो बैठता है उस से गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। और आप से भी भूल हो सकती है। आप कोई भगवान नहीं हैं। लेकिन उन के जाने के बाद इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से एक भूतपूर्व मन्त्री पर अटैक करना यह आप के लिये शोभा की बात नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान मन्त्री जी इस सहकारिता विभाग के अन्दर जो गड़बड़ियां हैं, कमजोरियां हैं, उन को समूल नष्ट करना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से इस २॥ महीने के अन्दर वर्तमान मन्त्री महोदय ने इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किये हैं उन के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सहकारिता मन्त्री जी ने इस पद को सम्भालते ही जो पहला काम किया, गड़बड़ियों को समाप्त करने का, वह यह कि जितने भी नामिनेशन सहकारिता संस्थाओं के भूतपूर्व सरकार ने किये थे उन को उन्होंने निरस्त कर दिया उन के स्थान पर प्रत्येक बैंक में जन संघ कार्यकर्त्ताओं को मनोनीत कर दिया। इसके विषय में काफी चर्चा हुई और मैं

[श्री शिवमंगल सिंह]

समझता हूं कि यदि यह भूल हुई है तो जिस मद पर आज हमारे सहकारिता मन्त्री जी विराजमान हैं उन को कोई संकोच नहीं होना चाहिये कि वह इतने विवाद के बाद इस बात को स्वीकार कर लें कि जो नामिनेशन उन्होंने किये हैं वह एक दल विशेष के लोगों के हैं और एक बात इस सदन में मैं उन से जरूर पूछना चाहूंगा कि मान्यवर, हमारे यहां सरकारी संस्थाओं में जो नामिनेटेड व्यक्ति होते हैं वे एक साधारण वार्षिक सभा से दूसरी साधारण वार्षिक सभा तक के लिये होते हैं। साधारण वार्षिक सभा का समय कोआपरेटिव इफर के अनुसार १ जुलाई से ३० जून तक होता है। जो नामिनेशन पिछले वर्ष हुये थे वह ३० जून, १९६७ को समाप्त होने वाले थे। सहकारिता मन्त्री जी ने उन नामिनेशन्स को मई के महीने में निरस्त किया है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि उस डेढ़ महीने में जब स्वयं वार्षिक सभा के बाद उन को यह अवसर प्राप्त था कि वे उन व्यक्तियों के स्थान पर नये नामिनेशन करते, तो एक महीने के लिए आप को कौन सी ऐसी जल्दी थी, किस गड़बड़ी का सुधार आप कर रहे थे कि जिस के आधार पर आप ने इन सारे पिछले नामिनेशन को रद्द कर दिया और कदाचित् मैं ऐसा समझता हूं और हो सकता है कि हमारे सहकारिता मन्त्री जी का यह दृढ़ विश्वास हो---हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं---कि सहकारिता में जो भी गड़बड़ी हैं, जो भी कमजोरियां हैं वे सब जनसंघ के लोगों के द्वारा ही ठीक की जा सकती हैं। इस का परिणाम यह हुआ कि जितने भी नामिनेशन्स हुए हैं वे इसी बात की बिना पर हुये हैं। हो सकता है कि दो, चार परसेंट दूसरे लोगों के नामिनेशन्स हुये हों। इतनी बड़ी पार्टीबाजी का परिचय आप कुर्सी पर बैठते बैठते ही दें तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि आप सहकारिता आन्दोलन के प्रति कितना सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और उसे कितना ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस बात का औचित्य बतायें कि क्या जल्दी थी कि जिस के कारण उन्होंने इन नामिनेशन्स को रद्द दिया और उन स्थानों पर जनसंघ दल के लोगों को नामांकित किया।

दूसरा कार्य जो हुआ है, वह यह है कि ६ वर्ष से जो संचालक कार्य करते रहे हैं उनको फिर से संचालक के पद पर रहने का आदेश नहीं दिया गया। नियमों के अनुसार जो व्यक्ति लगातार ६ वर्ष तक संचालक रहा हो बिना रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के अपने पद पर आगे भी बना नहीं रह सकता है। इसमें इस बात की दलील दी गयी और उसमें नेता विरोधी दल का भी नाम लाया गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेशेवर हो गये हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को यह संज्ञा देना चाहते हैं तो यह परिभाषा आप को मुबारक हो। हमको वह नहीं चाहिये। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज जिला परिषद् के अन्दर आजीवन सदस्य लोग बने रहते हैं, वह पेशेवर नहीं हैं। हम विधायकगण आजीवन अगर विधायक बने रहते हैं तो पेशेवर नहीं हैं, आप मन्त्रिगण यदि आजीवन मन्त्री बने रहें, तो आप पेशेवर नहीं हैं, लेकिन सहकारी विभाग का एक संचालक जो समाजवादी भावनाओं से प्रेरित हो कर आप के बीच में कार्य करता है, वह पेशेवर बना दिया जाता है। क्या दलील आप की हो सकती है? जिन लोगों को आज उन सहकारी संस्थाओं का पूर्ण समर्थन और विश्वास प्राप्त है और जिन को वह चुन कर भेजती है आप यहां से बैठ कर उनके लिये यह कह देते हैं कि वे पेशेवर हैं। बड़े शर्म की बात है। लोकतांत्रिक प्रणाली में यदि इस प्रकार का निर्णय आप के द्वारा किया जाय तो यह हमारे क और आप के लिये बड़े दुख की बात है। मैं आप से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, कि भले ही आप को जनतंत्र की मर्यादा में विश्वास न हो, भले ही आप को संसदीय प्रणाली में विश्वास न हो, लेकिन जब तक आप इस मन्त्रिपद की कुर्सी पर विराजमान हैं और इस सदन में कार्य कर रहे हैं तब तक आप को उन मान्यताओं को प्रतिष्ठित रखना पड़ेगा, नहीं तो विवश होकर मुझे आप से कहना पड़ेगा कि यदि आप को संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है, अगर आप को लोकतांत्रिक परम्पराओं में, मान्यताओं में विश्वास नहीं है, उनके प्रति कोई आदर नहीं है, तो आप को इस विभाग से इस्तीफा दे देना चाहिये।

अगर आपको शौक है तो आप पुलिस विभाग ले लीजिये, वहां जितने चाहे छापे मारिये, हम कोई आप को मन्त्री पद से हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप कृपा करके इस विभाग को छोड़ दें, वरना वह दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश में सहकारी संस्थाओं का पूर्णता विनाश हो जायेगा। माननीय मन्त्री जी ने बड़े जोरों के साथ भ्रष्टाचार और गबन की बात कही, उसके लिये भी आपकी जो नीति हो, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। भ्रष्टाचार दूर करने के लिय जो भी कदम आप उठायेंगे उस में हमारे सभी साथियों का पूर्ण सहयोग आप को मिलेगा। जहां भी आप को भ्रष्टाचार मिले आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। लेकिन मेरा यह नम्र निवेदन आप से है कि आप कृपया जनतंत्र की उन परम्पराओं को, जिन के आधार पर आप यहां चुन कर आये हैं, और जनता ने हमारे और आप के ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपी है, खत्म मत करिये। आज यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बड़े पूंजीपतियों द्वारा, मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों द्वारा अनर्गल प्रचार करके सहकारिता आन्दोलन को बदनाम करने की चेष्टा की जाती है। आज हमारा और आप का तथा उनका जो समाजवादी ढाँचे में विश्वास रखते हैं और समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं यह कर्त्तव्य है कि वे सहकारिता को सही जनतांत्रिक ढंग से पनपने दें क्योंकि सहकारिता समाजवाद की रीढ़ है। सहकारिता द्वारा गरीब मजदूर और किसान का भला हो सकता है। आज सहकारिता का भविष्य बहुत ही अन्धकारमय हो गया है। आज आप स्वयं सहकारिता को बदनाम करने का एक साधन बने हुये हैं। यह कोई शोभा की बात नहीं है कि जगह-जगह आर० एस० एस० को लोग जाकर उन सहकारी संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं जहां जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आप के पास उस के लिये और भी उपाय हैं, उन को काम में लाइये। उस के लिए तो पुलिस दस्ते बनाये गये हैं, वह कार्य आपको शोभा नहीं देता। यह कितनी गलत बात है कि सार्वजनिक संस्थाओं में जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त है, जिनमें जनता की पूर्ण आस्था है, उनके ऊपर आप यह कार्यवाही करें। आपके इन कारनामों से सहकारिता आन्दोलन को बड़ा भारी धक्का लगेगा। एक तरफ आप सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कार्य करते हैं, जिससे जनता की आस्था इस तरफ से घटे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों परस्पर विरोधी बातों से सहकारिता को कैसे बल मिलेगा। संसदीय प्रणाली के अनुसार जो भी आपका कार्य होगा उसका स्वागत किया जायेगा, लेकिन अधिनायकवाद की तरह आपका कार्य होगा तो उससे सहकारिता समूल नष्ट हो जायेगी।

मैं आपसे कुछ और कठिनाइयों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं सोचता था कि मन्त्री जी का भाषण होगा तो हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिससे कि वे इस सहकारिता में जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। आप कौन से उपाय सोच रहे हैं? लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई भी बात मुझे उनके द्वारा सुनने को नहीं मिली जिससे यह प्रतीत होता हो कि सहकारिता का सुधार होने वाला है। हमें एक बात सुनने को मिली कि हम जांच करवा रहे हैं और कार्यवाही कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सूचना मिली है इस अढ़ाई महीने के कार्यकाल में जितना सहकारी संस्थाओं पर आक्रमण हुआ है उस पर करीब २४ रिट हाई कोर्ट में दाखिल हुये हैं और वे सभी मन्जूर हो गये हैं। यह तो भविष्य की बात है और उसका निर्णय आने पर पता चलेगा कि आप ने सही कदम उठाया है या नहीं। यह तो आप के कार्यकाल की प्रगति है। जो आपने बताया है। मैं आप से आग्रह करना चाहूंगा कि सहकारिता एक जन-आन्दोलन है और उसके पीछे उसकी शक्ति उसकी जनता होती है। यदि आप सारे प्रदेश में जनता के आदर को समाप्त करना चाहेंगे उनकी भावनाओं को कुचलना चाहेंगे, उनकी प्रतिष्ठा को घटाना चाहेंगे, तो उनके द्वारा जो सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है, उसमें काफी सफलता नहीं मिल सकती है। अब मैं उन चन्द और कठिनाइयों की तरफ मान्यवर, आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे। जहां तक सुपरवाइजर्स की बात कही गयी, उन्होंने कहा कि हम आंशिक रूप में सोच रहे हैं कि हम

[श्री शिवमंगल सिंह]

सुपरवाइजर्स का नियन्त्रण जिला सहकारी बैंकों को दे दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि करीब १५-२० वर्षों का अवसर मुझे भी सहकारिता की सेवा करते हुये हुआ है और हो सकता है कि मुझे आप के बराबर ज्ञान न हो, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोगों को भी इतने दिन काम करने के बाद प्राप्त हुआ है। आशा है कि आप इसको भी सुनने की चेष्टा करेंगे और यथासम्भव उसके निराकरण की भी चेष्टा करेंगे। आज बड़े जोरों से एक भ्रम फैलाया जाता है कि सहकारिता में जितनी गड़बड़ी हुई है वह संचालक और प्रबन्ध संचालकों द्वारा होती है। मैं इस को बिलकुल निर्मूल और गलत बात समझता हूं। वह आपका एक आक्रमण है उन सभी पुराने कायकर्त्ताओं और सभी समाजसेवियों पर जिनको आप दलगत राजनीति क आधार पर हटाना चाहते हैं और उनकी जगह पर दलविशेष के आदमी प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी संचालक क्या गबन और क्या भ्रष्टाचार करता है। उसका अधिकार ही क्या है, क्या कभी आपने जानने की चेष्टा भी की है। उनके मन्त्री, पर्यवेक्षक आदि उस समिति की गड़बड़ी हिसाब किताब, रिकार्ड उनके सामने रख देते हैं। यदि कोई ग ड़बड़ी होती है वह सब सुपरवाइजर्स या प्रबन्ध समिति के द्वारा होती है। जहां तक आप की प्रबन्ध समितियों का सम्बन्ध है जितनी भी कार्यवाही हुई है वह सब नियम के अनुसार हुई है। नियम विरुद्ध कोई प्रस्ताव या कार्य नहीं हो सकता है। किसी ने गड़बड़ी की हो उस के लि ो प्रबन्ध समिति ही जिम्मेदार हो सकती है पर क्या जितने कार्य किये गये हैं वे सब गलत हैं? और सभी गबन करत ह यह मेरी समझ में नहीं आता।

मूलतः जहां गड़बड़ी हैं वह सब सुपरवाइजर्स द्वारा की जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इस सहकारी आन्दोलन का जन्म हुआ तो प्रारम्भ में सबने अनुभव किया कि साधारण कार्यकर्त्ताओं द्वारा यह आन्दोलन चलाया जा रहा है जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है और जो सहकारिता के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। सरकार ने यह निश्चय किया कि थोड़ से काल तक जब तक इन को पूण जानकारी न हो जाय तब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते हैं। तब तक सुपरवाइजर्स को उनका मन्त्री बना दिया और यह निश्चय हुआ कि सुपरवाइजर्स गाइड के रूप में संचालन करें और धीरे-धीरे सब लोग इतने सक्षम हो जायं कि सारा कार्य सम्हाल सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सहकारिता के अन्दर प्रशिक्षण के लिए आप की कोई योजना है। सरकारी अथवा गैरसरकारी लोगों का आप अगर बजट उठाकर देखेंगे, तो हर वर्ष इस प्रशिक्षण के आइटम में कटौती हुई है। इस वर्ष में भी आप को बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षण के मद पर पच्चीस परसेंट की कटौती हुई है।

एक तरफ आप इस बात का अवसर नहीं प्रदान करते हैं कि जो आपके गैरसरकारी लोग हैं वे सही-सही जानकारी प्राप्त करें और इसको आगे बढ़ने की शक्ति पैदा करें और दूसरी तरफ आप इस तरह का अभियान चलाते हैं कि जितने गैर सरकारी लोग हैं वे गबन करते हैं। आपका सब से बड़ा आदर्श वहां का सुपरवाइजर है। आप की नजरों में वही सहकारिता का आदर्श है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कृपा कर के अपने इस दृष्टिकोण को बदलिये। आज जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं, साधन समितियों में जो भी गड़बड़ियां होती हैं, वे केवल सहकारिता पर्यवेक्षकों द्वारा होती हैं। जितने भी सेमिनार हुए, जितनी भी कान्फ्रेंसेज हुईं, उन सब में यह मांग की गयी कि इन सहकारी पर्यवेक्षकों को पूर्णतः बैंकों के अधीन कर दिया जाय, लेकिन आप का विचार ही होता रहता है। आज भी आप न जो भाषण दिया, उसमें हमें ऐसा लगा कि यदि आप उन को बैंकों के अधीन करने जा रहे हैं तो भी कुछ न कुछ इसके अधीन रिजवशन रख रहे हैं पी० सी० यू० का। आपने जो सुपरवाइजर बनाया है, मेरी समझ में नहीं आता कि उस सुपरवाइजर का कौन मालिक है, किसका उसके ऊपर नियन्त्रण है। आज जितनी सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिया जाता है, उनकी वसूली का कौन सा तरीका हो, इस पर आपने कभी गौर किया है? एक सुपरवाइजर के ऊपर औसतन आप ने ३०-३५

सहकारी समितियों का कार्यभार सौंप रखा है। आजकल के जमाने में सामान्यतः १५–२० दिन जिले के मुख्य कार्यालय में आकर वह अपना स्टेटमेंट तैयार करता है। फिर कौन सा अवसर मिलता है कि वे उन समितियों की देखभाल करें। इसका नतीजा यह होता है कि सारे जितने जाल और खराबी हैं वह उनके द्वारा अन्य मौकों पर अपने कामों की पूर्ति के लिये की जाती है।

आज समितियों की क्या हालत है। एकाउन्टेंट ही उन साधन सहकारी समितियों का मन्त्री होता है। साधन समितियों ही उन की नियुक्त करती हैं। वही उनको नियुक्त करने वाली एक संस्था है, इस लिये वही उनको निकाल भी सकती है। किसी दूसरे का उसके ऊपर नियन्त्रण नहीं है।

आश्चर्य होगा आपको सुन कर कि आज चाहे कोई संचालक हो, चाहे कोई रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार हो, आज उनकी हालत यह है कि यदि एकाउन्टेंट न चाहे तो वे साधन सहकारी समितियों के एकाउन्टेंट को देख भी नहीं सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि उसका उच्च से उच्च अधिकारी जब उन चीजों का मुआयना करने के लिए समितियों के पास जाता है तो यह जरा सा पदाधिकारी एकाउन्ट उसे अपना बस्ता दिखलाने से इन्कार कर देता है। इस बात की मांग की गयी है कि इस प्रकार की जो पोस्ट्स हैं उनको एबालिश कर दें। उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की ?

सहकारी पर्यवेक्षकों की क्या हालत है ? मैंने अपने जिले बलिया की बात बतलाता हूं। सुपरवाइजर के वेतन की मद में बैंक को पहले बहुत कम अंशदान देना होता था। आपकी प्रान्तीय सहकारी यूनियन न एक सरक्युलर निकाला। उसक अनुसार उन्होंन यह सलाह दी कि आप को सुपरवाइजर के वेतन की मद में करीब-करीब ५५ प्रतिशत अंशदान करना पड़ेगा और इसी आधार पर उन्होंने यह भी कहा कि यह जो धन है, बैंकों को उन्हें सुपरवाइजर के वेतन की मद में देना पड़ेगा। साथ ही यदि बैंक की प्रबन्ध समितियां यह समझें कि उन के यहां आवश्यकता से अधिक सुपरवाइजर हैं तो वहां पर वे उनकी छंटनी कर दें और उनको हमारे पास भेज दें ताकि हम उनको जिले से हटा दें।

मा यवर, पिछले १५–२० वर्षों से सहकारिता आन्दोलन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार की दुर्गति इस आन्दोलन में हम कार्यकर्ताओं की होती है, उसको मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष——

आप भी अपने भाषण को कुछ संक्षेप कर दें तो अच्छा हो।

श्री शिवमंगल सिंह——

मुझे थोड़ा सा अवसर और दे दें। मैंने यह उचित समझा कि सुपरवाइजर्स की छंटनी की जाय। इसके बारे में मैंने यह भी उचित समझा कि पहले रजिस्ट्रार से परामर्श कर लूं। रजिस्ट्रार ने बताया कि हमारे यहां सुपरवाइजर्स की संख्या अधिक है। इस लिये आप मुझे ऐसे निर्देश दें कि जिन आधार पर उनकी संख्या कम की जा सके। क्योंकि मुझे यह भय था कि अगर अपने आप कर दिया जायगा तो लखनऊ से उसके विरुद्ध आदेश चले जायेंगे। इस लिये मैंने रजिस्ट्रार और प्रादेशिक सहकारी यूनियन के मन्त्री से भी परामर्श किया। उन लोगों ने बताया कि आप एक उसूल बना लीजिये। पहला तो यह है कि जिनकी सबसे अधिक अवधि आपके जिले में हो गयी हो और दूसरे जिनकी वसूली की प्रगति खराब रही है, उनकी आप छंटनी कर दें। मैंने समझा कि अब कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी और हमने इसी आधार पर १०–११ सुपरवाइजर्स की छंटनी कर दी। हमने यह भी कह दिया कि आज से इन सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और उसका वेतन सहकारी बैंक नहीं देगा। लेकिन ४–४

[श्री शिवमंगल सिंह]

बार उन सुपरवाइजर्स का ट्रांसफर हुआ, फिर पोस्टिंग हुई, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर पोस्टिंग हुई और वे सुपरवाइजर्स आज भी उसी जिले में मौजूद हैं। पता नहीं वे क्या काम करत ह और उनको वेतन कहां मिलता है। यह है आपके सहकारी विभाग के कर्मचारियों की गतिविधियां, जिनके द्वारा आप इस कोआपरेटिव विभाग को ठीक करना चाहते हैं। अगर इसी प्रकार की हालत रही तो उससे किस प्रकार से सुधार हो सकता है?

इसके अलावा रूरल क्रेडिट सर्वे की एक रिपोर्ट बनी और उसकी सिफारिशों के आधार पर यह निश्चय किया गया कि छोटी-छोटी समितियों को समाप्त कर दिया जाय और बड़ी-बड़ी समितियों में उनको मिला दिया जाय ताकि वे एक आर्थिक इकाई बन सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनसे जिन सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है, वे सुविधायें जनता को उनसे मिल सकें। उसके अन्तर्गत यह नियम बनाया गया कि जिन छोटी-छोटी समितियों को मिलाना है उनकी ओर से पहले प्रस्ताव आवे तो उस पर विचार किया जाय। बलिया जिले की बात तो मैं मानता हूं। दर्जनों ऐसी समितियों का निर्माण हुआ है जिनके प्रस्ताव के बारे में सम्बन्धित समितियों के ज्ञान तक नहीं हैं। रजिस्ट्रार के यहां इसकी अपील भी की गयी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि आज अच्छी-अच्छी आदर्श समितियां जो ठीक से काम कर रही थीं, वे बकायादार समितियां बना दी गयीं। अगर एक भी समिति बकायादार होती है तो बड़ी समिति भी बकायादार हो जाती है। आज उसका नतीजा यह है कि सारी समितियां जो बकायादार घोषित हैं वहां बीज लेने से किसान बंचित हैं। यह कार्यवाही विभाग की है। किसानों में बड़ा क्षोभ व्याप्त है। सहकारिता जगत में सारी ऋण समितियां त्राहि-त्राहि कर रही हैं, किसी को ऋण प्राप्त नहीं होता है और इस महंगाई के जमाने में उन की स्थापना ही इसलिये हुई थी कि कृषकों को आसानी से ऋण मिल सके और हमारा उत्पादन बढ़ सके, लेकिन इस योगदान के बजाय आज उनकी अवस्था यह है कि वह ऋण लेने में असमर्थ हैं। आप की गलत नीतियों के कारण यह सब हो रहा है। आशा है कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे और वह सहकारी समितियां जो आदर्श रूप में चल रही हैं उनको इस अभिशाप से बचाने की चेष्टा करेंगे।

इतना मैं और निवेदन करूंगा कि हमारी जो यह साधन समितियां हैं उनका पुनर्गठन किया जाय, उनकी पूरी छानबीन की जाय ताकि वह समुचित रूप से काम कर सकें। एक निवेदन यह भी है कि सहकारिता का जो एक पुराना ऐक्ट है जिसके द्वारा यह आन्दोलन चलाया जाता था उसके बारे में हम सब ने बात का अनुभव किया कि इस पुराने ऐक्ट को संशोधित करना चाहिए और उसमें वह आवश्यक सुधार करने चाहिए जिनके द्वारा हम आन्दोलन की प्रगति को आगे बढ़ा सकें। ५-४-६६ को नया सहकारी समिति अधिनियम राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ लेकिन आज तक उस को लागू नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं, बड़े सुधार की बातें आप करते हैं और बहुत गड़बड़ियां मिटाने की बातें आप करते हैं लेकिन क्या कारण है कि आज तक क्यों नया ऐक्ट लागू नहीं किया गया जिस से कि सहकारिता में सुधार और प्रगति हो सके। आप कहेंगे कि यह तो कांग्रेस के ही जमाने की बात है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप को भी आये ढाई मास से अधिक हो गये, नियम बनाने में कोई बरसों नहीं लगते। आप उसको लागू करते और स्थिति को सम्हालते यदि आप सहकारिता आन्दोलन म सुधार लाना चाहते हैं तो आप शीघ्रातिशीघ्र लागू कीजिये।

यू० पी० सहकारी भूमि विकास के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आज जो किसान सरकार से तकावी लेता है उसकी पूरी भूमि पर सरकार का भार हो जाता है और नियमों के अनुसार कोई भी ऐसी भूमि जो भारग्रस्त हो उस पर बैंक ऋण नहीं देता। इसलिये इस कानून में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है कि जितना भी रुपया तकावी के रूप में लिया जाय उतने ही मूल्य की जमीन भार के रूप में आड़े ली जाय क्योंकि जब तक वह भारमुक्त नहीं होंगे ऋण नहीं मिलेगा। ५०० रुपए की तकावी में सारी भूमि भारग्रस्त हो

जाती है और सहकारी बैंक ऋण नहीं देता। मैं चाहता हूं कि समुचित तरीके से इसमें सरकार संशोधन करे। दूसरी कठिनाई जो देखने में आयी है वह यह है कि हालांकि किसान अपनी तकावी का पूरा रुपया अदा कर देते हैं लेकिन सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में उनके नामों के आगे तकावी की पूरी बकाया रकम पड़ी रहती है। नतीजा यह होता है कि वे भूमि विकास बन्धक बैंकों से ऋण नहीं ले सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जब काश्तकार अपनी तकावी की रकम को अदा कर देता है तो सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसका नाम कट जाय।

तीसरी कठिनाई जो प्रतीत होती है वह यह है कि किसानों को लेखपालों के द्वारा खतौनी की नकल मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि आप अपने विकास कार्यालय में कम से कम एक माह में दो बार लेखपाल को बुला लें तो इससे किसानों को खतौनी आदि की नकल लेने में बड़ी आसानी हो सकती है और उनकी कचेहरियों में जो दौड़ धूप होती है, उससे वे बच सकते हैं।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि प्रदेशीय सरकार जिन जिलों में भूमि विकास बैंकों द्वारा तकावी का वितरण करती है, उसमें २५ प्रतिशत सरकार का सहयोग होता है। आपको पूरे जिले की जितनी तकावी आपके द्वारा वितरित की जाती है उसका कम से कम ५० प्रतिशत आप भूमि विकास बैंक के डिबैन्चर में लगावें।

*श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, सहकारिता का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। इसका उद्देश्य समाज के निर्बल लोगों को, गरीब लोगों को और अनाथ लोगों को संरक्षण प्रदान करना है, मूल्यों पर नियन्त्रण रखना, तथा किसानों को सुविधा देना और कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। लेकिन २० साल के कांग्रेस के भ्रष्ट प्रशासन में इस सहकारिता विभाग के अन्दर इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि उसका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। इस सहकारिता आन्दोलन के अन्दर किसानों को ऋण देने की, अच्छे बीज देने, उर्वरक देने की, कृषकों को यन्त्र खरीदने की सहूलियत देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में कुछ लोगों की ठेकेदारी हो गयी है। गरीब किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार ऋण ले लेते हैं और फिर उसकी ट्रांसफर इंट्री कराते रहते हैं। सहकारिता का इतिहास बताता है कि ट्रांसफर इंट्री इस प्रकार हुई है जिन्होंने अल्पकालीन ऋण लिया, तो उसे मध्यकालीन ऋण में बदलवा लिया और मध्यकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋण में बदलवा लिया।

एक सदस्य—

श्रीमन्, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस प्रकार अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदलवा लिया जाय।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

यह तो मैं मानता हूं कि यह नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इन नियमों को ताक पर उठा कर रख दिया गया है। उन नियमों के विरुद्ध काम किया गया है। श्रीमन्, जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, उनमें गलत ट्रांजेक्शन हुए हैं। और इनमें ८०,००० रुपए का गबन किया गया है फर्जी ट्रांजैक्शन दिखा करके। इसके अतिरिक्त ऐसी चीजों को लिया जाता है जिस पर सेल्स टैक्स न देना पड़े। प्याज और घीया की लाखों रुपए की बिक्री और खरीद दिखायी गयी, जब कि खरीदा कुछ और गया। यह किया केवल सेल्स टैक्स बचाने के लिये। माननीय शिवमंगल सिंह ने कहा कि उन्हें माननीय सहकारिता मन्त्री के वक्तव्य से आश्चर्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।।

[श्री रमाशंकर अग्रवाल]

हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि आश्चर्य केवल उन्हीं को नहीं हुआ बल्कि सारे प्रदेश को हुआ है क्योंकि उन्होंने बताया कि ६,७४० गबन के केस हैं और १,५७२ गबन केसेज में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। यह जान कर आज सारा प्रदेश आश्चर्य चकित है। माननीय शिव मंगल सिंह ने कहा कि इस पवित्र आन्दोलन को बदनाम करने की कोशिश सहकारिता मन्त्री ने की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पवित्र आन्दोलन को कृषि के लोगों ने २० साल में अपवित्र बना दिया है, आज उस अपवित्रता को सहकारिता मन्त्री दूर करना चाहते हैं। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मेहनत करके सारे दोषों को खोज निकाला है। आज उनके मन में लगन है, तड़पन है कि जो सहकारिता आन्दोलन बड़े लोगों के हाथ में चला गया है उस के द्वारा गरीब का भला नहीं हो रहा है, अगर वह गरीब और किसानों को लाभ पहुंचाता है तो उन को दर्द होता है जिन्होंने लाखों रुपए से जेबें भरी हैं। अगर भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा तो कोई अपराध नहीं किया। एक ग्रामीण कहावत है कि काने को काना कहो, काना जायगा रूठ, पोट पोट कर पूछ लो तेरी कैसे गयी है फूट"। अगर उन्होंने "काने को काना कह दिया है तो कोई अपराध नहीं किया है। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करते रहें, गबन करते रहें और जब गबन पकड़ में आए, जब भ्रष्टाचार का परदा फाश हो तो आप नाराज होते हैं। मैं समझता हूं कि धैर्य के साथ उन को भाषण सुनना चाहिए था। उन्होंने मन्त्री जी के भाषण में व्यवधान इसलिए किया क्योंकि मन्त्री जी भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ रहे थे।

दूसरा आरोप उन्होंने यह लगाया था कि जनसंघ का सहकारिता में विश्वास नहीं है। मैं माननीय शिव मंगल सिंह से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जनसंघ के घोषणा-पत्र को उठा कर नहीं पढ़ा। जनसंघ सर्विस कोआपरेटिव्ज में विश्वास रखता है और लिखा है कि जनसंघ सर्विस कोआपरेटिव्ज को बढ़ावा देगा और उस के द्वारा समाज के निर्धन पक्ष को सहायता पहुंचाएगा। जनसंघ ने केवल सहकारी खेती का विरोध किया है और हम ही ने नहीं, बल्कि भारत के ऐक्सपर्टस् और अन्य देशों के एक्सपर्टस् ने भी कहा है कि सहकारी खेती से उपज नहीं बढ़ सकती है। इसी आधार पर हम केवल सहकारी खेती का विरोध करते हैं। हमने सर्विस कोआपरेटिव्ज का हमेशा समर्थन किया है और उसमें हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि आज सहकारिता मन्त्री इतनी भाग दौड़ करके सर्विस कोआपरेटिव्ज का पुनर्गठन करने का विचार कर रहे हैं। माननीय शिवमंगल सिंह ने स्वयं सुझाव दिया है, उनको स्वयं इस बात की तकलीफ है कि जो साधन और लार्ज साइज समितियां हैं उनमें बड़ी गड़बड़ है। यहां तक कि जो ऋण दिया गया है उसका सम्पूर्ण हिसाब-किताब तक नहीं है। मान्यवर, उन्होंने जो पुनर्गठन का सुझाव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं।

श्री शिवमंगल सिंह—

गड़बड़ी की बात मैंने नहीं कही।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

वह मैं कह रहा हूं। लेकिन आप पुनर्गठन चाहते हैं इस का मतलब यह है कि गड़बड़ है। इसीलिए पुनर्गठन की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री शिवमंगल सिंह से) यदि माननीय रमाशंकर जी नहीं बैठते हैं तो आप क्यों कह रहे हैं?

श्री शिवमंगल सिंह—

क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है जो मैंने नहीं कही।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण में कह दीजिएगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

जो चीज नियमित रूप से चल रही है उसमें पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होती। पुनर्गठन से तात्पर्य ही यही है कि गड़बड़ी है, काम ठीक नहीं हुआ है। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और यह निवेदन करूंगा कि लार्ज स्केल सोसाइटीज तथा साधन समितियों का पुनर्गठन किया जाय क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और मुनासिब कार्य वहां नहीं हो पा रहा है। पहले की जो आडिट रिपोर्ट हैं उनमें भी इसके बारे में संकेत दिया गया है।

नामिनेशन्स के बारे में बार-बार आरोप लगाया गया।

(विरोध पक्ष से 'सही है' की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

आवाजों से कोई बात सही या गलत नहीं होगी। शान्त हो कर सुनिये और तथ्यों का जवाब तथ्यों से दीजिये।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

दो बातें कही गयीं कि माननीय सहकारिता मन्त्री ने अपने दल के लोगों को नामांकित किया है और दूसरे यह कि नियम के विरुद्ध मिड टर्म नामिनेशन्स किये हैं।

पहले आरोप के बारे में मुझे यह कहना है कि कांग्रेस के लोग सोचें कि वे कांच के महल में बैठे हुये हैं। वे पिछले २० साल का इतिहास देख लें। क्या कांग्रेस के अलावा उन्होंने किसी और का नामिनेशन किया? केवल कांग्रेस वालों का ही नहीं बल्कि कांग्रेस में जो दो गुट थे उसमें जिस गुट का मन्त्री होता था उस गुट के लोगों का नामिनेशन होता था।

(शेम-शेम)

दूसरी बात मिड टर्म नामिनेशन की कही गयी। ५ दिसम्बर, १९६० को २७ बैंकों में मिड टर्म नामिनेशन्स हुए और इस लिए हुए कि दूसरे गुट के मन्त्री बन गये। यही नहीं, सन् ६० में १ ही साल में २ बार नामिनेशन्स किये गये। ५ दिसम्बर, ६० को जो आदेश दिया गया ५ मई, ६१ को बदल दिया गया और १२ बैंकों में पुनः नामिनेशन्स हुये। कांग्रेस के लोग अपने दल के नामिनेशन्स करते थे तो जनतन्त्र की हत्या नहीं होती थी, लेकिन अगर जनसंघ ने ऐसा किया तो जनतंत्र की हत्या हो रही है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह परम्परा अच्छी नहीं होगी। अगर एक वक्ता बोलता है और उसमें दूसरे सदस्य भी बोलने लगेंगे तो फिर कोई वक्ता बोल नहीं पायेगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

जैसा माननीय सहकारिता मन्त्री ने बतलाया १ करोड़ ३३ लाख रुपए का गबन है और सारे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसलिए सब की छानबीन करने की आवश्यकता है और केवल दो महीने के शार्ट टर्म्स के लिये ही नामिनेशन्स किये गये हैं। माननीय मन्त्री ने अपनी जानकारी के आधार पर जिनको योग्य समझते थे, ईमानदार समझते थे और ठीक समझते थे उनको दो महीने के लिये नामिनेट किया है। उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिये। संविद के लोगों को भी शिकायत है उनको भी शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि जिन लोगों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी माननीय मन्त्री को थी उन्हीं को रखा जा सकता था। ऐसा नहीं किया है कि अपने रिश्तेदारों को भर दिया, एक भी उदाहरण इसका नहीं दिया जा सकता जब कि सहकारिता मन्त्री ने बतलाया कि भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री ने अपने

[श्री रमाशंकर अग्रवाल]

रिश्तेदारों को बढ़ावा दिया और उनको लाभान्वित किया। उन्होंने वैसा न करके कर्मठ लोगों को, योग्य लोगों को नामांकित किया है ताकि वे उधर बैठने वाले सदस्यों का पर्दा फाश कर सकें तो इसमें कोई बुराई उन्होंने नहीं की है। आज हम इस बात का संकल्प करते हैं कि जो भ्रष्टाचार सहकारिता में आ गया है उसको दूर करके इस विभाग का जो उद्देश्य है गरीबों की मदद करना, जो पद दलित हैं, पिछड़े हुये हैं उनको फायदा पहुंचाना, उसको हम पूरा करेंगे और जिन्होंने ठेकेदारी बना ली है, जिन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया है, जो अनेक वर्षों से डायरेक्टर चले आ रहे हैं और कोई दूसरा उनका धन्धा नहीं है उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज अगर वह यह कोशिश करें कि सहकारिता मन्त्री छानबीन न करें तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मन्त्री एक दृढ़ व्यक्ति हैं, आपके इन आरोपों से वह भयभीत नहीं होने वाले हैं। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, और दृढ़तापूर्वक की जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री बनारसीदास--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे सहयोग की अपेक्षा की और जब से उन्होंने यह कार्यभार सम्हाला उन्होंने अपनी सर्च लाइट मेरे कार्यों की तरफ फेंकी। इसके लिए भी मैं उनका कृतज्ञ हूं। मैं आशा करता था कि माननीय सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि किस प्रकार वह अपने क्रान्तिकारी विचारों द्वारा सहकारिता में एक नवीन जीवन लाना चाहते हैं और जिस ऋण प्रणाली का संकेत किया, जिसमें ट्रांसफर इंट्रीज हैं उसको वह किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं। आज जब कि प्रदेश के अन्दर अन्न संकट है, भ्रष्टाचार है तो वह व्यक्तिगत व्यापारों को खत्म कर के एक मात्र उपभोक्ता भंडारों के द्वारा किस प्रकार वितरण कराना चाहते हैं। किस प्रकार जो १९९ मार्केटिंग सोसाइटीज प्रदेश में हैं उनको गांव-गांव तक फैलाना चाहते हैं। दूध भंडारों को किस प्रकार मजबूत बनाना चाहते हैं। अब तक हमारे प्रदेश में जो कम्पेरेटिव क्षेत्र के अन्दर उद्योगीकरण किया गया था उसको वह कितना बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर कोल्ड स्टोरेज को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके भाषण के अन्दर इस तरह की कोई झलक मैंने नहीं देखी बल्कि आपका लक्ष्य कैरेक्टर एसासिनेशन ही है।

श्रीमन्, सहकारिता मन्त्री जब सहारनपुर और बुलन्दशहर गये थे तो उन्होंने कोआपरेटिव मिल के बारे में यह आरोप लगाया था कि वहां लेवलिंग के अन्दर सवा लाख रुपया व्यय किया गया। लेकिन आज वह आरोप लगाने का साहस नहीं किया क्योंकि श्री मगनलाल ने माननीय सहकारिता मन्त्री को नोटिस दिया है कि इसका फैसला अदालत के अन्दर होगा। आज आपने वहां की कोआपरेटिव फैक्टरी के बारे में जो अभियोग लगाया है, मैं समझता हूं, वह व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है। यदि मन्त्री जी मेरे सहयोग की अपेक्षा करते तो वह मुझे बुलाते और कहते कि यह आपके जिले से सम्बन्धित अभियोग है तो मैं अवश्य सहयोग देता। लेकिन जो अभियोग आपने लगाया है, मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उन आरोपों को वह लिखकर दे दें ताकि अदालत के अन्दर उसका फैसला किया जा सके। और मैं माननीय सहकारिता मन्त्री को इस बात की दावत देता हूं क्योंकि यह जिला बुलन्दशहर से ताल्लुक रखता है। आपके एक साथी मन्त्री बैठे हैं, मैं उनको आर्बिट्रेटर मंजूर करूंगा, श्री रामचन्द्र जी विकल जांच करें और बतायें कि उसमें कोई गड़बड़ी है। इटावा के अन्दर एक सहकारी मिल आज से दस साल पहले खुली थी लेकिन बुलन्दशहर में ग्रामीणों ने कई लाख एकड़ जमीन मुफ्त दी थी। १९४६ में, माननीय विकल जी साक्षी देंगे, उपभोक्ता भंडार बना था २३ हजार रुपए की लागत से आज वह डेढ़ लाख रुपये की इमारत खड़ी है।

मुझे इस पर गर्व है कि बुलन्दशहर का डी० सी० डी० एफ० प्रदेश में पहला है जिसने निश्चित समय से दो साल पहले कोल्ड स्टोरेज कायम किया था और उसकी ढाई लाख रुपये सालाना से ज्यादा की आमदनी है ।

मैं आशा करता था कि माननीय सहकारिता मंत्री जी अपना द्वेष का चश्मा उतार कर जिसने सहकारिता आन्दोलन को प्रदेश में आगे चलाया, उसको जरा शाबासी देते । लेकिन एक ड्रेन इंस्पेक्टर के तरीके से वे तलाश करना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि गुप्ता फंड में काफी रुपया सहकारिता संस्थाओं से दिया गया । लेकिन इतनी भारी हैड लाइट डालने से मिला कितना ? कहीं ५ रुपये, कहीं १० रुपये और कहीं १५ रुपये और टोटल कुल प्रदेश भर में केवल ११ हजार रुपये का हुआ जब कि गुप्ता फंड में ४५ लाख रुपया जमा हुआ था । अगर सहकारी पद का इसमें इस्तेमाल किया जाता तो क्या केवल ११ हजार रुपया ही जमा होता ? मैं कहना चाहता हूं कि मेरा आदेश था कि कोई भी कोआपरेटिव सोसाइटी इस प्रकार का डोनेशन न दे और किसी ने दिया है तो मंत्री जी एज सरचार्ज वसूल करें । उन्होंने स्वयं सदन में पेश किया है कि ४५ लाख रुपये में से केवल ११ हजार रुपया कोआपरेटिव संस्थाओं ने दिया है तो मैं समझता हूं कि उनको इससे बड़ी निराशा हुई होगी । इसके लिये तमाम सूबे में अभियान किया गया । मेरी उनसे शिकायत नहीं है कि वे किस तरह से करप्शन दूर करना चाहते हैं ।

लेकिन, श्रीमन्, जनतंत्र की कुछ मर्यादायें हैं । एक्जीक्यूटिव है, जुडीशियरी है, लेजिस्लेचर है और हमारा सहकारिता का अधिनियम है । इसके अन्दर इंस्पेक्शन और आडिटिंग दो विभाग हैं । हमारा आडिट विभाग वित्त विभाग में मिला दिया गया था । श्रीमन्, इंस्पेक्शन का काम रजिस्ट्रार का है । माननीय सहकारिता मंत्री जी का इरादा नेक है, वे सक्षम हैं उनके अन्दर एक बड़ा गहरा जोश है और उनका एक पंच सूत्रीय कार्यक्रम है । वे चाहते हैं कि आर० एस० एस० के लोगों को ही सहकारी संस्थाओं में नामिनेशन किया जाय । वे चाहते हैं कि जितने सेक्रेटरी हैं वे सब आर० एस० एस० के हों, जो सुपरवाइजर्स हैं वे भी आर० एस० एस० की शाखा बना दिया जाय, जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनका हैरसमेंन्ट करके, उनका तबादला करके उनको आर० एस० एस० का कार्यकर्त्ता बना दिया जाय । वे चाहते हैं कि जितने पुराने सहकारी कार्यकर्त्ता हैं उनको अपमानित करके निकाल दिया जाय । यह सहकारिता मंत्री जी का पंच सूत्रीय कार्यक्रम है । (व्यवधान) (शेम शेम) माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं । (व्यवधान) । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा । वे अब इधर से उधर चले गये हैं और वे नीति खूब समझते हैं । मेरे ऊपर आक्षेप लगाये गये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय बनारसीदास जी क्या चाहते हैं ?

श्री बनारसीदास—

कोआपरेशन पर सदन के ज्यादा समय को लेने की जरूरत नहीं है । वे जहां चाहें वहां मैं बता दूंगा कि सहकारिता में क्या होना चाहिये । अगर अध्यक्ष जी समय दें आपकी सहायता से तो मैं बता सकता हूं कि उनका भाषण कैसा होना चाहिये था । श्रीमन्, अभी यह कहा गया कि मेरा सम्बन्धी यहां की किसी संस्था में है । मैं जानता हूं कि मेरा कोई निकट संबंधी सहकारी संस्था में नहीं है । लेकिन यह कहा जाय कि यू० पी० के अन्दर कोई व्यक्ति मुझसे जान पहचान रखता हो मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री के भाई भतीजे सरकारी नौकरी में है । डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई हैं, उनकी अपील चल रही है, पी० सी० एस० के अन्दर हैं । और जनरल इंश्योरेन्स अगर नेशनलाइज हो जायगी तो किसी की सर्विस रोकी नहीं जा सकती । मैं सहकारिता मंत्री को चुनौती देता हूं, आज उनके पास विभाग है । मैंने कुछ परम्पराओं का पालन किया । मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचारी लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है । जिस को विजिलेन्स इनक्वायरी में सुपुर्द किया था, जो बियांड मीन्स रहता है, दो लाख रुपये की इमारत बनी है, उसे आपने डिप्टी

[श्री बनारसीदास]

रजिस्ट्रार बनाया। किस लिये? श्रीमन, वह जो डिप्टी रजिस्ट्रार बना है वह आपका मुख्य सलाहकार है। जो अब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, नयी बात नहीं। अभी रमाशंकर जी ने डेढ़ करोड़ के गबन का जिक्र किया? जहां दो अरब से ज्यादा कारोबार की पूंजी हो वहां एक करोड़ या उससे कम का गबन हो क्या आश्चर्य है? रामराज्य का आदर्श दूसरी बात है, जितनी प्राइवेट फर्म्स हैं, उनमें भी ब्लैक शीप्स होते हैं, सब जगह होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। चूंकि आपके पास कोई सृजनात्मक कार्यक्रम नहीं है आप अपनी अयोग्यता और सहकारिता के अविश्वास को छिपाने के लिये आये दिन यह कहते हैं---चोर चोर, पकड़-पकड़, चोरों का नारा होता है, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार। एक जिले के अन्दर मैंने चार रजिस्ट्रार को सस्पेन्ड किया था, लेकिन मैंने विज्ञप्ति नहीं की क्योंकि मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। कई बैंक्स को भी सस्पेन्ड किया गया। कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है तमाम देश की जिसमें कहा गया है कि यह एक टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हैं। उसके रजिस्ट्रार को दस साल रहना चाहिये। मेहता कमेटी की रिपोर्ट है। तमाम देश का जो कोआपरेटिव आन्दोलन है उसने उसको माना है। चूंकि रजिस्ट्रार ने आपके हाथ की कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया, जिसे तीन साल भी नहीं हुये आपने ट्रान्सफर किया। आपने जिक्र किया शायद मेरा कोई लड़का इन्श्योरेन्स में है.....

श्री भुवनेशभूषण---

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय भतपूर्व सहकारिता मंत्री ने कहा कि जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने माननीय मंत्री जी जो हैं उनकी कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया, यदि यह तथ्य है तो सामने आना चाहिये, अन्यथा इस प्रकार की अनर्गल बात.... (शोर)

श्री अध्यक्ष---

यह बात मुझसे कही है। यह आरोप है, जो माननीय सदस्य लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जवाब दे सकते हैं।

श्री बनारसी दास---

सरकारें आती, और चली जाती हैं, फ्रान्स में हर छः महीने में सरकार बदलती थी। लेकिन सर्विसेज परमानेंन्ट रहती हैं। हमने आई० ए० एस० के लोगों का सम्मान किया लेकिन उनको सर्विसेज में नहीं रखा। जो हमारे प्रति लायल नहीं था वह आपके प्रति भी लायल नहीं हो सकता। जो आज मंत्री जी के प्रति लायल नहीं होगा उसको कोई भी समझदार उनका उत्तराधिकारी नहीं रखेगा लेकिन श्रीमन्, जहां अविश्वास होता है, जहां पर द्वेश होता है वहां पर सहकारिता आन्दोलन का दुरुपयोग और विकृत केवल एक राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। और इस प्रकार से वहां पर सर्विसेज को करप्ट किया जाता है। श्रीमन्, मेरा आरोप है कि क्या कारण है कि रजिस्ट्रार को तीन साल के अन्दर ट्रान्सफर कर दिया गया जब कि यह सिफारिश है कि यह पद एक ऊंचे सीनियर सर्विस के व्यक्ति को दिया जाना चाहिये, कमिश्नर ग्रेड के व्यक्ति को देना चाहिये, लेकिन आपने किस व्यक्ति को वहां रखा है? देश के जाने माने सहकारिता आन्दोलन के अग्रणी लोगों ने सिफारिश किया है कि कोआपरेटिव इंश्योरेन्स का बिजनेस कोआपरेटिव संस्थाओं को दिया जाय। तो हमने ऐसा करके क्या अवांछनीय कार्य किया है जिस पर इतना प्रहार और झूठा प्रचार किया जा रहा है? लेकिन वहां तो बारबार असत्य कहने की आदत है और बार-बार असत्य कहकर वह अपनी बात को जनता के सामने सत्य बताना चाहते हैं। जो अंग्रेजी में कहावत है "रिपीट एलाई ( a lie ) अगेन एण्ड अगेन" वही आज किया जा रहा है। किन्तु यह बार-बार दोहराये हमारी परम्परायें अपनी अलग परम्परायें हैं, जिन लोगों की परम्परायें झूठ पर आधारित हैं वे उनको बार-बार दोहरायें किन्तु हमें उसकी चिन्ता नहीं है। श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि आप मस्तिष्क में जहां लोग लौह

का टोप पहने हुये हैं, उनको दलील काम नहीं दे सकती । मैं जानता हूं कि जनतंत्र में जिनका विश्वास नहीं है, उन्हें लोकतंत्र की भाषा समझ में नहीं आ सकती । जहां कोआपरेटिव का २० लाख का प्रीमियम है, यदि एक लाख का प्रीमियम उस कम्पनी को मिला जिसमें मेरा लड़का मैनेजर है, कोई अपराध था ? क्या किसी मंत्री के लड़के को या सम्बन्धी को काम करने का अधिकार नहीं है ? यदि यही है तो क्या मुख्य मंत्री के भाई और दामाद को सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है ? मुख्य मंत्री का एक भाई इंस्पेक्टर है, उप मुख्य मंत्री राम प्रकाश का एक भाई डिप्टी कलेक्टर है और एक चीफ इंजीनियर अन्यत्र है; तो क्या ऐसा होने से उनके सारे अधिकार चले गये ? यदि उसी प्रकार से मेरा कोई लड़का कोआपरेटिव बिजनेस में चला जाय तो उसमें क्या होना चाहिये और उसमें मेरा क्या व्यक्तिगत लाभ है। केवल चार इंस्टीट्यूशन्स ऐसी हैं। यहां बिसवां के सेमही जनसंघ से सम्बन्धित और बिजनौर का बैंक भी उनके दलके हाथ में है। कह सकते हैं कि मैंने कभी उनसे सिफारिश किया किसी सरकारी नौकरी में इसको निन्दनीय समझता हूं और इसको मैं गिरा हुआ आक्षेप समझता हूं। केवल लोगों को गुमराह करने के लिये बढ़ा चढ़ा कर ऐसी चीजों को पेपर में दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का कोई कोड आफ कंडक्ट बनायें कि जो आदमी सरकार में हो उसके सगे सम्बन्धी गवर्नमेन्ट में और ऐसे पदों पर न रहें। मुख्य मंत्री जी अपने भाई और दामाद से इस्तीफा दिलायें, उप मुख्य मंत्री जी अपने भाई से इस्तीफा दिलायें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि सहकारिता मंत्री जी आप किस आचार संहिता को मानते हैं ।

आपने कहा कि मैंने ओवर ड्राफ्ट लिया, लेकिन क्या सहकारिता मंत्री को किसी कोआपरेटिव बैंक का खाता देखने का अधिकार है ? यह क्या उचित आचरण है और इससे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। मेरा कहीं कोआपरेटिव बैंक में खाता नहीं था। मैंने मैनेजर और रजिस्ट्रार के अनुरोध पर प्रोत्साहन देने पर खाता जरूर खोला। हर व्यापारिक संस्था बैंक से रुपया लेती है और ओवर ड्राफ्ट भी लेती है । किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को यों ही ओवर ड्राफ्ट नहीं मिलता है उसकी साख और लायबेलिटीज को देखकर ही उसको मिलता है। मैं कोई डिफाल्टर रहा हूं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी । मेरे ऊपर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है। लेकिन मैंने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन नहीं किया है । ओवर ड्राफ्ट कोई चोरी नहीं है, लेकिन मंत्री जी को अधिकार नहीं था कि वह किसी बैंक की किताबें देख सकें । उनका आचरण नियम विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष——

अब आप अपने भाषण को संक्षेप करें ।

श्री बनारसीदास——

मैं यह चाहता हूं और इसीलिये मैं इस बात का स्वागत करता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सार्वजनिक जीवन के उच्च स्तरीय व्यक्ति के खिलाफ अभियोगों की जांच कोई निष्पक्ष हाई ट्रिब्यूनल करे ताकि जो करैक्टर असैसिनेशन की चीजें हैं वह किसी ट्रिब्यूनल के सामने जायं ताकि जन जीवन शुद्ध हो जाय । माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो सहकारी सूती मिल बुलन्दशहर के बारे में चार्ज लगाया है उसके लिये मैं कहता हूं कि उसे जज के सामने रखें अगर वह गलत सिद्ध हो तो मंत्री जी प्रायश्चित करें। बिल्डिंग के बारे में जो बात आयी है उसके लिये चीफ इंजीनियर को नियुक्त किया जाय । ५ लाख की जमीन मुफ्त बिल्डिंग को मिला । सबसे सस्ती इमारत बना दें इस को जो चीफ इंजीनियर प्रमाणित कर सकते हैं । (व्यवधान) आप लोग जब संजीदगी के साथ सोचेंगे तो सारी बातों को समझ जायेंगे । सहकारिता मंत्री जी का ध्यान ढाई महीने के अन्दर सिर्फ इस बात पर गया कि गुप्ता जी के फंड में कितना धन सहकारी खातों से आया। डिफेन्स फंड में ११ लाख प्रधान मंत्री को भेंट किया, अगर कोई अभियान होता तो क्या ११ हजार ही होता । तो उस ४५ लाख में से २४ लाख चेक्स से

]श्री बनारसी दास]

मिला २१ लाख कूपन्स से । जहां तक नामिनेशन्स का सवाल है, सेलेक्ट कमेटी के अन्दर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद थे और उन लोगों ने मांग की थी कि नामिनेशन्स न हों । नये कानून में २ से ज्यादा नामिनेशन्स, नहीं होंगे । हमने तो किया या नहीं किया लेकिन आप लोग तो धर्म अवतार आये हैं आप तो यहां भ्रष्टाचार दूर करने के लिये आये हैं, कम से कम आपने हमारी नकल क्यों की ? आप तो कम से कम दोनों नामिनेशन्स को खत्म करते । आप सेलेक्ट कमेटी को प्रोसीडिंग्स को देखिये तो नामिनेशन्स के नियम है । फिर सहकारी अधिनियम को आपने लागू क्यों नहीं किया (व्यवधान) आपके नेताओं ने मांग की थी कि कोआपरेटिव आन्दोलन का नान-अफिशियल लेजिस्लेशन किया जाय । हमने आदेश दिया था कि किसी मीटिंग को कलेक्टर्स या रजिस्ट्रार प्रिसाइड नहीं कर सकते । आप क्या करने जा रहे हैं नान-आफिशियलाइजेशन के लिये । मेरे समाजवादी और साम्यवादी मित्र हैं उन्होंने कहा था कि अनिवार्य रूप से सहकारी खेती वहां हो जहां ५१ फी सदी किसान लोग उसके सदस्य हो जायं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपने वह चलाई है लेकिन गोपालपुर में जरा जाकर देखिये कि क्या हालत है ।

श्री बनारसीदास—

मैं ऊदल जी से कहूंगा कि अब तो उनकी सरकार है, देखें वह क्या करते है ।

श्री अध्यक्ष—

अब कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री बनारसीदास—

माननीय उग्रसेन जी ने भी कहा था . . . (व्यवधान) श्रीमन्, मैं उनके झूठे आरोपों का खंडन कर रहा हूं कि वह सारे सहकारिता आन्दोलन को कलंकित करने जा रहे हैं (अत्यधिक व्यवधान) ।

श्री ऊदल—

मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय बनारसी दास जी और टाइम चाहते हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनको आप कम से कम १० मिनट का समय और दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बिना आपकी सिफारिश के जितना समय उनको दे सकता था दे दिया ।

श्री बनारसीदास—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय ऊदल जी और माननीय उग्रसेन जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस अठवंजी सरकार क दृष्टिकोण में क्या उनके विचारों का समावेश है । इन लोगों ने कोआपरेटिव को स्वीकार किया लेकिन दूसरे लोगों ने उसका विरोध किया । मैं यह समझता हूं कि कोआपरेटिव एक दर्शन है । मुख्य मंत्री जी आज यहां पर नहीं हैं । वे लोग अच्छे हैं और ईमानदार हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि वह कोआपरेटिव को नहीं मानते हैं लेकिन उन लोगों का ईमान नहीं है जो ऊपर से जाहिरा तौर पर कहते हैं कि कोआपरेटिव अच्छी है और वैसे उस पर विश्वास नहीं है । माननीय गंगाभक्त सिंह जी का यकीन सहकारिता के अन्दर नहीं है । वे इस सहकारिता महकमे को अपने राजनैतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं । मैं उनको एक बात बतलाना चाहता हूं कि जो लोग तलवार के सहारे जिन्दा रहे वे तलवार से ही मारे गये । मैं जानता हूं कि यह भाषा कायरों की होती है । जो लोग इस तरह की बात करते हैं वह कायर लोग हुआ करते हैं । कायरों का कोई उसूल नहीं हुआ करता है । जो लोग घृणा से जिन्दा रहते हैं वह घृणा के ही शिकार होते हैं ।

(श्री वीरेन्द्र वर्मा का नाम पुकारे जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदन के सदस्यों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, खासकर नेता विरोधी दल और नेता सदन तो आज नहीं हैं लेकिन जो और व्यक्ति हैं उनसे, कि इस सदन की मर्यादा के लिये कुछ न कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं कि कुछ व्यवधान संसदीय परम्परा में आवश्यक होता है, ज्ञान रखने के लिये आवश्यक होता है लेकिन उसकी कोई सीमा होती है। अगर इस तरह से माननीय सदस्य खड़े हों और चारों तरफ से विवाद शुरू हो जाय तो फिर बड़ी अच्छी परम्परा नहीं पड़ सकेगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा कर इस ओर ध्यान दें और मुझे सहायता दें लोगों को समझाकर उसको कम करने में।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस में भाग लेना चाहते हैं। तो मेरा यह प्रस्ताव है कि सदन का दो घंटा समय और बढ़ा दिया जाय। इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस पर बहस करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप दोनों तरफ के इस बात पर बात कर लें। मैं बाद में देख लूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से हमारा प्रदेश सारे देश में सब प्रदेशों से निर्धन है और वह इस कारण से कि यहां का ७५ फी सदी व्यक्ति खेती पर आधारित है और खेती पर उसकी प्रति व्यक्ति आय एक आध प्रदेश को छोड़कर सब से कम है। ऐसी स्थिति में मैं इस निर्धन प्रदेश के निर्धन निवासियों के लिये सहकारिता से बढ़कर कोई दूसरा साधन सोच नहीं सकता हूं। लेकिन इस प्रदेश में ज्यों ज्यों सहकारिता पिछले २० वर्षों में जनता के अन्दर फैली त्यों-त्यों इसमें करप्शन का भी उसी तरह से विस्तार हुआ

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरीशकुमार गंगवार, पीठासीन हुये।)

जिस प्रकार से सहकारिता के आन्दोलन का। सदन के दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज कोई कोना प्रदेश का ऐसा नहीं बचा हुआ है या प्रदेश की कोई समिति शायद ही बची हो जहां पर भ्रष्टाचार छू न गया हो। ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस कोआपरेटिव आन्दोलन में आ चुका है, उस भ्रष्टाचार के कारण ही वेस्टेड इंटरेस्ट भी सहकारिता में कायम हुये हैं और वह वेस्टेड इंटरेस्ट अपना लाभ और अनुचित लाभ इससे उठाते रहे हैं और वह भाई वंचित रह जाते हैं जिन भाइयों के लिये इस सहकारिता आन्दोलन का सबसे बड़ा महत्व था और जिनकी सेवा की जानी चाहिये वे ही उसमें उपेक्षित रह जाते हैं और जिनकी उपेक्षा होनी चाहिये थी, आज सहकारिता आन्दोलन से उनकी सेवा होती है। ६७४० के करीब गबन के केस, करोड़ों रुपयों का गबन कई वर्षों से चल रहा है। किस तरह से रोका जा सकता है, रोकने की क्या चेष्टा और कोशिश की गयी, यह देखने का विषय है और गबन के लिये जितनी शीघ्रता से कार्य हो रहा है, क्या उस शीघ्रता से हम इनको निबटा भी सकेंगे या नहीं, यह देखने की बात है। आडिट आब्जेक्शन हजारों के करीब पड़े हैं। क्यों उनको कराया गया और क्यों उनका कंप्लायन्स नहीं किया गया, इसमें माननीय मंत्री जी और सहकारिता विभाग के बड़े से बड़े अफसर देखेंगे और इस बात की चेष्टा करेंगे कि जितने भी इम्बेजिलमेंन्ट और आडिट आब्जेक्शन हैं, उन का जितनी शीघ्रता से निबटारा किया जा सके, किया जाय और तब ही यह मूवमेन्ट उस दिशा में प्रगति करेगा जिधर इसको जाना चाहिये था।

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्योंकि इस विभाग में थोड़ी सी हैसियत मैंने भी अपनी रखी है। उसी सिलसिले में प्रदेश के हर जिले में मुझे घूमने का मौका भी मिला था। जितना भ्रष्टाचार इस कोआपरेटिव मूवमेन्ट में है उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वह आज

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

फिफटी-फिफटी बेसिस पर बंटा हुआ है। हमारे गैरसरकारी बंधु और सहकारी बंधु फिफटी-फिफटी-बेसिस पर आज भ्रष्ट हैं। किस तरह से उनको रोका जा सकता है, इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये। आज यह कोआपरेटिव का विभाग करप्शन का विभाग है। जब मैं डिप्टी मिनिस्टर था इस विभाग का, तो ठाकुर हुकुम सिंह जी कहा करते थे कि तुम जिस प्रश्न का भी उत्तर देते हो वह उत्तर यही होता है कि इस सोसाइटी में इतना गबन हुआ और उसे मुअत्तल किया गया है आदि तो क्या सिवाय गबन के इसमें और भी कुछ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी की विशेष तवज्जह इस ओर देनी चाहिये। अगर प्रदेश का सच्चा हित और प्रदेश में निर्धनों का सच्चा हित करना है इसके माध्यम से, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इस को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध किया जाय और अशुद्धता के कारणों की खोज की जाय। जो आदमी भ्रष्ट हों चाहे वह सरकारी हों, गैरसरकारी हों अथवा सहकारिता विभाग के हों, उनकी सफाई हर हालत में की जानी चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने यह भी रख दूं कि इस कोआपरेटिव अथवा करप्शन विभाग में एक विंग मिनिस्टर बनाते हैं जिसको वह पोलिटिकल विंग कहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भूतपूर्व मंत्रियों से शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश न करें। अगर कोई बुराई किसी मंत्री ने की है और उन्होंने सहकारिता विभाग में पोलिटिकल विंग बना कर अपने पोलिटिकल एन्डस की पूर्ति के लिये प्रयत्न किया है तो इस बात की चेष्टा नहीं होनी चाहिये कि वे भी आज यहां अपना एक पोलिटिकल विंग बना लें।

जहां तक इस प्रदेश में कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का सवाल है, वे १९९ सोसाइटियां ३० जून, १९६६, तक थीं। ५ सोसाइटियां इस वर्ष बढ़ी हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो आप यह देखेंगे कि इन सोसाइटियों की ज्यों-ज्यों संख्या बढ़ी है और ज्यों-ज्यों इनके सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उसके साथ ही उनका कारबार भी घटता हो गया है।

सदस्यों की संख्या बढ़ी, कारोबार की मात्रा घटती गयी। तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। ६५ लाख मन से अधिक का कारोबार ६०-६१ में था और निरन्तर उसके बाद घाटा आया है, जब कि सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है, मार्केटिंग सोसाइटीज की संख्या भी बढ़ी है। ६१-६२ में बढ़कर २१८ मार्केटिंग सोसाइटीज हो गयीं किन्तु उसी अनुपात से उनके कारोबार की मात्रा घटती चली गयी और ३० जून ६६ को केवल १२ लाख क्विंटल की ही कारोबार की मात्रा थी। श्री गौतम जी ने एक बात याद दिलायी। ६०-६१ में जब गौतम जी का मंत्रित्व काल समाप्त हुआ कारोबार का टाप पीरियड था, और उसके बाद हर वर्ष घटता चला गया। ये आंकड़े क्या साबित करते हैं? मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये से कृषकों को अधिक से अधिक सेवा होनी चाहिये और जिनकी भलाई के लिए वे बनायी गयी हैं उनकी ओर उनका विशेष ध्यान जाना चाहिये।

उसके अलावा सन् ५८ में वेयर हाउसेज कायम हुए हैं। अभी तक कुल ७० लाख मन अनाज वहां रखा गया था और १०,४३,००० क्विंटल ३० जून, ६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनाज रखा गया है। लेकिन हम इस मात्रा की तरफ न जायें, कि ३० जून तक १०,४३ हजार मन रखा गया है, बल्कि जिन कृषकों की भलाई के लिए यह योजना चालू की गयी थी, उन कृषकों का अनाज कितना है और फर्म्स और दूकानदारों का कितना है। अगर मन्त्री जी आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलेगा कि शायद ५-७ फीसदी कृषकों का अनाज रखा गया हो और ९३-९४ प्रतिशत फर्म्स ने अपनी पैदावार को रखा है। तो क्या फर्म्स की भलाई के लिए आपके भण्डार गृह बनाये गये थे हरगिज नहीं। कृषकों की फसल को रखकर उनको शोषण से बचाने के लिए भंडार गृह कायम किये गये थे। मैं आपके जरिये से मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृषकों की कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करें जिन के कारण वह पैदावारों को भंडार गृहों में रखने में असमर्थ हैं। १४२८ के करीब सीड भंडार हैं, उन्होंने २५ लाख मन के करीब सीड बांटा। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो प्रगति

रिपोर्ट दी जाती है कि कितने मन सीड बटा, इन आंकड़ों से आप कृषक की सेवा नहीं कर सकेंगे और पैदावार को नहीं बढ़ा सकेंगे अगर इन सीड स्टोर्स के जरिये 'ए' क्लास का सीड कृषकों को आज तक न दिया जा सके। आपके जितने सीड स्टोर्स हैं उन में १० फीसदी 'ए' क्लास का सीड बंटा है और ७० फीसदी के करीब सी क्लास का बंटा। तीन रुपया मन इस बीज को रिप्लेस करने के लिए बजट में प्राविजन करते हैं। लेकिन प्रति वर्ष उस बीज को बदलने की कोशिश नहीं होती है और वह रुपया सरकार को वापस चला जाय यही कोशिश की जाती है। फिर क्यों इतने रुपये का प्राविजन रखा जाता है और रक्खा जाता है तो क्यों उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों खराब बीज को अच्छे बीज में परिवर्तित नहीं किया गया इस की आप जांच करायें। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए "ए" क्लास सीड बांटा जाय, इस ओर ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं लैन्ड डेवेलप्मेंट बैंक की तरफ आप के जरिये से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् ६० में लैन्ड डेवेलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कृषकों ने बड़ी आशायें रक्खीं थीं कि जिन कठिनाइयों को वे बरदाश्त करते चले आ रहे थे, वे सोचते थे कि उनका निराकरण होगा, उन बैंकों से। जब वे कर्ज के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो उनको साल भर से अधिक ऋण प्राप्त करने में लग जाता है। कितनी ही दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, और अनेकों मौकों पर कितनी ही रिश्वतें अनजान कृषकों को देनी पड़ती हैं यह किसी से छिपा नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट एवं निश्चय के अनुसार कृषकों को जो अनेकों कागजात भरने पड़ते थे, वे सब हटा दिये गये हैं और आइन्दा दो महीनों के अन्दर ही कृषकों को कर्जा मिल सकेगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जनवरी और फरवरी में बुलन्दशहर में लैन्ड डेवेलपमेंट बैंक के माध्यम से कृषकों को जो सुविधायें प्राप्त हुई हैं उस के तरीके को खोज निकालें कि वह कौन सा तरीका था जिस से लैन्ड डेवलपमेंट बैंक के पुराने तरीके को होते हुए भी वे शीघ्रता से कर्जा वहां हासिल कर सके। इस के अलावा इस ऋण पर साढ़े आठ फीसदी इन्टरेस्ट का सवाल है। ६ फीसदी इन्टरेस्ट पर रिजर्व बैंक कर्जा देता है दस लाख छः हजार के करीब लैन्ड डेवलपमेंट को गत वर्ष फायदा हुआ है। माननीय मन्त्री इस बात पर भी गौर करें कि किसी प्रकार इसका रेट आफ इन्टरेस्ट कम किया जाय और काश्तकारों को फायदा पहुंचाया जा सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बैंक फायदा या मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि कृषकों की सेवा करने के लिए है। एक प्रार्थना मैं और भी करना चाहता हूं कि आज मध्यकालीन ऋण की सब से अधिक आवश्यकता कृषकों को है और यही सब से कम मिलता है। अगर आप मध्यकालीन ऋण का इजाफा कर सकें तो अवश्य ही करें। इस से आप कृषकों की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। आज जितने भी कर्ज बांटे जाते हैं उन में फर्जी एन्ट्रीज बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। यह अब तक क्यों नहीं रोका जा सका है। यह किस प्रकार आगे रोका जा सकेगा इस पर एक्सपर्टस् द्वारा खोज करवायें। आज जो सुपरवाइजर्स पांच फी सदी लेकर फर्जी एन्टरी करते हैं उस से काश्तकार का विकास नहीं होता है इससे तो उस पर कर्ज का और बोझ बढ़ता है। मैं आशा करूंगा कि जो फर्जी ट्रान्जक्शंस होते हैं पांच फी सदी जो एक्सट्रा काश्तकार को देना पड़ता है इससे भी काश्तकार के हित की रक्षा की जाय। ५ अक्तूबर, सन् ६०, में नया कोआपरेटिव का ऐक्ट सदन में पेश किया गया और पास हुआ सितम्बर, ६५ में। पांच साल तक उस एक्ट पर क्या होता रहा। इसको तो वे आदमी बता सकेंगे। जिनके जमाने में पांच साल तक वह पड़ा रहा। क्या उसमें इन्टरेस्ट नहीं था? इसके अलावा यदि वह ऐक्ट सन् ६५ में भी पारित कर दिया गया था तो करीब दो-दो साल में उसके रूल्स क्यों नहीं बने। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। माननीय मन्त्री जी इस की जिम्मेदारी की जांच करायें। मकसद यह है कि यह कानून जल्द से जल्द लागू कर दिया जाय इससे कृषकों की सही सेवा होगी। प्रदेश में आज २९० लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके ४,८३८ मेम्बर हैं और उन्होंने ३, ३७ हजार रुपया का काम इस प्रदेश में किया है। १९६१ से १९६६ तक बनी २९० समितियों द्वारा

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

केवल ३ लाख ३७ हजार रुपये का काम किया। इससे साफ प्रकट है कि जिन उद्देश्यों को लेकर लेबर सहकारी समितियां बनायी गयी थीं, उतनी प्रगति उस दिशा में नहीं हुई है। इस तरह से जितनी सहकारी समितियां शिथिल पड़ी हैं उन को जिन्दा करने की जरूरत है, उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है, और उनको ज्यादा से ज्यादा काम देने की जरूरत है। इस तरफ भी मैं अपने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके अलावा अब मैं करप्शन सम्बन्धी कुछ बातें कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव सोसाइटीज में अगर कहीं बेईमानी होती है तो बेईमानी करने वाला कर्मचारी यह कहता है कि अगर बेईमानी की बात आप समझते हैं तो आरबिट्रेशन में ले जाइये इस तरह से आरबिट्रेशन में साल साल भर पीरियड निकल जाता है और उसका कुछ जवाब तक नहीं मिल पाता। न जाने कितने केसेज वहां आरबिट्रेशन के अन्दर पड़े हुए हैं। अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज से अपने वेस्टेड इन्टरेस्ट को खत्म करना चाहते हैं, अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि आरबिट्रेशन नियमों की तरफ विशेष तवज्जह किया जाना चाहिये जिससे ऐसी बुराई निकल सके।

मेम्बरशिप के आंकड़े प्रति वर्ष हमारे सामने रखे जाते हैं। अगर कोई पति किसी सोसाइटी का मेम्बर है तो उसकी धर्म पत्नी भी मेम्बर है और उसके लड़के भी इस तरह से सारा परिवार ही एक कोआपरेटिव सोसायटी का मेम्बर हो जाता है तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा, जब कि कोआपरेटिव सोसायटी में जितने भी परिवार सदस्य बढ़ते जायेंगे, हमारे सहकारिता का कार्य अधिक होगा। इस तरफ ज्यादा तवज्जह दी जानी चाहिये।

अब मैं कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के बारे में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आज हमारे प्रदेश में १३६० कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हैं जिनके सदस्य करीब २६,५०० हैं। उनमें से ४० प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि है और २७ प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास ३ १/८ और ६ १/४ एकड़ से कम भूमि है। ऐसी हालत में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि माननीय रमशंकर जी ने कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज के लिए जो कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरी राय में साधन विहीन अलाभकर जोत वाले कृषकों की भलाई के लिए सहकारी कृषि से उत्तम और कोई योजना नजर नहीं पड़ती है। माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए यह नया काम है, नये रजिस्ट्रार हैं और नयी जिम्मेदारी उनके कन्धों पर आयी है। कोआपरेटिव सोसाइटीज का यदि आप भ्रष्टाचार शुद्ध करना चाहते हैं तो उनको शुद्ध करके प्रदेश के निर्धन जनता की सेवा करने के पुण्य भागी बनें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह सहकारिता आन्दोलन प्रजातन्त्र का मूलभूत सिद्धान्त है और अगर हम समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं तो सहकारिता उसकी पहली सीढ़ी है। इसी के जरिये समाजवादी समाज कायम हो सकता है जो हमारे देश का उद्देश्य है। (डेमोक्रेटिक सोशलिज्म) प्रजातांत्रिक समाजवाद यदि हम वास्तव में कायम करना चाहते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो सहकारिता पर हमें सबसे अधिक जोर देना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे नये सहकारिता मंत्री भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। उनमें लगन है, जोश है और इस तरफ उन्होंने काम भी किया है। मैं कोई गर्मी नहीं लाना चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा अनुभव इस विभाग का रखते हुए मंत्री जी को यह सलाह देना चाहता

हूं कि जोश में इतना ज्यादा न आजावें कि वह चीज ही खत्म हो जाय जिसे वह बढ़ाना चाहते हैं। कहीं-कहीं गड़बड़ी हो सकती है और है, लेकिन जहां इतने आदमी काम करते हों, सरकारी और गैरसरकारी, वहां गड़बड़ियां हो सकती हैं। मुझे संकोच था इस विभाग पर बोलने में क्योंकि मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि जो जिस विभाग में मंत्री रहा चुका हो वह उसके बारे में आलोचना करे। लेकिन कुछ न कुछ और कभी न कभी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है। कुछ बातें ऐसी आईं, इसलिए मैं चन्द बातें कहने के लिए खड़ा हुआ।

सहकारिता आन्दोलन सार्वजनिक आन्दोलन है। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें लिखा है कि साधन सहकारी समितियां, ग्रामीण समितियां, कर्जा देती हैं, उनकी संख्या ५० लाख से ऊपर है और उनकी सदस्य संख्या ७२ लाख से ऊपर है, और भी सोसाइटियां हैं जिनकी सदस्य संख्या शायद १०, २० लाख तो होगी ही। अगर इन समितियों में परिवार का एक आदमी ही शामिल होता है तो यह माना जा सकता है कि कम से कम ८०, ९० लाख आदमी इस प्रदेश में सदस्य हैं, तो हमारे देहात की ४ ।। करोड़ जनता जो देहात में रहती है, साधनहीन है, निरक्षर है, वह सदस्यता आन्दोलन में आ गई। एक तरह से सारी जनता सदस्यता आन्दोलन में है। तो आमतौर पर जब वह भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि जनतंत्र का पहला सिद्धांत वह हनन कर रहे हैं क्योंकि जनता का यह मानना यह सिद्ध करता है कि हम प्रजातंत्र नहीं मानते, इरादतन नहीं, अपने जोश में। लेकिन यह बात अकेले सहकारिता में ज्यादा है, यह मैं नहीं मानता हूं। उन्हें दुरुस्त कीजिए, लेकिन अकेले सहकारिता में यह बात नहीं मिलेगी। पंचायत विभाग को देखिए। पंचायत मंत्री भी अगर उस विभाग का यहां विश्लेषण करते इसी तरह से, तो मुझे इसमें शक नहीं कि उसकी भी तस्वीर बहुत कुछ अच्छी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इससे प्रजातंत्र और समाजवाद के सिद्धांत को कोई बल नहीं मिलता है।

ग्रामीण सहकारी समितियों की अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी। ३२८ करोड़ रुपये से ऊपर ऋण दिया गया साधन सहकारी समितियों से और दूसरों से। इसके अलावा यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की पूंजी ३० करोड़ से ऊपर है। इस तरह से आप देखें कि कुल ३५० करोड़ रुपये के ऊपर पूंजी आपकी सारी संस्थाओं को मिलाकर है। इसमें अगर १ करोड़ ३३ लाख की गड़बड़ी मिली है, तो यह रकम तो बहुत बड़ी है लेकिन अगर उसका प्रोपोरशन लगावें तो कोई बड़ी नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी संस्था की या किसी भी विभाग की आप इस तरह से रिपोर्ट लें तो इसी प्रकार से आपको रेशो मिलेगा। इससे थोड़ा कम या ज्यादा मिल सकता है। भ्रष्टाचार को हमें कड़ाई से दूर करना चाहिए चाहे जहां हो। लेकिन उसके साथ वह यह न भूल जायें कि जो चीज है वही कहीं उससे खत्म न हो जाय। मैं यह नहीं मानता हूं कि सहकारिता मंत्री के विभाग में ऐसी बात है लेकिन झलक कुछ ऐसी दिखलाई पड़ती है। किसी के साथ में दर्द है और उसे मिटाने के लिए उसके गले में रस्सी डालकर खींच दी जाय तो उससे उसकी जान ही निकल जायगी, वह खत्म हो जायगा, बजाय इसके कि हाथ का दर्द दूर हो। वित्त मंत्री जी ने सहकारिता विभाग के लिए कहा कि किसानों को ज्यादा कर्जा दिया जायगा और जल्दी देने का प्रयत्न किया जायगा। दूसरी बात यह कही कि उनकी पैदावार की बिक्री सहकारी समितियों द्वारा कराई जायगी। बाकी सारी चीज उन्होंने गड़बड़ी में छोड़ दी। सहकारिता मंत्री तो उनसे और भी आगे बढ़ गये। उन्होंने नई दिशा कोई नहीं बतलाई। अंग्रेजों के समय सहकारी समितियों पर यही लांछन था कि ये कर्जा देने की समितियां बन गई हैं, इनको जनता की समितियां बनाना है। अगर इनको जनता की समितियां बनाना है या लोकतंत्रीय उन्हें बनाना है तो जरूरी है कि उनके सदस्यों को काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। शीर्षक संस्थाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना काम चलाने में। अगर इसमें बाधा होती है तो इससे सहकारी आन्दोलन को चोट पहुंचती है। हो सकता है कि सहकारिता मंत्री के इसके बारे में कुछ अपने विचार हों। आज मैंने अखबार में नाना साहेब

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

का बयान पढ़ा जो उन्होंने कानपुर में दिया, विशेषकर कानपुर में। उन्होंने कहा कि जन संघ ने जो अपने आदमियों के नामांकन किए हैं वह करना जरूरी था, वाजबी है ताकि वे वहां जाकर गड़बड़ियों को रोक, गड़बड़ियों को जन संघ के लोग ही रोक पायेंगे या विभागके लोग रोक पावेंगे, या विभाग के अफसर रोकेंगे या जो और कोई एजेंसीज हैं इसके लिए वे रोकेंगी ? क्या इनका मतलब है ? जिला बैंकों में नामीनेशन खास तौर से इसलिए होते हैं कि उनमें जो सरकारी पूंजी लगी हुई है, जिसमें रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक देते हैं, सरकार देती है, उसका मंशा यह है कि वह यह देखें कि रुपया सही तरीके से इस्तेमाल होता है, सुरक्षित है या नहीं। मैं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि फाइलें देखने की कोशिश करें, तो उन्हें मालूम होगा कि मैंने अपने समय में इन नामीनेशन्स को बांध दिया था। यह कर दिया था कि ३ नामीनेशन्स में १ ए० आर० होगा, एक रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक का आदमी होगा और एक आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रिप्रेजेन्टेटिव उसका प्रेसीडेंट होगा चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में कोआपरेटिव्ज के आदमी जाते हैं। एक साल इस पर अमल भी हुआ। मुझे खेद है कि उन्होंने इस मिसाल को देखने की कोशिश नहीं की और अपने नामीनेशन्स करके, चाहे वे सही हों या गलत, इतना बड़ा लांछन अपने ऊपर ले लिया। नतीजा यह हुआ कि आपके नामीनेशन करने से कुछ हौआ सा फैल गया देहात में। अगर आपको अपने आदमियों से काम लेना है तो उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, बढ़ावा दो, चाहे वे सरकारी लोग हों या गैरसरकारी लोग हों। चाहे जितनी निकम्मी फौज हो, जितने भी अच्छे जनरल हैं वे उनको बढ़ावा देकर, उनसे काम लेते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया है कि सरकारी और गैर सरकारी लोगों में अब कोई उत्साह ही नहीं रह गया है। ९० दिन की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के खिलाफ ९० रिट दायर हो गये हैं जिनमें अधिकतर कोआपरेटिव विभाग के विरुद्ध हैं। जिस जुडीशियरी को आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वह सरकार के मामले ही तय करती रहेगी, यह ठीक नहीं है।

लेकिन होना क्या चाहिये ? इस सहकारिता आन्दोलन का मतलब है नीचे की जनता को शोषण से बचाना। यह शोषण दो प्रकार के लोगों के द्वारा होता है--एक व्यापारी वर्ग और दूसरा प्राइवेट सेक्टरों के मिल-मालिकों से सहकारिता को इसलिये आप इसको जो बदनाम कर रहे हैं उससे यह शक होता है कि आपका प्रभाव नगर के व्यापारी वर्ग में अधिक है इसलिये आप सहकारी सेक्टर को खत्म करके उनको बढ़ावा देना चाहते है और इसीलिये आप इसको बदनाम कर रहे है ताकि भ्रष्ट भ्रष्ट कह कर उसको आप खत्म कर दें।

नीचे के वर्ग के लोगों को आप सहायता देना चाहते हैं तो जो रिक्शा चालक है जिसका सबसे अधिक शोषण होता है। उन लोगों की आप सहकारी समितियां बनायें जिससे उनका शोषण कम हो। इसी प्रकार मजदूरों को सहकारी समितियां बनानी चाहिए और उनको निर्माण के कामों में ठेके दिए जाने चाहिए। इससे बीच वालों को मुनाफा होता है वह खत्म हो जाय। इस प्रकार से भूमिहीनों की सुसाइटीज भी बनानी चाहिए और उनको जमीन देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की चीजें आपने इसमें कोई नहीं रखी और न किसी का जिक्र ही किया।

इसके अलावा आज मैंने नानाजी देशमुख का कि एक वक्तव्य पढ़ा जो उन्होंने कानपुर में कदाचित् व्यापारियों के बीच में दिया है। इससे शक होता है कि कहीं इस आन्दोलन को ही खत्म करने के लिये तो यह नहीं किया जा रहा है, जो समाजवाद की रीढ़ है। यह जनसंघ जो अधिनायकतावाद में विश्वास करता है उसको तो समाजवाद लाना नहीं चाहता। उसीका नतीजा यह है कि जनसंघ की ओर से जो यहां कारपोरेशन के मेयर रह चुके थे (श्री रसतोगी) उन्होंने जनसंघ को इसलिये छोड़ दिया कि उनको नाना साहब डिक्टेटरशिप में जनतांत्रिक तरीके से काम करने में दम घुटता है। इससे उनका मतलब साफ मालूम होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जब जब तक वर्तमान मंत्री जी इस मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं तब तक उनको इस विभाग को उसी स्पिरिट

से चलाना चाहिए जिस स्पिरिट से अभी तक चलाया जाता रहा है अथवा मुख्य मंत्री जी को उनके योग्य कोई दूसरा विभाग दे देना चाहिए ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है । इसके पूर्व मैंने दो भूतपूर्व माननीय सहकारी मंत्रियों के भाषणों को सुना । मुझे उनसे अपेक्षा थी कि वह अपने अनुभव से सरकार और हमारे मंत्री जी को लाभान्वित करेंगे और अच्छे सुझाव देंगे लेकिन आज यहां के डिबेट का जैसा स्टैन्डर्ड होना चाहिये था वैसा न हो कर सारी बहस आरोप और प्रत्यारोप पर ही आधारित रही । कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य ने जो एक बात कही वह यह कि जनसंघ का तो सहकारिता पर विश्वास ही नहीं है और इसलिये शायद आगे चलकर सहकारिता पर से लोगों की आस्था ही समाप्त हो जाय और इसी कारण से सहकारिता मंत्री जी ने जगह जगह छापे मारे और वह भ्रष्टाचार के केसेज को पकड़ने के लिये आगे बढ़े । मेरा विचार है कि शायद ऐसा कहने से पहले माननीय सदस्य ने जनसंघ की विचारधारा को समझने की कोशिश नहीं की। जनसंघ तो सच्ची सहकारिता में विश्वास करता है और उसका प्रबल मत है कि देहात और गरीबों की उन्नति और आर्थिक दशा का सुधार सहकारिता के आधार पर ही हो सकता है । लेकिन सहकारिता की आड़ में यदि कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट्स का ही लाभ हो और कुछ दलों के चन्द लोगों को ही लाभ हो और उन्हीं के लाभ के लिए सारे कदम उठने लगें तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इससे लोगों की सहकारिता में आस्था खत्म हो जायगी, जन आस्था तो उसमें और बढ़ेगी । इस विभाग से मेरा भी २५ साल से संपर्क रहा है, मैं भी मैनेजिंग डायरेक्टर एक संस्था का रहा हूं और मुझे लज्जा लगती है जब जनता के लोग कहते हैं कि आप भी इसमें हैं जैसे कि सहकारी आन्दोलन कोई घृणित चीज हो गई है । यदि मंत्री जी ने इन बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया है तो उनके प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । यदि यह सहकारिता का आन्दोलन सही दिशा में चल रहा है तो पिछले २० सालों में प्रदेश में प्रगति क्यों नहीं हुई, साधन सहकारी समितियां कृषकों के लिए बनाई गईं, करोड़ों रुपये का लोनिंग हुआ और तमाम कारोबार खोला गया और प्रदेश में अधिक उत्पादन के लिए अनेक उपाय किए गए तो फिर क्यों खेती की समस्या और खाद्य की समस्या हल नहीं हुई ? अगर नहीं हुई तो जरूर कहीं कमी है, जरूर इस कार्य का मिसयूटिलाइजेशन हो रहा है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा हमें यह देखना होगा और जितने जहां भी लोप होल्स हैं उनको प्लग करना है । जो ऋण कृषकों को दिया जाता है उसका सही मानों में उपयोग होना चाहिए । मेरा सुझाव है कि इस सबकी छानबीन के लिए एक इवेल्यूएशन कमीशन बिठाया जाय जो देखें कि यह जो करोड़ों रुपया दिया गया और लोनिंग हुआ उसके बावजूद क्यों खाद्य समस्या हल नहीं हुई और भिन्न-भिन्न सहकारिता समितियों में कहां कहां क्या क्या कमी है इन कमियों और खामियों को कैसे दूर किया जाय । इन बीज और खाद देने वाली सहकारी समितियों द्वारा वितरित पैसे का प्रापर यटिलाइजेशन नहीं हुआ और इस की वह कमीशन जांच करे, उस कमीशन में रिजर्व बैंक के, और दूसरी बैंकों के एक्सपर्ट लोगों तथा सदन के सम्मानित सदस्यों को रखा जाय ताकि यह खामियां दूर हो सकें । इस पर शासन को अवश्य विशेष ध्यान देना चाहिये ।

एक और बात जिसके ऊपर सदन में कई दिन से जोरदार चर्चा हो रही है वह नामिनेशन के बारे में है । अभी माननीय चतुर्भुज जी शर्मा बोल रहे थे और उन्होंने कानपुर में नाना जी के बयान का जिक्र किया लेकिन उन्होंने उसके आधे भाग का ही उल्लेख किया और उसके दूसरे भाग को नहीं लिया । माननीय नाना जी ने यह भी कहा था कि सहकारी समितियों में कोई नामिनेशन नहीं होना चाहिये । जन आन्दोलनों में शासन का कोई नामिनेशन करके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । इसके बारे में माननीय सहकारिता मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा

[श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा]

कि भविष्य में यदि संभव हो सके तो वहां के स्थानीय व्यक्तियों को जिनका बहुमत हों, उन्हीं के द्वारा संस्था चलाई जाये। शासन का तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। कितने ही बैंक सुपरसीड हुए और वहां पर विशेष गुट के लोगों को ही नामीनेट अब तक किया गया ऐसा कहना उनको शोभा नहीं देता जिनकी चादर स्वतः साफ नहीं है। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता हूं।

एक विशेष बात जो माननीय मंत्री जी ने कही वह सुपरवाइजर और एकान्टेंट्स के बारे में है। इस बारे में गवर्नमेंट की नीति अब एक सही दिशा में है। पहले कांग्रेस के शासन काल में इसमें भी बड़ी गड़बड़ी थी। आज इस डिऔफिशियलाइजेशन के समय में इसकी आवश्यकता है कि शासन का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। इससे सही दिशा में एक मोड़ आयेगा और कोआपरेटिव सोसाइटीज का डेवलपमेंट हो सकेगा।

एक विशेष बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है ओवर लोनिंग की। किसान जब भी लोन लेता है तो हर बार उसको लेखपाल, कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो के पास भागना पड़ता है। किसान को कई जगह से अपनी भूमि पर कर्जा लेना पड़ता है। इसके लिये यह प्रबन्ध होना चाहिये कि किसानों को एक पास बुक दी जाय जिसमें उनकी जमीन का ब्योरा, हैसियत तथा उस पर भार का उल्लेख हो, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसानों की कितनी हैसियत है और कितना उसे लोन मिल सकता है, ताकि ओवर लोनिंग न हो सके।

एक बात की ओर और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देहातों में सिंचाई के साधन बड़े सीमित हैं और अगर वहां पर जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं कोई कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स की योजना बनायी जाय तो बहुत अच्छा हो। जिनके पास खेती के लिये काफी भूमि है वे लोग तो अपने ट्यूबवेल्स बना लेते हैं लेकिन जिनके पास कम भूमि है और वे ट्यूबवेल्स नहीं बना सकते हैं, उनके लिये कोआपरेटिव आधार पर ट्यूबवेल्स की कोई योजना बनायी जाय जिससे वे लोग भी अपने खेतों की सिंचाई कर सकें।

एक और विशेष बात है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि जो लोन देहातों में दिया जाता है उसका प्रापर युटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मेरा निश्चित मत है और एक बैंक के प्रबन्धक संचालक और विधायक की हैसियत से मेरा अनुभव भी है कि वह रुपया जो बैंकों से विशेष काम के लिये लिया जाता है वह प्रोडक्टिव परपज में नहीं लग पाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार का कोई नियम बनायें कि जिस काम के लिये रुपया लिया जाता है, उसे उसी काम में लगाया जाय अन्यथा उसकी तुरन्त रिकवरी की जाय। यदि इस ओर माननीय मंत्री जी कुछ सुधार कर दें तो निस्संदेह ही हमारी पैदावार बढ़ सकेगी।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुए।)

विभाग की रिपोर्टों में बड़े-बड़े आंकड़े दिखाये जाते हैं। जो विभाग को ऊपर से देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि बहुत उन्नति हो रही है लेकिन जो इसके अन्दर हैं वे समझते हैं कि इस विभाग की क्या स्थिति है। मैं यह समझता हूं कि बहुत कुछ ऐनर्जी वेस्ट होती जाती है। इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि जो व्यवहार हो उस में एक परिवर्तन आना चाहिये। विभाग के अधिकारी वर्ग और सरकार से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसे आदेश प्रसारित होने चाहिये कि जो पुरानी दोषी प्रणाली है उसको दूर करके एक नव निर्माण के लिये अग्रसर हों और एक मिशनरी स्प्रिट से उन को काम करना चाहिये।

श्री हिम्मत बहादुर (जिला वाराणसी)——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं इसलिये कि हमने जो आय-व्यय का चिट्ठा देखा उस से मुझे आभास हुआ कि पिछले वर्षों में जो बजट था उसमें हर एक मद में कटौती की गई है। मैं तो समझता था कि हमारे मंत्री जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कुछ बजट में बढ़ाने की मांग करेंगे। लेकिन बजट देखने पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि इस आन्दोलन की प्रगति के लिये यह अच्छा बजट नहीं है। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन जन आन्दोलन है। जनता का जो आन्दोलन होता है वह उसी के अनुरूप चलता है। इस का मुख्य लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। जनतंत्र की सफलता कोआपरेटिव के द्वारा ही हो सकती है, इसमें दो रायें नहीं है। लेकिन इस के लिये आवश्यकता है साख की। सहकारी आन्दोलन के मूल में सदस्यों की साख होती है और जितनी ही अच्छी साख होगी सहकारी समितियां उतनी ही अच्छी चलेंगी। रोज सुन रहा हूं २० वर्षों के शासन को दोष दिया जा रहा है। मैं जानता हूं जनतंत्र की सफलता के लिये और समाज के नव निर्माण के लिये आवश्यक होता है कि जो विरोधी दल होता है उसका भी कुछ कार्यकलाप होता है। उस की शिष्टता से ही समाज की शिष्ट रचना होती है। लेकिन मैंने देखा आजादी के बाद का जो इतिहास रहा है वह ऐसा रहा है जो जनतंत्र के लिये कोई अच्छा नहीं रहा है क्योंकि विरोधी पार्टियां जो रही हैं उन्होंने समाज की अच्छी रचना में कोई मूलभत सहयोग नहीं दिया है। यही कारण है जब हम समाज में जाते हैं तो नाना प्रकार के विकृत लोग मिलते हैं, जिनको आज भी प्रश्रय मिल रहा है। आन्दोलन की जड़ में एक खास बात है, जो जन-आन्दोलन हो उस में कमियां तो होंगी क्योंकि यह तो जनता की कमी है उसी वर्ग के लोग आया करते हैं जिन में कमियां और अच्छाइयां हैं। जो अच्छाइयां काफी हद तक हैं इस को हम स्वीकार करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि सहकारी आन्दोलन का चतुर्मुखी विकास हुआ है और यह हमारे देश के लिये, प्रांत के लिये एक अच्छी बात है। लेकिन इस में जो खराबियां हैं उन को दूर करना आवश्यक है। कोई भी आन्दोलन जो होता है उसमें हमने देखा है कि जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जब भी उसमें कोई खराबी आयी तो महात्मा गांधी ने उस के लिये उपवास किया। तो अगर कोई खराब चीज आती है तो वह आन्दोलन खराब है, उस की प्रगति में बाधा हो सकती है, यह कहना उचित नहीं है। आवश्यकता यह होती है कि उन बुराइयों को दूर किया जाय। लेकिन मैंने जब मंत्री जी का भाषण सुना तो बड़ा दुख हुआ। हम लोग बीसियों वर्ष से सहकारी आन्दोलन में भाग लेते आ रहे हैं। इसको चलाने के लिये रूल्स तथा ऐक्ट बने हुये हैं जिनके द्वारा हम खराबियां दूर कर सकते हैं। जैसे हिसाब किताब की गड़बड़ी हो, चुनाव की गड़बड़ी हो तो आर्बिट्रेशन का क्लाज बना हुआ है जिसके द्वारा हम ठीक रास्ता निकाल कर फैसला कर सकते हैं ताकि यह आन्दोलन प्रगति की ओर चले। हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि गड़बड़ी दूर हो। हमने भी गड़बड़ियां पकड़ी हैं लेकिन हम केसेज पुलिस को बहुत कम देते रहे हैं क्योंकि हम जानते थे कि इससे कोई विकास होने वाला नहीं है। पुलिस में मामला देने से अथवा कोर्ट में जाने से यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता, उसके विकास में बाधा पड़ती है। लेकिन आज कल जो कदम यह सरकार उठा रही है वह विकासोन्मुख कदम नहीं है, उससे आन्दोलन का ह्रास हुआ है। मंत्री जी इन बातों को समझ कर ऐसा कदम उठायेंगे जिससे इस आन्दोलन की प्रगति हो।

नामजदगी की बात कही गयी। समय-समय पर नामजदगियां होती हैं और होती रहेंगी लेकिन अगर हम सहकारी संस्थाओं की नियमावली पढ़ें तो कायदा यह है कि नामिनेशंस बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में होते हैं। कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिनमें सहकारी कर्मचारियों के

[श्री हिम्मत बहादुर]

नामिनेशंस किये जाते हैं। उनमें संचालक मंडल अगर कायदा नहीं जानता है तो सरकारी कर्मचारी राय देता है। लेकिन इस सरकार ने वहां कायदे के खिलाफ काम किया और सरकारी कर्मचारियों को नामिनेट नहीं किया, उनकी जगह पर प्राइवेट लोगों को नामिनेट कर दिया गया है।

मैं स्वयं एक संस्था का अध्यक्ष हूं। वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार नामिनेट होते आये हैं। मेरा सुझाव है कि जहां पर सरकारी कर्मचारी नामिनेट होते आये हैं और वहां पर उनको नामिनेट करना नितांत आवश्यक है वैसे आज आप जो परिपाटी चालू करना चाहें चालू करें। जो यह आन्दोलन सहकारिता का चल रहा है इसमें एक नई क्रांति की जरूरत है। कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ त्याग और सूझ बूझ तथा अनुभव की जरूरत है। अनुभव के बिना कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता।

सहकारी आन्दोलन का एक अंग सहकारी पर्यवेक्षक है लेकिन सरकार ने उसकी अवहेलना की है। उनको वेतन बहुत कम मिलता है जिससे वे ठीक कदम नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि उनकी सर्विसेज प्राविंशियलाइज कर दी जायं और उनका वेतन बढ़ा दिया जाय इससे यह आन्दोलन सफल होगा। अगर सहकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जाता है तो भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि सहकारी शिक्षा की कमी है। सहकारी पर्यवेक्षक गांव में रहता है और सारा काम भी वही करता है। अगर उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें न्याय का दृष्टिकोण तथा त्याग की भावना नहीं है, लगन नहीं है तो हमारे इस आन्दोलन को बढ़ावा नहीं मिल सकता है और मैं समझता हूं कि हमारे जो सभी साथी सहकारी आन्दोलन में भाग लेने वाले हैं उनका भी भी ऐसा ही विश्वास होगा।

मान्यवर, यह जो वातावरण चल रहा है जिसमें दोषारोपण किये जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सहकारी आन्दोलन के लिये या किसी भी आन्दोलन के लिये यह बढ़िया रास्ता होगा। मैं जानता हूं, यह सिद्धांत की बात है कि दोषारोपण करने से कोई स्वच्छ वातावरण नहीं बनने वाला है। दोषों को धीरे-धीरे निकालने की आवश्यकता है और उनको ऐसे रास्ते की ओर मोड़ने की आवश्यकता है जिससे कि उनका बढ़ाव रुक सके। गबन के जितने केसेज मंत्री जी द्वारा उद्धृत किये गये, मेरा ऐसा विश्वास है कि उनमें से बहुत से कैसेज तो पुराने समय से चले आ रहे हैं जो कि हम लोगों ने स्वयं पकड़े थे। तो सहकारी विभाग के कार्यकर्ता हमेशा जागरूक रहे हैं। लेकिन समाज के लिये क्या किया जाय। पिछले बीस वर्षों का इतिहास इस बात का सबूत है कि जहां भी हमने कड़ाई की वहां आपने ऐसे लोगों को बल दिया कि हमारी कड़ाई न चल पाये। आपने जो दोषारोपण किया कि बहुत-सी ऐसी संस्थायें हैं जो कागज पर बनी हुई है और उनको कर्जा दिया गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोग भी आपके अन्दर मौजूद हैं। आप अगर सफाई करना चाहते हैं तो आपको मैं सबूत दूंगा। हमें विश्वास है कि आप अगर सही ढंग से इस आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो जितना पैसा आपने बजट में मांगा है वह बहुत कम है और इससे वास्तविक प्रगति कभी भी नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता के मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ अपने उधर के बैठने वाले लायक दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं और कुछ अपनी सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी अपने सुझाव देना चाहता हूं। हमारे भाई अभी बोल रहे थे, मैं तो उनके भाषण से बड़ा प्रभावित हुआ। सदन में हुई अभी तक की बहस से मुझको कुछ ऐसा लगता है कि सहकारिता

आन्दोलन दो बातों पर मुनहसिर है। एक तो इस पर कि नामांकन कौन करे। कांग्रेस करे, या जनसंघ करे या संसोपा करे या प्रसोपा करे। और दूसरा यह कि किसने टाट फट्ठा चुरा लिया, कितनी चीनी खायी और कितना कपड़ा ले गये। मेरे साथी माननीय हिम्मत बहादुर ने जो अभी भाषण किया मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं और मैं बिल्कुल उस राय का हूं। इस किताब में लिखा हुआ है, आपको भी यह मिली होगी, हमारे लायक दोस्त बनारसी दास जी और पुराने नेता गौतम जी और बुजुर्ग चतुर्भुज शर्मा जी, सब सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सहकारिता आन्दोलन एक जन आन्दोलन है। और मुझे एक ही वाक्य में कहना है कि क्या बीस साल में कांग्रेस ने इसे जन आन्दोलन बनाने का प्रयास किया। पिछले वर्षों में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व डाक्टर सम्पूर्णानन्द, माननीय गुप्ता जी और प्रातः स्मरणीया सुचेता जी के हाथों में था। आप बतायें कि क्या इनके काल में यह जन आन्दोलन की तरह पनपा। इसका तो सरकारीकरण किया गया और मैं बतलाना चाहता हूं दुनियां के जो देश समाजवाद कायम करना चाहते हैं उनके लिये सहकारिता आन्दोलन नहीं बनाते हैं तो सहकारिता आंदोलन के साथ मजाक करते हैं। इसलिये मेरा चार्ज है कि आज के जमाने में, हमारी तो खिचड़ी सरकार है, अगर आज पक्की सोशलिस्ट सरकार होती तो माननीय बनारसीदास, माननीय गौतम जी और माननीय चतुर्भुज शर्मा जी कटघरे में होते और उन पर मुकदमा चलाया जाता। मुलाहिजा फरमाइये। इनका यह समाजवाद २० साल में कायम हुआ है। हमारे साथी ने याद दिला दिया कि सहकारी खेती बिना समाजवाद के नहीं पनप सकती। अगर सही माने में समाजवाद होगा तो सरदार जोगिंदर सिंह और मजीठिया के बड़े बड़े फार्म नहीं रहेंगे। ८ करोड़ में से केवल २६५०० सदस्य हैं। देवरिया की आबादी २३ लाख है। हमारे यहां बरहज म्युनिसिपैलिटी में आपने सहकारी खेती की कुल १ लाख २३ हजार एकड़ भूमि में। इस तरह से आपने साल में सहकारी समाज बना दिया। रूस में एक एक सहकारी फार्म १६ हजार एकड़ का है। मोटर में चले जाइये, पता नहीं लगेगा। चीन ने भी मंचूरिया से तुंग की अध्यक्षता में सहकारी आन्दोलन बहुत शानदार तरीके से चलाया है। यहां से जो टीम गई थी उसने देखा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारे यहां सहकारी बन बना दिये गये, डी० सी० डी० एफ बना दिये गये। इसके अतिरिक्त कानपुर दुग्ध संघ की स्थापना करके माननीय मंगला प्रसाद जी को उसका चेयरमैन बना दिया। इन्होंने सहकारिता आन्दोलन कुछ नहीं चलाया। अगर समाजवादी समाज देश में बनाना है तो सहकारी आन्दोलन को बढ़ाना होगा। कितना ही लोग इसका विरोध करें लेकिन हमारे देश में समाजवादी समाज बन कर रहेगा। आज हिन्दुस्तान के ५० करोड़ लोगों के सामने यह सवाल है। समाजवादी समाज लाने के लिये सहकारी आन्दोलन को अच्छी तरह से चलाना होगा।

माननीय बनारसीदास जी तो श्रम और सहकारी दोनों विभाग के मंत्री थे। माननीय प्रभुनारायण सिंह जी के पास तो केवल श्रम और इंडस्ट्री है। श्रम सहकारी समितियां बनीं जिनको सरविस कोआपरेटिव्ज कहते हैं। १९६१–६२ में २०, १९६२–६३ में ३०, ६३–६४ में ३५, ६४–६५ में ३५ बनीं। अब देखना यह है कि इन्होंने कि ना मुनाफा कमाया। इन्होंने कुल ३ लाख ७६ हजार ८८० रुपये मजदूरी के रूप में कमाये। आपका हिन्द डेढ़ २५ करोड़ का ४५ करोड़ का हो गया, मालगोदाम बांध न जाने कितना बढ़ गया, छितनी १४ लाख से सवा चार करोड़ होने जा रहा है। लेकिन यह सारा रुपया सिंहानिया टाटा, बिड़ला के घरों में चला गया। मेरा चार्ज है कि इन्होंने पूंजीपतियों को ही पनपाया है। अगर उनके काम में ईमानदारी होती तो यह बात न होती। अगर इनके काम में ईमानदारी होती तो लोगों की गगनचुम्बी अट्टालिकायें न बन पातीं। इसलिये जान बूझ कर आपने मुल्क को पीछे घसीटा। देवरिया में बड़ा गबन है और कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी में भी ३ लाख रुपये का गबन मिल गया है।

[श्री उग्रसेन]

मैं इस पर नहीं जाता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज कितने लोग हैं सहकारिता में। मुश्किल से एक करोड़। तीन अरब रुपया बांटते हैं। उससे क्या मुनाफा होता है? मैं मुद्दों पर बात कहना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के रायल कमीशन ने सिफारिश की है कि समाजवादी समाज बनाने के लिये सहकारिता आन्दोलन तब तक चल नहीं सकता जब तक सहकारिता की पढ़ाई, प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो। मैं पूछता हूं कि बीस साल में प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था हुई? लेनिन ने कहा है—क्रान्ति हो ही नहीं सकती यदि क्रान्तिकारी विचारधारा न हो। आपने क्रान्तिकारी विचारधारा बनाया ही नहीं। महात्मा गौतम के भिक्षुओं को पैदा ही नहीं किया और चाहते हैं कि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि' की भावना गूंज उठे। नहीं हो सकता है १९६५-६६ में कितनों को प्रशिक्षण दिया। १० हजार ८४४ सदस्यों को। आप कहें कि चार महीनों में आपने क्रान्ति क्यों नहीं कर दी। यह आपका कहना बिलकुल जायज है। आपने हम को ले जाकर बियाबान जंगल के कंटकों में रात को छोड़ दिया और चाहते हैं कि हम वहां पर लैटरल रोड बना कर ग्रेंड ट्रंक रोड पर चल पड़ें। लेकिन हमारा इरादा है, हिमालय से ऊंचा इरादा हमारा।

एक सदस्य—

आपके बजट में सहकारी प्रशिक्षण में कितना पैसा रखा गया है?

श्री उग्रसेन—

मैं मानता हूं कि कम है, लेकिन माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस में वृद्धि की जाय। पूरक बजट आता है। मैं चाहता हूं कि भिक्षुओं की पढ़ाई की जाय। मैं महाराष्ट्र में पांच साल रहा हूं। महाराष्ट्र में गगनचुम्बी अट्टालिकाएं बना दी हैं और रहता है कौन? मेरे जैसे मजदूर, जो केला बेचता था। दूध समितियां बनायी गयी हैं ३८१ जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल था। आज दाहलशफा में आठ आने का आधा लिटर दूध मिलता है। कितना महंगा होता है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इधर ध्यान दे। आपको मैं बताऊं। स्वीडन में आन्दोलन चलाया गया। दूध वालों ने कहा कि इतना सस्ता दूध हम नहीं देंगे। हमारा नहीं पड़ता। कोआपरेटिव सोसाइटियों ने भी कहा कि हमारा भी नहीं पड़ता। सरकार बड़े चक्कर में पड़ गयी। जनता को सस्ता दूध मिले, कोआपरेटिव को घाटा न हो, किसान को उसके दूध का दाम मिले इस लिये बीच का पैसा स्वीडन की सरकार देगी। अगर इस किस्म की योजना चलाने की बात आती है तो हमको करनी चाहिये। माननीय बनारसीदास उठ कर चले गये। ५७ बीज भंडार कोआपरेटिव के थे, दे दिये गये कृषि विभाग को और बीज का हिसाब अभी वैसे ही पड़ा है। अब मैं कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसमें सबसे ज्यादा काला कानून जो है वह यह है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे सहकारिता विभाग के लाखों लोगों का गला घोंट दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी माननीय बनारसीदास जी पर है। उसमें लिखा है कि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों पर कोई भी श्रम कानून लागू हो ही नहीं सकता। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं, उसको आप लागू कीजिये। क्या वजह है कि सेठ करोड़ी-मल के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों पर श्रम कानून लागू हो और माननीय गंगाभक्तसिंह के कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों पर वह न लागू हो।

नामांकन की यहां पर बड़ी चर्चा हुई। उसको लेकर बड़ा आलोचना और वाद विवाद हुआ। अभी एक सदस्य ने इधर से कहा कि २० साल तक कांग्रेस अपने आदमियों का नामांकन करती रही तो अब जनसंघ ने कर दिया तो क्या बुरा कर दिया। तो मैं उन सदस्य से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो गुड़ खाकर चली गई क्या आप भी चले जाएंगे। मेरी अपनी पक्की राय है कि जहां तक नामांकन का सिद्धान्त है नामांकन का अधिकार सरकार के हाथ में रहना ही नहीं चाहिये। हम समाजवादी समाज का रहना चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिये हम

नामांकन समाप्त करना चाहते हैं। इसकी बात छोड़ दो और हरिजनों को अवश्य विशेष सुविधा दे दो, फिर भी घोड़ा निकल जाए तो कोई नई और चिंता की बात नहीं है। शिवमंगल सिंह जी और उनकी सरकार २० साल तक उसमें रही है तो भाई इतना ही गम है तो एक साल तक और रह लो, एक साल का समय हमसे ले लो।

जब आपकी सरकार थी, गुप्ता जी के मुख्यमंत्रित्व काल में आदेश हुआ कि ५ सौ या ८ सौ जो पी० सी० यू० के कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स हैं बैंक के हवाले चले जाएं, तो उससे कुछ तो चले गये और कुछ को निकाल दिया गया। ये वे लोग हैं जो सहकारिता आन्दोलन को उन्नति करना चाहते है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनको किसी न किसी रूप में पी० सी० यू० में लाया जाए और उनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। अगर समाजवादी समाज की रचना के स्वप्न को आपको साकार बनाना है तो सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो और विभाग का विकेन्द्रीकरण हो। इन सब के लिये कोआपरेटिव कारपोरेशन एक बनाया जाए। जितनी बड़ी बड़ी मिलें हैं वे मिल मालिकों के हाथ से लेकर कोआपरेटिव बेसिस पर चलाई जाएं और उन सब का एक कोआपरेटिव कारपोरेशन बना दिया जाए और उससे हमें जो पैसा मिलेगा उसे सरकार अपने तमाम वायदों की पूर्ति जैसे लगान माफी, दसवीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त आदि पर खर्च करे और उसी से बूढ़ों को बुढ़ापे का पेंशन मिल सकेगा और तब वहां की मैनेजरी हमारे शिव मंगल सिंह को देदी जाए। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि श्री ऊदल और उग्रसेन जी अगर चायना में होते तो वे फांसी के तख्ते पर होते। जब उनको कोई घास नहीं डालता था तो श्रीमान् जी गवर्नमेंट पाने के लिये छटपटाते रहते थे, लेकिन अब भी जब आपके हाथ में गवर्नमेंन्ट नहीं आई आप जन संघ की दुम में बंधे अकड़े चले जा रहे हैं। आप उनके साथ बंध गये हैं जिनका तनिक भी इस आन्दोलन में विश्वास नहीं रहा है और जो तमाम रुपया अनाप-शनाप शादियों में खर्च करते हैं। इसमें जरा भी सुधार नहीं हुआ है। उस वक्त जब कोआपरेटिव का जमाना रहा, तो गोपरस्त यहां पर आए थे जो एक आन्दोलन चलाते थे प्रजातन्त्र मिटाओ, उसको खत्म करो और आप लगे थे राज्य खत्म करने में और उनकी श्रीमन्, खुशनसीबी कि वह राज्य पा गये और वही आज हमें कहते है कि तुम प्रोफेशनल कोआपरेटिर होगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, प्रोफेशनल पालिटिशियन होते हैं प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं किन्तु प्रोफेशनल कोआपरेटर्स नहीं हुआ करते है। इसकी भावना जन्म-जात और स्वाभाव और संस्कार से हुआ करती है। तो मैं सहकारिता मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने शब्द वापस ले, सहकारिता में जाने दी जाती है। हम गुरु दक्षिणा नहीं लेते, हम गुरु पूजा नहीं लेते जो कि अथाह पैसा जनता का लिया जाता है और उसका कोई हिसाब जनता के सामने कभी नहीं रखा जाता है। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि डांगे साहब ने जितना पैसा बाम्बे के मजदूरों का बम्बई की सड़कों पर टहल-टहल कर मजे उड़ाकर खर्च कर लिया है, क्या वह उसका हिसाब देने को तैयार हैं।

मैं माननीय सहकारिता मंत्री का ध्यान कुछ अन्य बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। वह कहते हैं कि बड़ा गबन है। गबन उनके दिमाग में है। यहां बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है बड़ी ब्लैक मार्केटिंग है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज उसके लिये कौन जिम्मेदार है। आज हमारा व्यापारी सरकार में आ गया है और बड़ा इठलाता है और कहता है कि पंडित जी हम तो मार्केट में आ जायेंगे और मार्केट पर अब तो कब्जा कर लेंगे। इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंगला प्रसाद तिवारी]

मैं कहता हूं कि मंत्री जी जब किसी समिति में जायं और उनका हिसाब-किताब देखें और स्वयं तो उन्हें देखना भी नहीं चाहिये क्योंकि वह आटोनामस बाडीज हैं। उनपर किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं किया जा सकता। उस पर सरकार का बिलकुल दखल नहीं होना चाहिये और इसे बिलकुल गैरसरकारी संस्था रहने देना चाहिये।

श्रीमन्, सरकार ने इस बजट में १ करोड़ कुछ लाख रुपया रखा है। किसी एक बैंक की पूंजी १ करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ करती है। जहां करोड़ों रुपये का रोजगार हो रहा है उनके लिये आप आडिट कम्प्लायेंस के जरिये से हमें बेईमान बनायें तो हम समझते हैं कि आपकी मंशा राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। आप नहीं चाहते कि आर्थिक जगत में उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में क्रान्ति आये। एक दिन हमारे भाई बिकल जी ने कहा था कि ये जो कंजूमर कोआपरेटिव स्टोर्स हैं इनमें मोटरें खड़ी होती हैं वह नहीं होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें बुराई क्या है। हम गेहूं और चावल खरीदते हैं तो पैसा चाहते हैं। पैसा लेते हैं तो बैंकिंग वालों का काम आरम्भ होता है। आज तो श्रीमन् औरतें ब्याज लेती हैं हमारे जैसे भले घरों के लोगों को औरतें ब्याज लेती है। तो और तो और यह सरकार जो कुछ करने जा रही है लोगों में एक इंसेंटिव जो सहकारिता के प्रति आ रहा था उसे रोकने जा रही है। मैं इसीलिये तो यह कहता हूं कि यहां का कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी रिएक्शनरी हो गया है और सामन्तवादियों का यहां साम्राज्य सा बनता चला जा रहा है। लगातार इनसे लड़ते-लड़ते हम तो इस नतीजे पर आये हैं कि मार्केटिंग समितियां इस लायक नहीं रहेंगी कि किसान अपना प्रोड्यूस उसमें दे सके बाहर वह गल्ला ११२ में देता है आपको उसे ६० में सेल करना पड़ता है।

अब मैं एक दूसरी बात कहता हूं। अगर कोई कर्जा लेता है तो आप उसे पंचगुना देते हैं यानी कोई २० रुपया कर्जा लेते हैं तो आप सौ रुपया देते हैं इस तरह की व्यवस्था है। उसकी ओर जरा ध्यान करिये और बहुत सोच समझ कर मार्केटिंग समितियों, सेल्स कोआपरेटिव और प्राइमरी सोसाइटीज को लिंक अप करिये लेकिन आपने अभी तक किया नहीं। सुपरवाइजर जो रिटायर्ड है उसको आप कोआपरेटिव बैंकों का डाइरेक्टर बना देते हैं। गोरखपुर के रिटायर्ड सुपरवाइजर को वहां बैंक का सुपरवाइजर बना दिया है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है जहांपर वहां भी आप भ्रष्टाचार को पनपा देंगे। और भ्रष्टाचार फैल जायेंगे। अगर कोआपरेटिव को शुद्ध करना चाहते हैं तो दूसरी बात आप यह करिये कि चाहे समिति को मुनाफा हो या न हो आप यह जरूर देखें कि किसानों के घर में गल्ला पैदा हो जाय। अगर उसके घर में गल्ला पैदा नहीं होता है तो वह बेचने के लिये क्या लायेगा। होता यह है कि जो बड़े कद का है वह तोला रखलेते हैं जो मिट्टी मिलाकर बेचता है। बाजार का भाव ४० रुपया है तो मार्केटिंग के जरिये से वह ४० रुपया बेचना पड़ता है। लेकिन जो चोरबाजारी है, जो जनसंघ के लीडर हैं और आर० एस० एस० के नेता हैं वह उसको ४५ रुपये में बेच लेता है और हम मुंह ताकते रहते हैं। यही वजह है कि हमारी कोआपरेटिव फेल हो रही है। मुझे खुशी है कि वर्मा जी ने यहां पर प्रजातन्त्र की दुहाई दी। जब बैंक का चुनाव हुआ तो उसमें वह हार गये। कहने लगे कि अगर परिवार वालों को मेम्बर न बनायें तो फिर कोआपरेटिव ज्यादा सफल हो सकती है? अगर आदमी में दम हो तो फिर मैदान में आये और देख ले कि वहां पर क्या होता है। अगर हार गये तो हम को आपरेटिव समिति को छोड़ देंगे। अगर आपने हमको बदनाम करना शुरू किया तो हमारे पास एक के बाद दूसरा कोआपरेटर आता जायगा लेकिन आप इस लायक नहीं होंगे कि कोआपरेटिव के आन्दोलन को जीवन दे सकें और आगे बढ़ा सकें।

एक बात मैं डी० सी० एफ० के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे भाई गया प्रसादजी सोशलिस्ट नेता हैं। उस एरिया में जन संघ एम० पी० हैं। उनके कारण ही उनका कर्ज हो गया। अगर कांग्रेस ने शत प्रतिशत काम नहीं किया तो आप कांग्रेस को नफल न करें।

आप उसको तोड़कर काम कीजिये । हम भी काम करेंगे । हमने प्राइमरी समिति छोड़ी दो क्षेत्र समिति का संगठन किया । पूरा मुनाफा जो मिलता है वह भी ऐसी सूरत में नहीं रहता । सब जानते हैं कि वहां पर लूट होती है । एक आदमी जो एक बार ५०० रुपया लेता है उसको हमेशा के लिये छुटकारा नहीं मिलता है । ऐसा वहां का नियम है । दूध का काम अलाभकारी है और खेती का काम भी अलाभकारी है । मद्रास की या बम्बई की कोआपरेटिव का काम खराब हो लेकिन हमको जाकर देखना चाहिये । वहां के कार्यकर्ता गैर सरकारी २००, २०० आनरेरियम लेते हैं । उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव को कितना आनरेरियम मिलता है और कितनी दिक्कतें आती हैं । ऐसी शकल को बदलने के बाद उग्रसेन जी उन सब बड़े बड़े फार्मों पर कब्जा करलें जिनका उन्होंने जिक्र किया क्योंकि यहां पर गर्म देश के रहने वाले आदमी हैं । इस हाउस के बाहर हजरतगंज में काफी हाउस है वह बहुत गर्म है, जो वहां पैसा पाता है क्या वह समाज के हित में लगाता है ? पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहिं ते नर न घनेरे" । हम तो सहकारिता को जिन्दा देखना चाहते हैं । अगर इसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया और संगठन को आगे बढ़ाया और पूंजी बढ़ाई तो यह कोआपरेटिव संगठन आगे बढ़ जायगा । आपने प्रायमरी समिति की हालत को बगैर देखे सर्विस कोआपरेटिव को ठीक करने के लिये बजट में कुछ नहीं रखा । आपने थोड़ी सी तनख्वाह, चपरासी दे दिया और नकल किया कि पहाड़ पर चलेंगे और लीसा खरीदेंगे । मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव के साथ इस सरकार ने सौतेले भाई का सा व्यवहार किया है । सबसे कम बजट दिया है । ठंडे दिल से सोचें, किसी को बेईमान कहने से पहले अपने दिल को टटोलें । जो पेशेवर राजनीतिज्ञ है, जिसके घर में कोई काम नहीं है, चाहे सड़क पर डोले या बाजार में, या तनख्वाह लेकर काम करें, वह अपना ढंग बदले, तरीका बदले, मिलने-जुलने का ढंग बदले। मैं, पूछता हूं कि क्या वहां कोई चपरासियों की कोआपरेटिव है, सेक्रेटेरिएट में है ? आप राजा बने तो अपना ढंग बदलिये । मैं कहता हूं कि जितना दौरा मंत्रियों ने किया जरा बिल पेश कर दें तो हम समझें कि क्या हालत है सारी । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कमल—

उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव के संबंध में जो अनुदान माननीय सहकारिता मंत्री ने पेश की है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैंने माननीय बनारसीदास के भाषण और भूतपूर्व मंत्री माननीय चतुर्भुज शर्मा के भाषण को बड़े गौर से सुना । इसमें दो रायें नहीं हैं कि सहकारिता एक जन आन्दोलन है और यदि हम चाहते हैं कि नये समाज की रचना हो और कुछ आमूल-परिवर्तन हो तो सहकारिता को हमें मुख्य आधार बनाना पड़ेगा और उसके द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है । जहां तक इसके सिद्धान्तों का सवाल है बनारसीदास जी और हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है । हम तो और आगे जाना चाहते हैं । बनारसीदास जी ने कहा कि जब उन्होंने सहकारिता का विधेयक पेश किया था तो हमारी ओर से वोट लगाया गया था । श्री बनारसीदास ने यह भी कहा कि क्या आज की सरकार या मंत्री जी उसके लिये तैयार हैं जिसको आप चाहते थे ? इसकी बार-बार सफाई की गयी कि हमने किस आधार पर यह सरकार बनायी है, उसमें सिद्धान्तों को हमने छोड़ दिया है । जरूर छोड़ दिया है, उसपर हमारे यहां कोई बहस नहीं है और उसके बारे में काफी वाद-विवाद हो चुका है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बनारसीदास जी से कि आपने जो कृषि के क्षेत्र में सहकारिता का आन्दोलन चलाया, जितने प्रदेश के अन्दर आपने कोआपटिव फारमिंग बनवाये, क्या सचमुच में जो कोआपरेटिव की रूपरेखा है और जो आप चाहते थे मैं नहीं कहता कि आप नहीं चाहते थे क्या उसके अनुरूप है ? नहीं है, मैं कहना चाहता हूं । जितना इस तरह से कोआपरेटिव फारमिंग हो रहा है एक ही परिवार के लोग अपने नौकरों को मिला कर सिर्फ सरकारी सहायता लेने के लिये इस तरह का काम कर रहे हैं । जब बनारसीदास जी बोल रहे थे तो मैंने कहा था कि गोपालपुर कोआपरेटिव फार्म मिर्जापुर में है, उसकी रूपरेखा को देखें,

[श्री ऊबल]

हजारों एकड़ जमीन फंसाई गयी है, सरकार से कर्जा लिया गया है लेकिन उसका कोई सहकारिता का स्वरूप नहीं है। बड़े-बड़े लोग उसमें बनाये हुये हैं। आप अपनी किसी भी कोआपरेटिव को देख लीजिये, आप चाहते क्या थे और हुआ क्या है। मैं पूछता हूं कि जो आपका उद्देश्य था कि इनके जरिये छोटे छोटे किसानों को, जिनकी अनएकोनामिक होल्डिंग है उनको लाभ होगा क्या वह हो पाया है? किसी भी जिले की कोआपरेटिव सोसाइटी को आप ले लीजिये उसमें आपको लाखों रुपये का गबन मिलेगा। क्या माननीय बनारसीदास जी इस बात से इनकार करेंगे कि आज सहकारिता का करोड़ों रुपया वसूल नहीं हुआ और किसानों से पैसा लेकर दोबारा एन्ट्री की गयी हैं? क्या यह चरित्र की हत्या है या माननीय मंत्री जी ने चरित्र हत्या की है? मैं जनसंघ के बारे में कुछ नहीं कहता, माननीय मंत्री जी चाहे जो विचार रखते हों, लेकिन भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचारी कहने से जनतंत्र की हत्या नहीं होती। क्या फैजाबाद में, प्रतापगढ़ में, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, या किसी भी जिले को ले लीजिये वहां लाखों रुपयों का गबन नहीं है? २० लाख का जब नाम लिया जाता है तो आप बौखला जाते हैं, मगर क्या कोई जिला आप ऐसा बता सकते हैं कि जहां पर गबन न हुआ हो? लाखों रुपयों की गड़बड़ी न हुई हो? कागजों में आपके बहुत अच्छे उद्देश्य हैं, मगर व्यवहार में क्या हो रहा है? व्यवहार में अगर आप उनको भ्रष्टाचार की तरफ ले जाते हैं तो आप जनता के मनोबल को गिराते हैं।

माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि हमने एक अफसर की विजिलेन्स कमीशन्स से जांच करवायी। मैं उस आफिसर को २० साल से जानता हूं। मैं तो कह सकता हूं कि कोआपरेटिव विभाग में अगर कोई ईमानदार आफिसर है तो वह यही हैं जिनकी आपने जांच करवायी है। (व्यवधान) उनके ऊपर आरोप बिलकुल गलत थे। जब माननीय चतुर्भुज शर्मा जी इस विभाग के मिनिस्टर थे तब उन्होंने जांच करवायी थी। उसने बनारस में एक मकान बनवाया था, इसलिये उसकी जांच की गयी। मगर वह ईमानदार आफिसर था। जांच निराधार पायी गयी। माननीय बनारसीदास यह झूठा चार्ज माननीय मंत्री जी पर लगाते हैं कि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को रखा है। प्रथम श्रेणी के आफिसर के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी जावे यह माननीय बनारसीदास जी का ही आदेश मौजूद है। और इन्हीं का आदेश नहीं, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनका भी आदेश था। माननीय सहकारिता मंत्री ने आदेश पूरा किया जो आदेश दिया हुआ था। मैंने सोचा और समझा कि वे किसके बारे में कह रहे हैं। उस अधिकारी में यही अवगुण है कि कोई भी हो चाहे इधर का हो या उधर का हो, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। जो आदेश ऊपर के अधिकारियों का होता था उसको वह पूरा करता है। यही मैंने आज तक देखा। वह आप के राज्य में परेशान घूमता रहा। मैं कहना चाहता हूं कि यह बीस साल की बात नहीं है। बनारसीदास जी ने कह दिया कि इतने लम्बे लेन देन में गड़बड़ी होती है और अगर एक करोड़ का गबन है तो वह बात में नमक के बराबर है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक पैसे का गबन है तो भी अच्छी बात नहीं है। एक करोड़ का गबन मामूली बात नहीं है। मैं आपको चुनौती देकर दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के माननीय सदस्य बोल रहे थे जो किसी संस्था के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा फेडरेशन की गाड़ी का जितना दुरुपयोग पार्टी के हित में किया गया, चुनाव में किया गया, इससे वे इन्कार नहीं कर सकते। किसी भी संस्था के पद पर होकर उसके सामान, सवारियों का दुरुपयोग करना मैं समझता हूं, अच्छी बात नहीं है। अभी आपने बड़ा जिक्र किया कि जनतन्त्र की हत्यायें हो रही हैं .... (व्यवधान)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

जौनपुर इलेक्शन में किस गाड़ी में घूम रहे थे मंत्री जी?

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

इसका हम लोगों को एतराज होना चाहिये कि हम एस० बी० डी० में हैं और एस० बी० डी० में आठ दल हैं। श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय बनारसीदास जी से पूछना चाहता हूं कि बनारस में २२-२३ लाख की आबादी है। आपने भी नामीनेशन्स किये हैं, चाहे वह जिला परिषद के हों या बैंकों के हों। तो क्या वहां केवल जगत नारायण दुबे ही मिले थे नामीनेशन के लिये ? यही नहीं, मैं तो पूरे सूबे की बात कहता हूं कि नामीनेशन का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिये। सरकार अपना असर डालती है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर..... (व्यवधान)

मैं अपनी राय इस मामले में यह रखना चाहता हूं कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में हमें दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिये। मैं इसके सिद्धान्ततः खिलाफ हूं और यह डैमोक्रेसी के भी खिलाफ है और सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के अधिकारों को खत्म करना चाहिये।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं इस कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में तीन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो मैं कुछ सुझाव दूंगा, इसके बाद कुछ शिकायतें करूंगा और उसके बाद हमारे माननीय उग्रसेन ने समाजवाद और सहकारिता के भविष्य के बारे में कुछ कहा उस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

एक सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूं कि माननीय ऊदल ने कहा कि जनतंत्र में नामिनेशन बहुत बुरी चीज है। माननीय उग्रसेन ने कहा कि कोआपरेटिव में नामिनेशन बहुत बुरी चीज है। ४४ आदमी इस पार्टी के, १४ आदमी दूसरी पार्टी के, इस तरह से इसी दल के ५८ आदमी इस सदन में मांग करते हैं कि नामिनेशन नहीं होना चाहिये तब कोई वजह नहीं मालूम होती कि दो इम्पार्टेंट प्रगतिशील पार्टीज इस सदन में मांग करें और मंत्री महोदय इसी समय इस बात की घोषणा न करें कि नामिनेशन विद्ड्रा कर लिया जायगा। और उसका दूसरा तरीका है श्रीमन् कि कोआपरेटिव ऐक्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सहकारिता आन्दोलन जन आन्दोलन है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये सहकारी कानून के बजाय सहकारिता का प्रयास करें तथा उसी कानून को लागू कर दिया जाय। उस कानून में दिया गया है कि नामिनेशन न हो।

अब एक लाजिक का सिद्धांत है जिसे आप भी जानते होंगे। लाजिक में एक फैंसी होती है जो आर्गुमेंटम ऐडवर्कडियम कहलाती है। तो इस वजह से नामिनेशन नहीं होना चाहिये। आपकी तरफ से जो दलील दी गयी है उन्हीं पर आप कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिये। इस दलील का कम्पलीट ऐंसर कोआपरेटिव ऐक्ट है। उस ऐक्ट में नामिनेशन को एलिमिनेट कर दिया गया है लिहाजा मेहरबानी करके यह बहस यहां न करें। आपको इस तरह की दलील देने का भी कोई अधिकार नहीं है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सारा का सारा कोआपरेटिव मूवमेंट जो इतना खराब हो गया है वह इसलिये कि उसमें राजनीति बहुत ज्यादा घुस गयी है। जिला परिषद् में कोआपरेटिव का प्रतिनिधि या मैनेजिंग डाइरेक्टर जिला परिषद् का सदस्य जो होता है वह सदस्य होना बन्द हो जाय। मैनेजिंग डाइरेक्टर जिला परिषद् का सदस्य नहीं होना चाहिये। अगर यह बात कर दी जाय तो कोआपरेटिव मूवमेंट ५० प्रतिशत ठीक हो जायेगा। उसमें जो राजनीति विभिन्न पार्टीज की घुसी हुई है उन सारी की सारी राजनीति का अन्त हो जायगा।

अब मैं थोड़ी सी शिकायत भी कर देना चाहता हूं। माननीय उपमंत्री सहकारिता उरई तशरीफ ले गये थे। आमतौर से तरीका यह है कि जब कोई मिनिस्टर किसी जिले में जाता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

है तो वहां के विधायकों को उसकी इत्तिला होती है। एक दिन मुझे बतलाया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में डिप्टी मिनिस्टर साहब तशरीफ लाये हैं। वहां ए० आर० मौजूद हैं, विभाग के और आफिसरान मौजूद हैं जिलाधीश मौजूद हैं। थोड़े दिनों बाद ही कोआपरेटिव बैंक का चुनाव होना था। मैंने टेलीफोन किया कि बन्दानवाश, आप इस जिले में तशरीफ लाये और फिर चोर की तरह से क्यों चले गये? जब आप मेरे जिले में तशरीफ लाये थे तो आपको चाहिये था कि हमें एक दिन का मौका देते ताकि आपसे अपनी कुछ बात कहते, कुछ शिकायत करते। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं। तो चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिये.....

श्री भुवनेश भूषण—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। माननीय सदस्य का यह कहना कि वे चोर की तरह से आये और चले गये क्या यह संसदीय है?

(व्यवधान)

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, चुपके से आना चोर की तरह से ही आना है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव के चुनाव होने को हैं इसलिये सारे सहकारिता विभाग को आतंकित करने के लिये, जिलाधीश को समझाने के लिये, जनसंघ को बल देने के लिये डिप्टी मिनिस्टर साहब ने ऐसा किया। हमारे जिले में एक मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, उनके मकान में रात के १० बजे लोग घुस गये और जब वे नहीं मिले तो उनकी स्त्री को पकड़ कर पीटा गया। जब थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी तो जनसंघ के असर से अधिकारी ने यह कहा कि यह मामला ३५४ का नहीं है ३५२ का है।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

माननीय सदस्य ने उनका नाम नहीं बताया। क्या माननीय सदस्य उस वाकये का जिक्र तो नहीं कर रहे थे जो शर्मा जी के साथ नैनीताल में गुजरा था....

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इसका जवाब देने का मुझे अधिकार दें और मेरे समय पर पाबंदी न लगायें तो मैं इनके मुंह में लगाम लगा सकता हूं जो संसदीय परम्पराओं को ताक पर रख कर बिला वजह की तूफानी बदतमीजी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना भाषण विषय पर जारी रखें।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की जीप जिला जालौन में जनसंघ वालों के पास है। जब देखो शरा खाने के सामने खड़ी रहती है। बराबर शादियों में उसका प्रयोग किया जाता है चुनावों में उसका प्रयोग बराबर किया जाता है। सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिस में बहतर छेद। आपकी यह जुर्रत कि हमारे ऊपर आप आरोप लगायें? इसके बाद एक बात शिकायत के रूप में और अर्ज कर दूं। चतुर्भुज शर्मा जी के विरुद्ध एक जनसंघ के साथी खड़े हुए और साढ़े सत्तरह हजार वोटों से पराजित हुए उनको लाभ पहुंचाने के लिये डी० सी० डी० एफ० का सेक्रेटरी नामीनेट कर दिया गया है और माननीय उग्रसेन जी आरोप लगाते हैं कि मंगला प्रसाद को यह बना दिया वह बना दिया। मैं कहता हूं फिजीशियन

फर्स्ट हौल दाईसेल्फा। इसके अलावा एक बात के लिये मैं जनसंघ को बधाई देता हूं कि १९५२ में वे ३ थे १९५७ में १६ हुए, १९६२ में ४८ और १९६७ में ९९ हो गये। माननीय ऊदल १९५७ में ११ थे और आज १४ हैं। माननीय उग्रसेन जी १९५२ में २५ थे, १९५७ में एस० एस० पी० और पी० एस० पी० मिलाकर ५५ हुए और ६२ में ६५ थे अगर आज देख लें वे क्या हैं, जो समाजवादी पार्टियां हैं वे देख लें कि समाजवाद का भविष्य क्या है। समाजवाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में कमजोर हो गया है और जो रिएक्शनरी पार्टी है वह प्रदेश में १६ से ९९ हो गयी और आज प्रगतिशील दलों को सोचना चाहिये सरकार बनाइये, भगवान करे आपकी सरकार बहुत दिन तक चले लेकिन मैं माननीय उग्रसेन जी और ऊदल जी से कहूंगा कि समाजवाद के काम को घटाने की कोशिश न करें। मैं एस० वी० डी० को समाजवादी विरोधीदल कहता हूं और उसका माना हुआ सिद्धान्त है कि समाजवाद न आये। समाजवाद की बात माननीय उग्रसेन जी ने बड़ी हिम्मत से कही, माननीय झारखंडे राय जी ने भी कहा कि वहां समाजवाद की कोई बात नहीं है। हमारे पड़ोसी माननीय रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री हैं और बड़े समाजवाद के हितैषी हैं लेकिन बजट में एक शब्द भी कहीं नहीं है और वह सिद्ध है कि एस० वी०डी० समाजवाद विरोधी दल है। मैं जनसंघ को एक बधाई और दूंगा कि उनके उपमुख्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी जनसंघ के हैं, सिंचाई और विद्युत् मंत्री भी जनसंघ के हैं, स्वायत्त शासन मंत्री भी जनसंघ के हैं और यातायात मंत्री भी जनसंघ के हैं लेकिन जनसंघ कोई कुशल पार्टी नहीं है जिसका पब्लिक पर इम्पैक्ट हो लेकिन अगर इनके साथ यही रवैया उग्रसेन जी का और ऊदल जी का रहा जो कि फांसी की बात बनारसी दास जी के लिये कहते थे लेकिन मैं बताता हूं कि उनको प्रदेश की जनता लैम्प पोस्ट पर लटकायेगी।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, .....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे वादविवाद के समय इतना ध्यान रखें कि यह सामान्य विवाद नहीं चल रहा है, अनुदानों पर विवाद चल रहा है। इसलिए अपना ध्यान विषय पर ही केन्द्रित रखें और उसके बाहर न जायं।

*श्री महेश कुमार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो यह सहकारिता का विषय चल रहा है उस पर विरोधी पक्ष में बड़ी खलबली मच रही है और २० साल से जो वह मौज उड़ा रहे थे और जो खामियां उनकी निकल कर सामने आ रही हैं उससे उधर बहुत बेचैनी है। उधर से विषय से हटकर जब कुछ बातें कह दी जाती हैं तो इधर से भी कुछ न कुछ उन बातों का उत्तर देना पड़ता है। उधर के लोग इस पर तुले हैं और इधर उधर की बातों का हवाला देते हैं। उस दिन माननीय नवलकिशोर जी ने उधर से कहा था कि जनसंघ के लोग तो देश द्रोही हैं और समाजवादी लोग और कम्युनिस्ट उनके साथ कैसे शामिल हो गये हैं। इस तरह से आपस में लड़ाने की बातें उधर से जानबूझ कर की जाती हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम राज्य चलाने के लिये, जनता को स्वच्छ शासन देने के लिये, उनकी सेवा करने के लिये एक हुए हैं और उसी तरह से एक हुये हैं जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के हमले के वक्त हम एक हुये थे। जिस तरह से गांव में जब डकैती पड़ती है तो डकैतों को पकड़ने और भगाने के लिये सारे गांव के लोग एक हो जाते हैं उसी तरह से आप को भगाने के लिये और उधर ही बैठे रहने देने के लिये हम एक हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महेश कुमार]

कहा जाता है कि सहकारिता मंत्री ने अपने लोगों को नामिनेशन में रखा। इस विषय में माननीय नेता, सदन अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं और आशा है कि वह इस विषय में शीघ्र ही सदन में कोई घोषणा करेंगे, वह इस पक्ष में हैं कि नामांकन नहीं होने चाहिये और सरकार यह कार्य न करे। यह परम्परा उनके ही २० साल के समय की है। उनको अब घबराहट क्यों हो रही है ? कहा जाता है कि १ करोड़ गबन कोई गबन नहीं है लेकिन जब वह लोग इधर बैठते थे तो यह गबन की बातें क्यों सामने नहीं आती थीं ? उस वक्त उन पर परदा डाला जाता था। हमारे जिले में अगर गबन होता है तो उसको प्रकाश में क्यों न लाया जाय ? शासन की कमी बताने का मौका अगर मिले तो वह बताना चाहिये यही सदन का काम है। २० साल की छिपी चीजें अब उभरना आरम्भ हुई हैं। सहकारिता मंत्री जी दौरे पर गये तो उससे घबराहट क्यों होती है, कि वह क्यों चोर की तरह से जाते हैं, उनको जब भी मौका मिलेगा वह या उनके अधिकारी जरूर छापे मार कर ऐसी चोरियों को पकड़ेंगे इसमें नाराजगी क्यों है ? आपने इस सहकारिता विभाग को अपनी कुन्बापरस्ती का विभाग बना रखा था। आपने केवल अपने रिश्तेदारों को और अपनी पार्टी के लोगों को काम में लगाया है। आज ही एक बरेली के सज्जन आये हैं उन्होंने बताया कि बरेली के अन्दर हमारे प्रान्त के भूतपूर्व मंत्री ने ३–४ सौ एकड़ का एक फार्म बनाया है और फर्जी सहकारिता समिति बना कर उस पर ७० हजार रुपये का कर्ज ले लिया है और जब वहां सरकारी अधिकारी पहुंचे हैं तो जिन लोगों के नाम उन्होंने सहकारी समितियों में बताये हुये हैं, उनसे पूछा जाता है तो वे स्पष्ट कहते हैं कि उनका उस फार्म से कोई वास्ता नहीं है। उस फार्म पर सरकारी पैसे से एक कुआं बनाया गया है। यही नहीं, श्रीमन्, उस कुयें पर युनिटों की चोरी होती है। इस प्रकार से सरकार का हजारों रुपये का नुकसान इस चोरी से होता है। बंगाल के जो रिफ्यूजी आये उनके नाम से एक गांव में समाज की भूमि एलाट कर दी गयी। इस गांव के अन्दर हजारों रुपये लगाकर एक डेयरी फार्म खोला गया, जिसमें फर्जी गायों और भैंसों की खरीद दिखायी गयी और जब बरसात आयी तो लिखा गया कि बीमारी फैल गयी और सारे जानवर मर गये। यह है आपके सहकारिता विभाग की कारगुजारी। आज उन सब बातों की इंक्वायरी हो रही है और आप को तो खुश होना चाहिये कि ऐसे लोगों को कांग्रेस से नजात मिली जो लूट कर रहे थे और जनता का खून पी रहे थे। आज इस प्रान्त की सरकार को मौका मिला है उन भ्रष्टाचार के केसेज को सामने लाने का।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक गांव है हल्लू सराय जहां पर किसानों के नाम से कर्जा लिया गया। जब वहां पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने पूछा तो वहां के किसानों ने बताया कि उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया। जब उनकी कुर्की, आदि होने लगी तो उनकी मदद करने के लिये श्री दाऊदयाल खन्ना जी वहां पर पहुंचे और वहां के प्रधान को स्टे आर्डर दिला दिया। आज ९० हजार रुपया उनके ऊपर बाकी हैं।

हमारे यहां एक मार्केटिंग सोसाइटी है। उसमें भी चोरी बचाने के लिये भ्रष्टाचार करके फर्जी पर्चियां काटी जाया करती हैं जिससे उनको सेल्स टैक्स न देना पड़े। इस प्रकार से आपकी मार्केटिंग सोसाइटीज में गबन किया जाता रहा है।

श्रीमन्, हमारे जिले के अन्दर आज यह स्थिति है कि यदि एक किसान १०० रुपये का लोन लेता है तो आरम्भ में ही उसे ८० रुपया मिल पाते हैं क्योंकि वह लिखा-पढ़ा तो होता नहीं केवल अंगूठा लगाना जानता है और जब कर्जा चुकाने का समय आता है तो सुपरवाइजर कहता है कि अगर तुम्हारे पास इस समय नहीं हैं तो मैं अपने पास से दिये देता हूं और वह एन्ट्री बदलकर ५ प्रतिशत उस से वसूल लेता है। नतीजा यह होता है कि वह फर्जी एन्ट्री करके एक किसान को कर्ज के रूप में ५–१० वर्षों में ४०० या ५०० रुपया देना पड़ता है। वह गरीब सौ रुपये का लोन लेता है और उसे ५०० रुपया देना होता है तो इस प्रकार से जो बीच के लोग होते हैं वे मजा लेते हैं। इस कांग्रेस सरकार में इस प्रकार के लोगों को शरण मिलती रही है। राजे महाराजे का

भत्ता बन्द कर दो। फिर क्यों डरती है कांग्रेस। माननीय फूलसिंह ने कहा कि अगर गल्ले के रेट तेज हो रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिये। लेकिन वही जब जनता में जाते हैं तो कहते हैं कि देखो एस० वी० डी० सरकार के जमाने में रेट तेज हो रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि तरीका ठीक नहीं है कि यहां कुछ कहें और जनता में कुछ और कहें।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है, जो केसेज रखे हैं गबन के उससे हमारे भूतपूर्व मंत्री जी परेशान क्यों होते हैं? भ्रष्टाचार किधर से भी हो, उसकी कोई जाति नहीं है, भ्रष्टाचारी लोगों का कोई दल नहीं होता है, जब तक कांग्रेस रही शासन में तो कांग्रेस के दुम छल्ले थे और आज कोशिश कर रहे हैं वही भ्रष्टाचारी लोग एस० वी० डी० के मंत्रियों के घर आकर उनकी खुशामद करने की। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो ऐसे लोगों से बचे रहेंगे। आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है तो उनकी आप मदद न कीजिये। ऐसे भ्रष्टाचारी हमारे समाज के लिये जोंक का काम कर रहे हैं। माननीय बनारसी दास ने कहा कि उनके जिले में जो इतनी लम्बी चौड़ी इमारत बनी उसने इतना लम्बा चौड़ा मुनाफा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इतना रुपया लगाकर कोई ऐसी संस्था काम करती है तो इतना नफा होना स्वाभाविक है। इसमें कौनसा कमाल आपने कर दिखाया। माननीय बनारसी दास के जिले में जो भट्ठे चल रहे हैं, मुरादाबाद में जो चल रहे हैं उनमें अव्वल नम्बर की ईंट तो बनती ही नहीं। इनके भट्ठे या तो बैठ जाते हैं कागज में दिखा दिया जाता है कि भट्ठा खराब हो गया या दूसरे, तीसरे नम्बर की ईंट बनाते हैं। ट्रकें खरीद ली जाती हैं और कागज में दिखा दिया जाता है कि खराब हो गयीं। आज सौभाग्य है कि इस भ्रष्टाचार को सुधारने के लिये नया खून सामने आया है मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़ने के लिये एक सुन्दर अवसर आया है और इसमें आपको हमारा सहयोग करना चाहिये। अन्त में मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मुझे आशा थी कि कम से कम इतनी सभ्यता तो माननीय मंत्री जी बरतेंगे कि जब उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लोगों पर नाम ले कर दिये थे तो उनका जवाब तो सुनते, चाहे खाना खाते या न खाते। इस तरह से सदन का अनादर और उन सदस्यों का अनादर, जिनका नाम लेकर कोसा था, माननीय मंत्री जी न करते। मेरा आज इरादा था बोलने का। जब मैं चला घर से तो कुछ ऐसे आंकड़े इकट्ठा करता गया जिससे इस आन्दोलन के बारे में, इस प्रदेश की गरीबी को दूर करने के बारे में, इस प्रदेश की उन्नति के बारे में मैं सरकार से सहयोग करूं और सरकार को कुछ सुझाव दूं। ताकि प्रदेश आगे बढ़ सके। मैं इस ख्याल से नहीं चला था कि मैं कंडेम करूं क्योंकि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, मैं कह चुका हूं कि दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया। यह भी सही है कि जनता आज हमसे उतनी प्रसन्न नहीं है इसलिये हमें माइनारिटी में भेजा। लेकिन मुझे यह आशा है कि यह भानुमती का पिटारा नहीं चल सकता। मैं रोज पढ़ता हूं, सबसे लेटेस्ट मसानी साहब ने कहा कि नान कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कहना नान्सेंस है। डांगे साहब कुछ कह रहे हैं। इसलिये यह सरकार नहीं चल सकती। इसमें विरोधी संस्थायें साथ नहीं दे सकतीं। लेकिन लोहिया साहब कहते हैं कि एस० एस० पी० के कुछ मिनिस्टर्स लेपर्स हैं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार खुद अपनी मौत मरे, इसका पाप हमें अपने ऊपर न लें। मैं बतला दूं कि मैं कांग्रेस की सेवा सन् ३० से कर रहा हूं। मैंने भी इस मूवमेंट को सहकारिता विभाग में चलाया है साढ़े ३ साल तक। आप उस समय की कोई गलती दिखा दें। कोआपरेटिव मिनिस्टर की भी आज की स्पीच अगर यह विभाग छपवाकर बटवा दे तो आपको पता चल जायगा कि इससे सहकारिता आन्दोलन की ताकत मिलेगी अथवा कमजोरी मिलेगी। कोई भला आदमी इसके पास नहीं फटकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल मौलख]

भ्रष्टाचार तथा बुराई की बात कही गयी। करप्शन के बहुत से आंकड़े दिये गये। बहुत सी बातें बाहर जो हो रही हैं इस सदन के उसके बारे में बहस हो सकती है, कुछ सच हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं। एक अफसर अच्छा है, दूसरा बुरा है। लेकिन अगर हम सदन में ही करप्शन की बात करें तो अपने को भी देखना होगा। जिन लोगों का एक भी वोट नहीं था वे राज्य सभा में उधर के वोटों को खरीद कर राज्य सभा के मेम्बर हो गये। चार नाम मैं गिना सकता हूं। ५वां पैसे देने के बावजूद हार गया। इधर वालों ने पैसे नहीं लिये, उधर वालों ने ही लिये हैं। एजेन्ट जिसने वोट खरीदे थे उसने बताया कि हमने १० हजार से शुरू किया था और इतना वोट मिला कि २५० रुपये तक आ गया। (व्यवधान) याद रखें कि जिन पार्टीज ने संगठित रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से राज्य सभा में वोट देने के लिये पैसे लिये हैं वे करप्शन दूर नहीं कर सकते। करप्शन सिर्फ रुपये पैसे का ही नहीं है। डाक्टर काटजू ३७ में मिनिस्टर बने थे उनकी १५ हजार रुपये की प्रैक्टिस थी और ५०० की मिनिस्टरी मंजूर कर ली थी। मैंने कहा था कि यह आपका त्याग नहीं है, पद के लालच से ऐसा करते हैं। तो जो लोग पद के लिये इधर से उधर चले जायं वे करप्शन दूर नहीं कर सकते हैं उनके लिये यह शोभा नहीं देता। सुपरवाइजर ने २ रुपये ले लिये तो करप्शन है लेकिन मिनिस्टर इधर से उधर चला जाय तो करप्शन नहीं है। करप्शन की डेफिनिशन क्या है? यह उसी तरह की एक मिसाल है कि एक औरत ने जिसका अपना खाविन्द जिन्दा था एक बादशाह से इश्क कर के उससे शादी कर ली। समाज ने उसका क्या मान किया? इंग्लैंड का बादशाह था। एक शादीशुदा औरत ने उससे इश्क करके शादी कर ली। नतीजा क्या हुआ? वह बादशाहत गयी, उस औरत को बकिंघम पैलेस में कभी इनवाइट नहीं किया जाता और वह बादशाह और वह मेम साहब पेरिस में रहते हैं, इंग्लैन्ड में नहीं। (व्यवधान) (कोआपरेटिव विभाग पर बोलिये की आवाजें) मंत्री महोदय ने एक घंटे में से ५० मिनट सिर्फ इसी के लिये लिये हैं। उसका जवाब तो दे दूं, फिर सहकारिता पर आ जाऊंगा। तो हुजूरवाला, इन लोगों की जगह वही थी जो मिसेज सिम्प्सन को मिली है। यह हश्र होना चाहिये फ्लोर क्रास करने वालों का मिनिस्टर बनने के लिये। हां, पार्टी को कोई छोड़ सकता है मगर पद के लिये नहीं। टिकट लेने के लिये वह सिद्धान्त अच्छे थे। लिख दिया कि मैं इन सिद्धान्तों में विश्वास करता हूं। अगर पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अब वही लोग उधर जा कर कहते हैं कि हम यह करेंगे।

भ्रष्टाचार तो सोसाइटी के हर अंग में है। भ्रष्टाचार की हम कद्र करते हैं। जब लड़की की शादी करने जाते हैं तो पूछते हैं कि इतनी तनख्वाह मिलती है मगर ऊपर की आमदनी कितनी है? ऊपर की आमदनी जिसकी नहीं है उसकी शादी नहीं होती। मैं पूछता हूं किसी गांव में आप चलिये। क्या शुद्ध घी आपको मिल सकता है। मैं अपने रिस्तेदारों से कहूं कि एक कनस्तर घी दिलवा दो। वह कहेंगे कि आज गांव में शुद्ध घी नहीं है फिर दिलावा देंगे। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? सरकारी मुलाजिम रिश्वत ले रहे हैं और मिनिटर लोग यह कह रहे हैं जो अभी आपने सुना है। मिनिस्टरों के बारे में अभी उस दिन ही कहा गया कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिप्टी मेयर थे कारपोरेशन के। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके खिलाफ इन्क्वायरी करायी। कारपोरेटर्स मिल जाते थे और प्लांटस आपस में बांट लेते थे। रात को १२ बजे एलाटमेंट होता था। तो उन्होंने उसकी इन्क्वयारी करायी और अब जब दोनों एक होगये तो सब खत्म। तो जिसने पहले भ्रष्टाचार की कार्यवाही शुरू की थी या तो उसको सजा मिलनी चाहिये या जिसने प्रोसीडिंग्स खत्म कर दीं उसको सजा मिलनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव विभाग में सिर्फ मिनिस्टर लोग ही नहीं हैं। उसमें लाखों आदमी और हैं, सैकड़ों आफिसर्स हैं। तो सारे कोआपरेटिव मूवमेंट को गाली देना कहां तक मुनासिब है? आप मिनिस्टरों को कहिये, उनको फांसी दे दीजिये। लेकिन आज जनता के लाखों आदमी, जिन्हों ने कोआपरेटिव मूवमेंट चलाया है, उनको आप सदन में बैठ कर गाली दें तो कहां तक ठीक है? इसलिये इस तरह से कोआपरेटिव मूवमेंट को कन्डम न कीजिये। कोआप-

रेटिव मूवमेंट में बहुत से आफिसर्स हैं। उनमें से एक-एक आदमी ऐसा है जिसको हम सरदार पटेल के शब्दों में कह सकते हैं कि हिज वर्थ इन वेट इज गोल्ड। आज आप सबको गाली दे रहे हैं। इस विभाग में ऐसे ऐसे आफिसर्स हैं जो आपसे हर एक से ज्यादा ईमानदार हैं। और फिर एक तरफ तो आपने सब कन्डम कर दिया और दूसरी तरफ तारीफ करने लगे कि यह तरक्की हुई और यही हाथ पैर हैं आपके ये आफिसर्स। हमको आप जो कुछ चाहिये कह लीजिये। हम में दम है, हम फिर आयेंगे। (लाल बत्ती होने पर) हुजूरवाला, दो चार मिनट मुझे और दें चूंकि पर्सनल अटैक था। इसलिये मैं चाहता हूं कि उन बातों का जवाब मैं दे दूं। मैं इतना कहता हूं कि इस प्रदेश को बचाने के लिये खुदा के वास्ते कोआपरेटिव मूवमेंट को तबाह न कीजिये यही एक साधन है जो गरीब प्रदेश को आगे बढ़ायेगा। हां अगर फैजाबाद के कोआपरेटिव फेडरेशन में कुछ गड़बड़ और जयराम वर्मा जी का उसमें कुछ हाथ है तो उन्हें सजा जरूर दीजिये। अगर हमारा किसी गड़बड़ी में हाथ है तो हमें सजा दीजिये मगर खदा के वास्ते सारे मूवमेंट को कन्डेम न कीजिये।

नामिनेशन्स की बात कही गयी। मैं आप से अर्ज करूं कि यह कह देना कि हमेशा कांग्रेस के लोगों का ही नामिनेशन किया गया, कोई नान कांग्रेसमैन हुआ ही नहीं, सही नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। इतिहास पढ़ाने के लिये, क्योंकि इतिहास आपको मालूम नहीं है। आपसे कहता हूं कि लैन्ड डेवलमेंट बैंक जिसको पहले लैंड मार्गेज बैंक कहते थे कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो उसके डायरेक्टर्स में न हो। एक एम० एल० ए० मैंने नामिनेट किया था, वह कांग्रेस बेन्च का नहीं था, वह विरोधी पार्टी का था। हमेशा डी० सी० एफ० में एक प्रोफेसर होता था। चाहे वह प्रो-कम्युनिस्ट हो, वह भी होता था। १९५३ में जब म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट अमेंड हुआ उसमें नामिनेशन्स को खत्म कर दिया। जिस पर पुराने जमाने में एल० एस जी० मिनिस्टर खेला करते थे वह खत्म कर दिया। आज भी, जैसा हारे चतुर्भुज शर्मा जी कह रहे थे कि नामिनेशन्स में एक हो जिला परिषद् का और एक बैंक का हो, कोई नामिनेशन हाथ में नहीं रहा, नान-आफिशल्स सब हट गये। एक और बात है। पहले हम करते क्या। सभी तो कांग्रेसी थे। आज भी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके नेता ने कांग्रेस में अपनी शक्ति न बढ़ायी हो। जनसंघ के फाउन्डर ने कांग्रेस मिनिस्ट्री में रह कर अपनी हैसियत बढ़ा कर जनसंघ बनाया था। (एक आवाज वह कौन थे?) श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिये मैं आप कहता हूं कि कांग्रेस में रह कर ही इन लोगों ने अपनी हैसियत बनाई। डाक्टर अम्बेडकर और डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी आदि और एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नेता ने कांग्रेस में रहकर शिक्षा न ली हो और अपनी ताकत न बढ़ाई हो। (लालबत्ती होने पर।) श्रीमन्, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है। कहिये तो मैं पहले दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट और बोलियेगा।

श्री मोहनलाल गौतम—

मैं यही कहना चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले नामिनेशन्स गलत चीज है। इससे संस्था को यह मालूम हो जाता है कि सरकार का क्या रुख है? इससे इलेक्शन पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिये।

हुजूरवाला ओवरड्राफ्ट की जहां तक बात है उसमें मैं भी एक आदमी हूं। पहली बात तो यह है कि किस ने किस से ओवरड्राफ्ट लिया। यह बैंक कर सकता था और किसी बाहरी आदमी की ताकत नहीं है। यह बात कैसे हुई इस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शायद मेम्बरान के दिमाग में यह बात न आई हो। वह यह है कि आज सवा चार करोड़ एकड़ जमीन काश्त में है और आप अगर करीब १०० रुपये कम से कम इसकी लागत के लिये देना पड़े तो कम से कम सवा चार सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर से बहस की कि हम कहां से इतना रुपया लायें। रिजर्व बैंक तो बहुत से बहुत ६०/७० करोड़ रुपया हमको दे देगा। बैंक

[श्री मोहन लाल गौतम]

अगर रुपया लाता है तो अपने डिपाजिट से ही ला सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब रिजर्व बैंक ६०/७० करोड़ रुपया दे देगा तो तीन सौ साढे तीन सौ करोड़ रुपया कहां से आये ; यह सवाल हमारे सामने आया। अगर आप एग्रीकल्चर को फाइनेन्स करना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि डिपाजिट्स किस तरह से खींचा जाय। अगर डिपाजिट्स बैंक खींच सकता है तब तो एग्रीकल्चर को फाइनेन्स कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। अब सवाल हुआ कि डिपाजिट्स कैसे आयें। इसके लिये रेट आफ इन्टरेस्ट को बढ़ाना होता है और इसके अलावा अकाउंट रखने वालों को अन्य बहुत सी सुविधायें भी देनी होती है। मेरे मिनिस्टर होने के पहले से मेरा बैंक अकाउंट दूसरे बैंक में था। मिनिस्टर होने के बाद मैंने अपना अकाउंट इस बैंक में रख लिया। इससे पहले जहां मैं था वहां मुझे ढाई हजार रुपये मिलते थे। यहां आने के बाद मैंने कार के लिये पांच हजार रुपया लिया। अब क्या तरीका है कि अखबारों में इसकी चर्चा हो। अगर आप डिपाजिट्स लेना चाहते हैं तो आपको सहूलियतें देनी होंगी वरना एग्रीकल्चर का गला घोट दीजिये। यह सवाल है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो फैसला किया है कि सुपरवाइजर्स को लोक कमेटी में कर दिया जाय, यह बड़ा गलत होगा। यह एक ऐसा फंदा होगा जिससे निकल नहीं पायेंगे। सुपरवाइजर मेम्बर एलेक्ट करवाकर लायेगा और मैनेजिंग डाइरेक्टर बनाने म मदद करगा फिर मैनेजिंग डाइरक्टर की कोई हिम्मत नहीं होगी कि उसके ऊपर कार्यवाही कर सके। जब तक सुपरवाइजर का ऊपर से ट्रांसफर नहीं होगा और अपने जिले में रहने पर पाबंदी नहीं होगी तब तक कोआपरेटिव मूवमेंट तबाह हो जायगा। इसलिये यह काम न कीजिये।

*श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा और प्रदेश में कोआपरेटिव आन्दोलन को शुरू हुए लगभग ६३ साल हो गये हैं। १९१९ से यह विषय राज्य सरकार का विषय रहा है। शुरू में जब सहकारी आन्दोलन की आधारशिला इस देश में रखी गयी तो उसका मुख्य उद्देश्य केवल यह था कि किसानों में जो भारी कर्जदारी है इससे उनको छुटकारा दिलाया जाय। दूसरी बात जो सहकारी आन्दोलन के होते हुये स्पष्ट हो गयी थी, यह आन्दोलन जन आन्दोलन होगा और इसमें सरकारी नियन्त्रण बहुत कम होगा। आज इन दोनों कसौटियों पर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को कसा जाय तो हम महसूस करते हैं कि यह आन्दोलन इस प्रदेश में बिलकुल असफल हो गया है। जहां तक किसानों की कर्जदारी का सवाल है पहले किसान पर औसतन १०० रुपये कर्ज था। अब जो किसान कोआपरेटिव के मेम्बर हैं, बीच वाले किसानों पर, उन पर ५ हजार रुपये और सबसे छोटे किसान पर लगभग १ हजार रुपया कर्ज है। सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनसे मालूम होता है कि जिस प्रकार महाजन के चंगुल में किसान फंसता चला जा रहा था आज उससे ज्यादा बुरी तरह किसान सहकारी आन्दोलन के चंगुल में फंस रहा है और उससे मुक्ति का कोई रास्ता दिखायी नहीं देता। जिस प्रकार महाजन शोषण करता था, ज्यादा से ज्यादा सूद लेता था, रुपये को बढ़ा लेता था, आज उससे ज्यादा लूट आज किसान के कोआपरेटिव आन्दोलन में हो रही है।

दूसरे यह कि सहकारी आन्दोलन जन आन्दोलन होगा, यह सिर्फ दिखावटी बात है। वास्तव में यह सरकारी आन्दोलन है। यह पूर्णतया सरकारी नियन्त्रण में है। अगर कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की ताकतों को देखें तो यह पूरा ईश्वर है, किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन उसके हाथ में है, लिक्विडेशन उसके हाथ में है, ऐसी कोई जगह नहीं जिसमें रजिस्ट्रार का पूरा नियन्त्रण न हो। जो हमारे प्लान चल रहे हैं, उनमें सहकारी आन्दोलन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो तीन प्लान चले उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहकारिता आन्दोलन को लिया गया जिससे देश में कुछ सहकारिता हो लेकिन जो नतीजा हो रहा है वह बिलकुल विपरीत है। पिछले दिनों में पब्लिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अकाउन्टस कमेटी का मेम्बर था। वह कमेटी सारे मुहकमों के खर्चों की देखभाल करती है। लेकिन जब कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के खर्चे की बात आयी तो यह कहा गया कि सहकारी विभाग में जो पैसा खर्च करते हैं उसका पब्लिक अकाउन्टस कमेटी लेखाजोखा नहीं ले सकती। आडिटर जनरल उसके खर्चे की देखरेख नहीं कर सकते। हमारे समने एक करोड़ से अधिक की मांग इस इस मुहकमें के लिये की गयी है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस रुपये को सदन स्वीकार करेगा और यह विभाग खर्च करेगा सदनकी पब्लिक एकाउन्टस कमेटी उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट के आडिटर उसका आडिट नहीं कर सकते तो उस रुपये की जिम्मेदारी सदन पर किस प्रकारहो सकती है और किस तरह से प्रदेश की जनता उस भार को वहन कर सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा किजो हमारे मंत्री हैं और जो सरकार है वह इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जो कोआपरेटिव विभागमें खर्चे होते हैं उसकी जांच आडिटर जनरल और एकाउन्टन्ट जनरल कर सकें और साथ ही साथ पी० ए० सी० को भी अधिकार हो कि वह उसके आय-व्यय की जांच पड़ताल कर सके। मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार बनारसी साड़ी मशहूर है, पिछली बार इस सदनमें कहा गया था कि जिस प्रकार से बनारसी पान मसहूर है उसी प्रकार से हमारे बनारसीदास जी भी मशहूर हैं। आज जो कोआपरेटिव की दुर्गति हो गई है उससे सहकारिता का उद्देश्य लोग यह समझने लगे हैं कि सहकारिता का उद्देश्य है मिल जुल कर खाओ—ऐसा सब लोगों ने मान लिया है। यह बात निराधार नहीं है, इसके पीछे कुछ आधार है इसके लिये चाहे मंगलाप्रसाद जी जिम्मेदार हों या बनारसदीस जी, लेकिन बात यह बहुत हद तक सही है। किसी भी कोआपरेटिव बैंक को ले लिया जाय, आज स्थिति यह है कि सुपरवाइजर्स लोग गांव के अनपढ़ और भोली भाली जनता से सादफार्म पर अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर वह चाहे जितना रुपया उनके नाम चढ़ा लें, इसकी उन्हें आजादी हो जाती है। बैंक का नियम बना हुआ है कि किसान के पास पास बुक होनी चाहिये और उसमें उसकी हैसियत लिखी होनी चाहिये। लेकिन मैं पूंछता हूं कि आज कितने बैंक और सोसइटीज हैं जिनके सदस्यों के पास पासबुकें हैं। ए०डी०ओ० (कोआपरेटिव) और सुपरवाइजर्स जानबूझकर अपनी पूरी कोशिश से पास बुक नहीं बनने देते हैं। इस सहकारी या सरकारी विभागमें नियमों का पालन नहीं होता है जिससे गरीब किसानों का बड़ा शोषण होता है और कर्मचारी मनमाना भ्रष्टाचार करते हैं। जो आदर्श संस्था होनी चाहिये वह बहुत गिरी हुई संस्था हो रही है। यदि आज किसी के नाम सुपरवाइजर जाली देनदारी चढ़ा ले तो २—३ सालतक तो उस व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है, ट्रांसफर इन्ट्री के द्वारा वर्षों टाला जाता है और फिर उसके नाम डिग्री बनाकर भेज दी जाती है। इसका जब मामला उठता है तो इसकी सुनवाई भी किसके पास होती है, इसकी सुनवाई ए० डी० ओ० (सहकारिता) के पास होती है जो सुपरवाइजर से मिलकर खाता है और उतना ही भ्रष्टाचारी है जितना कि सुपरवाइजर है। वह फिर से वह डिग्री दे देगा। डिग्री भी मूलधन और सूद की ही नहीं होती है उसमें अमीन की वसूली आदि तमाम खर्चे शामिल होते हैं। यदि किसी ने दो सौ रुपया लिया है तो चार सौ रुपया वह ले लेगा।

जो जिले में बनारसीदास जी की कृपा से वहां अनुशासन समिति बनीं, अपने यहां का जिक्र है, पिछले दिनों में एक सुपरवाइजर से आठ सौ एक हजार रुपया डाइरेक्टर ने चन्दा लिया और इस सूरत में लिया कि इसके बदले उसकी पोस्टिंग उसके वांछित स्थानपर होगी। सहकारी बैंक में जो संचालक मंडल था, उसने उस सुपरवाइजर की नियुक्ति का विरोध किया और यहां तक कह दिया कि ५९९९ में चाहे जो सुपरवाइजर यहां नियुक्त किया जाय लेकिन उक्त सुपरवाइजर की नियुक्ति न की जाये। किन्तु डायरेक्टर अपनी जगह अटल रहे। वहां के अनुशासन समिति ने संचालक मंडल की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो उसी को रखेंगे जिसने हमें रुपया दिया है। जब संचालक मंडल का वश नहीं चला तो सोसाइटी में ताला डाल दिया गया और लम्बेअर्से तक यह चलता रहा। मैंने इसके बारे में यहां पर प्रश्न किया था तो मुझे बताया गया था कि वहां पर ताला पड़ा था और अब खुलवा दिया गया है। इतने दिनों तक केवल

[श्री सहदेव सिंह]

इसलिये ताला पड़ा रहा कि संचालक मंडल की इच्छा के विरुद्ध वहां पर सुपरवाइजर नियुक्त किया जा रहा था। उसका नतीजा यह हुआ है कि सोसाइटियों में दो ढाई लाख के डिफाल्टर्स हो गये हैं और उसका लेन देन बन्द हो गया और उसके द्वारा दिये गये ऋण से जो पैदावार में वृद्धि होनी थी वह सब की सब कम हो गई। इससे भी और बुरी हालत इटावा की डी०सी० डी० एफ० की है। एक सज्जन वहां पर जो कि दिवालिया हो चुके हैं वह डी०सी०डी०एफ० के कारकुन हैं सर्वेसर्वा हैं। तो यह कोल्ड स्टोरेज बन गया जिसका उद्घाटन माननीय बनारसीदास जी ने किया और उसके कारकुनों के मकान बने। कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग में कई लाख रुपये लगे। उसके ८०, ९० रुपये तनख्वाह पाने वाले ने १९, २० हजार रुपये का मकान बनवा लिया। इस तरह से वहां के डी० सी० डी० एफ० का हाल है। उस कोल्ड स्टोरेज को बनवाने के लिये रेलवे स्टेशन के पास ६ आने के हिसाब से बड़ी अच्छी जमीन मिल रही थी और उसको जिला कलेक्टर ने और रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज ने स्वीकृति दे दी थी लेकिन एक कांग्रेसी नेता की जमीन जो बड़ी खराब जगह पर पड़ी हुई थी उस जमीन को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रजिस्ट्रार के विरोध के बावजूद यहां मंत्रिपरिषद की सहायता से ७५ हजार रुपये में उस नेता की वह जमीन खरीद ली गयी। इस तरह से भ्रष्टाचार पिछले दिनों से पनपता चला रहा है।

इसी तरह से वहां एक सहकारी सूती मिल है। जो प्राइवेट लोगों के कारखाने होते हैं उनमें वेतन बोनस, छुट्टी आदि की जो सुविधायें मिलती हैं वहां ५ सौ कर्मचारियों में से ४ सौ कर्मचारी बहुत पुराने चले आ रहे हैं लेकिन उनको वेतन बोनस और छुट्टी की वह सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो उनको मिलना चाहिये और वहां किसी तरह की वह सुविधायें जो लेबर कानूनों के मुताबिक उनको मिलनी चाहिए नहीं मिलती हैं। मार्केटिंग सोसाइटी भर्थना के जो प्रेसीडेंट थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थे वह कोयला आदि खरीद कर परमिट से बेचते रहे लेकिन जब वह कांग्रेस से अलग हो गये तो उस सोसाइटी के संचालक मंडल को मुअत्तल कर दिया गया और वह डेढ़साल से मुअत्तल हैं। पिछले साल सवाल हुये थे उस बारेमें लेकिन उसके चुनाव नहीं कराये गये और अब भी चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। हमारे जिले में कोआपरेटिव मूवमेंट एक गुट विशेष के हाथ का कठपुतली बना हुआ था। मैं सहकारिता मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां के सहकारिता आन्दोलन में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिये क्योंकि कांग्रेस के छोटे से लेकर कामराज तक जितने नेता हैं उन पर एक गुट विशेष का आधिपत्य है और इसलिये इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहिये। बनारसीदास जी जिस रास्ते पर चले वह बहुत खतरनाक था। माननीय मंत्री जी उनका अनुकरण न करें और उनके रास्ते पर न चलें कि सहकारिता आन्दोलन को किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये चलाया जाय। अगर यह हुआ तो यह बहुत ही दुख की बात होगी। इसलिये उनको इस तरह काम नहीं करना चाहिये जैसा बनारसीदास जी करते रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इटावा जिले में सहकारिता आन्दोलन पनपे। वहां बहुत डेवलप्ड सोसाइटियां हैं। उन पर ध्यान दें और उनमें जो भ्रष्टाचार घुस गया है उसको निकालने के लिये सहयोग दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से बोलना तो प्रारम्भ करूंगा लेकिन समय बढ़ाने की बात थी तब माननीय स्पीकर महोदय ने ऐसा कहा था कि इसके लिये सरकार से भी बात कर ली जाय। इसलिये इस पर कुछ निर्णय हो जाय। (व्यवधान) एक घंटे की बात माननीय गंगाभक्त सिंह जी उधर से कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

समय बढ़ाने की बात पर माननीय मंत्री जी और विरोधी दल दोनों चाहें तो हो सकता है।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

उपाध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल यहां उपस्थित हैं उनकी अगर इच्छा समय बढ़ाने की हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष जी, ऐसा महसूस हो रहा है कि इधर से और उधर से भी ज्यादा लोग मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं और इसके लिये कुछ समय चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसलिये २ घंटे का समय विवाद के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल—

यदि माननीय नेता विरोधीदल २ घण्टे का समय बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है

(सदन की अनुमति से सदन का समय २ घण्टे बढ़ाया गया ।)

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे मंत्री महोदय का भाषण इस अनुदान को रखते हुए सदन में हुआ, मुझे क्षमा किया जाय यह कहने के लिए, कि उससे मुझे सचमुच क्लेश और व्यथा हुई । मैं इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि उनके हृदय को कोई किसी प्रकार से चोट पहुंचाऊं लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अनुदान के संबंध में क्या प्रकाश डाला ? एक प्रश्न उनसे यह करना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिक सत्य के रूप में यह चीज सर्वसम्मत नहीं है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई किया करता है वह अपने को अच्छा बताने की चेष्टा करता है । आखिर हमारे मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं ? उन्होंने शुरू से आखिर तक केवल यह चेष्टा की कि अपने भूतपूर्व मंत्री के संबंध में बहुत सारी चर्चा कर दें । यही नहीं श्रीमन्, मुझे क्षमा किया जाय उन्होंने एक ऐसे स्तर पर उन चर्चाओं को शुरू किया और उन चर्चाओं को लाकर ऐसे स्तर पर रख दिया जो इस सदन के लिए शोभनीय नहीं है और न कदाचित उचित होगा । उन्होंने उनके लड़के का चर्चा किया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि उनका लड़का कहीं मुलाजमत करेगा या उनका भतीजा कहीं मुलाजमत करेगा तो उसकी चर्चा करना यहां पर क्या उचित है ? क्या उसका यह पाप है कि गंगाभक्त सिंह जी का लड़का या भतीजा कहीं पर मुलाजमत करे ? क्या किसी के लड़के को आप भूखा रहना या जमीन पर सोना अच्छा समझते हैं ? मैं इस विषय के चर्चा को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं । कुछ दूसरी चीजों की तरफ सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं ।

मेरा जो भी मित्र उधर से बोलता है वह २० वर्ष की चर्चा करना चाहता है और २० वर्ष की चर्चा करता हुआ अघाता नहीं । मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि २० वर्ष में इस विभाग के लिए क्या किया गया इस विषय में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारिता की पुस्तक बांटी है, उसको मैंने पढ़ने की चेष्टा की । उसके पहले वाक्य में यह है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन में सराहनीय प्रगति हुई है । यह उनकी सरकार के द्वारा किस सरकार के संबंध में कहा जा रहा है कि इस प्रदेश में सहकारी आन्दोलन में प्रगति हुई है । क्या उनकी सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि पिछले २० वर्ष में इस प्रदेश में सहकारी आन्दोलन ने प्रगति की ? श्रीमन्, वह इस प्रगति को स्वीकार नहीं कर सकेंगे । मैं पुस्तक के कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं और सदन से मांग करना चाहता हूं कि यदि सदन और प्रदेश में कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

जनतंत्रीय प्रथा है तो कम से कम उनके हाथ से सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता विभाग छीन लिया जाय। मैं नहीं चाहता कि इसको हर्षध्वनि के साथ स्वीकार किया जाय लेकिन जिस दल के चुनाव घोषणा पत्र पर उन्होंने चुनाव लड़ा है उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके इस समय

(४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सामने रखना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन पंक्तियों के तहत वह इस प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को कुछ प्रोत्साहन दे सकेंगे? वे इस प्रकार हैं:

Bhartiya Jan Sangh will make a statutory provision for the State Bank and other commercial banks to open branches in the villages so that the credit needs of the farmers are adequately met.

भारतीय जनसंघ यह प्रयत्न करेगा कानून के द्वारा कि स्टेट बैंक तथा दूसरे बैंकों के द्वारा गांवों में शाखायें खोली जायं कि जिससे किसानों को कर्ज दिया जा सके। खाक करेगा यह प्रयत्न सहकारिता के क्रेडिट के संबंध में। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं हृदय से मांग करता उनसे कि उनके हाथ से तो इस सहकारी विभाग को हमें ले लेना चाहिए। हम जनतंत्र शासन प्रथा के रूप में यहां बैठे हैं। मंत्री जी जिनको सहकारी आन्दोलन में विश्वास न हो, वही इस प्रदेश में इस विभाग के मंत्री बन कर बैठे हैं। यही नहीं, नित्य प्रति हम उसकी चर्चा सुनते हैं। यहां एक बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। उसने १९३०, ३२ और ३४ के लगभग यह बताया कि यहां १२४ करोड़ से ऊपर किसानों के ऊपर कर्ज है। उन्होंने बताया कि ६८ प्रतिशत किसानों पर कर्ज है और उन्होंने यह भी बताया कि उस समय के जमींदारों में से ५५ प्रतिशत के ऊपर कर्ज है। यह भी उन्होंने बताया कि कर्जदार को आमतौर से १०० रुपये के एवज में ७, ८ सौ रुपया देना पड़ता है। श्रीमन्, १९४० के लगभग इस प्रदेश में २२२ सोसाइटियां थीं। वह उस समय हुआ कि जब यहां इंकंबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट बन चुका था, एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट बन चुका था, जबकि किसान के संबंध में यह तय हो चुका था कि किसी भी किसान से उसके मूलधन से अधिक सूद का रुपया नहीं लिया जा सकता। जब यह तय हो चुका था कि किसान की भूमि कभी भी कर्ज के रूप में कर्ज के लिए नीलाम नहीं की जा सकती और यह किया था १९३७ की कांग्रेसी सरकार ने। उस सरकार ने जिसकी मंत्रीजी किसी दिन फिल्म यहां दिखा सकते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस समय किसने किस समय किसानों के गले से वह कर्ज की फांसी उतारी। हमारे पुराने जमींदार दोस्त यहां मौजूद हैं जो १०० रुपये पर १० रुपये सूद लेते थे। मुझे क्षमा करें वैसे जमींदार, वैसे सूदखोर अब ढूंढने पर भी प्रदेश में नहीं मिलेंगे और यह देन है कांग्रेसी सरकार की जिसकी चर्चा आये दिन इस फ्लोर पर करते रहते हैं। मेरे मित्र ने करप्शन की चर्चा की। मैं उनमें से एक हूं जो कह सकते हैं कि करप्शन की चर्चा अनुचित नहीं है। यदि मैं याद दिलाऊं तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने सबसे पहले शासन संभाला १४ मार्च, १९६७ को। (लाल बत्ती होने पर) क्या मुझे अधिक समय दे सकेंगे? अब तो २ घण्टे टाइम बढ़ गया है। १० मिनट?

श्री अध्यक्ष—

मैं ज्यादा से ज्यादा ५ मिनट दे सकूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

तो जो पहला रेडियो प्रसारण हुआ उसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में करप्शन को हमें समाप्त करना है। मुझे माफ करें मेरे मित्र, हमारी योजनायें जो करप्शन को दूर करने की थीं उनको उन्होंने समाप्त कर दिया (व्यवधान)।

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कई बार व्यवस्था की है कि कटौती के प्रस्तावों के ऊपर ही माननीय सदस्य अपना भाषण सीमित रखें, लेकिन मैं बार-बार देखता हूं कि हमारे माननीय सदस्य अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और कटौती के प्रस्ताव पर सीमित नहीं रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

विपिन बिहारी जी, अच्छा होता अगर आप यह व्यवस्था का प्रश्न न उठाते। भाषण की परिधि बांधना बड़ा मुश्किल है। मुझे आशा है कि सारे माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे और "अनर्गल प्रलाप" करने कोई नहीं आता है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—

व्यवस्था का प्रश्न है। अक्सर सदन में ऐसे व्यवस्था के प्रश्न उठाए जाते हैं जो व्यवस्था के नहीं होते, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिनको नहीं मालूम है उनको कुछ ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि आप ही सबसे पहले ट्रेनिंग ले लें। यह भी उतना ही व्यवस्था का प्रश्न नहीं था जितना कि विपिन बिहारी जी का नहीं था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकेगा कि इसको शीघ्र ही सार्वजनिक जीवन से समाप्त किया जाय। यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो मेरा शतशः, कोटिशः धन्यवाद आपको, लेकिन कृपा करके भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कहते कहते अपनी चीज से बहुत आगे न चले जाइए। क्या माने हैं, क्या आपने कोई योजनाएं बनायी इसलिए ? आपकी योजनायें दकियानूसी और गलत हैं। हां, यदि मंत्री जी जाकर किसी को पकड़ें तो यह नहीं कहूंगा कि स्टैट्यूटरी बाडी है उसके कार्य में बाधा डालें, तो अनुचित है, लेकिन आपने किसी को भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा तो ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन आप क्यों उसी कार्य की चर्चा इस सदन में करें ? इससे अनुचित दूसरी चीज नहीं है। भ्रष्टाचार को आप समाप्त कीजिए, लेकिन चर्चा को आप नित्यप्रति न करें और मुझे क्षमा करें वह सज्जन जो कि यह कहते कहते नहीं अघाते...

श्री उग्रसेन—

आचार्य से कहता हूं मथुरा के.....

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान होने पर) इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी, कृपया शांति बनाये रखने में सहायक हों।

श्री उग्रसेन—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन के बाहर माननीय आचार्य जी कोई दिन नियत कर लें और इस भ्रष्टाचार वाले मसले पर कि कैसे उसको दूर किया जाय खुलकर शास्त्रार्थ हो जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं तो समझा नहीं क्या कहा सिवाय शास्त्रार्थ के।

श्री अध्यक्ष—

वे यह दावत दे रहे हैं कि सदन के बाहर भ्रष्टाचार के ऊपर शास्त्रार्थ हो जाय, शायद उनका मतलब सेमीनार से होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इससे अच्छा अखाड़ा उसके लिए और कौन सा हो सकता है? (व्यवधान)

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

मैं, श्रीमन्, यह कहने जा रहा था कि समाजवादी समाज की रचना में सहकारिता का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पूज्य बापू जिनका बहुत जिक्र उधर से मेरे माननीय मित्र करते हैं, वे भी एक व्यक्ति को यूनिट मान कर उसे स्वावलम्बी बनाने की चर्चा किया करते थे। सहकारिता स्वयं एक दर्शन है जिसके अन्दर रहकर मनुष्य अपने को उपयोगी बनाता है, स्वावलम्बी बनाता है। सहकारिता के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से अपने को स्वावलम्बी बना सकता है, यही सहकारिता का अर्थ है। यदि यही सरकार बनी रही तो हम निश्चय ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बजाय न जाने कितने पग पीछे चले जायेंगे। श्रीमन्, १२४ करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया। १९४० में हमारे सदस्यों की संख्या केवल १ लाख के करीब थी। आज सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या ७२.२४ लाख है। प्रारंभिक ऋण समितियों की संख्या भी आज कई लाख के हैं। करोड़ों रुपया आज इनके द्वारा बंटता है। करीब २३४ करोड़ रुपया आज प्रदेश के सहकारी बैंक के पास है। यह ऋण के रूप में किसानों को दिया जाता है। हमारी बहुत सी योजनायें थीं जिनको हम चलाना चाहते थे। हमने यह भी योजना बनायी थी कि सहकारी सर्विस कोआपरेटिव्ज का हम निर्माण कर सकें। मुझे दुख है कि इस बजट में इन सब की ओर कोई चर्चा नहीं की गयी है। माननीय कालीचरण जी यहां नहीं हैं उन्होंने एक चुनौती दी थी सदन में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के मंत्रित्व-काल में हरदोई के श्री जगमोहनसिंह को डी० सी० डी० एफ० में नियुक्त नहीं किया गया? मैं अधिक नहीं कहना चाहता। व्यक्तियों के संबंध में कहना मैं दुराग्रह और साथ ही दूसरी बात मानता हूं। वह मंत्री जी से पूछ लें कि वे संबंधित हैं या नहीं। माननीय मंत्री जी, दूसरों की ओर बाद में देखिए पहले जरा अपनी ओर देखिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सहकारिता मंत्री, अगर आप कहना चाहें तो कहें।

श्री गंगाभक्त सिंह—

नहीं।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परमेश्वर पांडेय)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन में आज प्रातःकाल से ही सहकारिता पर वादविवाद हो रहा है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ जो अभी नामांकन हुआ है उसको लेकर काफी उत्तेजनापूर्ण बात हुई। अभी यह भी कहा गया और रोज यही कहा जाता है कि यह भानुमती का पिटारा, यह जो कई दलों की सरकार है यह कैसे चलेगी। इसके बारे में मैं माननीय सदन को जानकारी करा देना चाहता हूं कि इस भारत को वे देखें जिसमें अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता की कल्पना भारत के इतिहास के हर पन्ने में लिखी है। भारत कितना विशाल देश है! उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक के विभिन्न मत मतान्तरों के लोग, विभिन्न रहन-सहन के लोग एक राष्ट्रीयता लिए भारत में रहते हैं और भारत में वास करते हैं और इंडियन कहलाते हैं तो क्या इस तरह से सात आठ दल मिलकर एक सरकार चलाते हैं यह तो सबसे बड़ी क्रेडिट की बात है। हमारे इन बन्धुओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि सिर्फ एक दल में रहकर इस दलदल में फंसकर इस उत्तर प्रदेश के शासन को कहां से कहां ले गये। इसके अतिरिक्त मैं किसी को दोष नहीं देता इसके लिए। प्रमाण रूप में हम मौजूद हैं। न मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं। मैं सारे माननीय सदस्यों को बता दूं कि आज यह पीड़ा क्यों हो रही है। इसका मेरे पास एक रामायण का ही उदाहरण है। बालि ने सुग्रीव पर मनमानी अत्याचार किया मगर जब भगवान ने उसको दण्ड दिया तो वह दोहाई देने लगा, यही नहीं वरन्..... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं एक महाभारत काल का उदाहरण भी देना चाहता हूं। दुर्योधन का दरबार लगा हुआ है। भीष्म भी बैठे हैं। सारे लोग बैठे थे। द्रौपदी के साथ अत्याचार किया गया दुर्योधन से। उस समय इनको न्याय नहीं सूझा है, न्याय की बात नहीं कही। महाभारत के अन्त में उसका जो कुछ भी अन्त हुआ, जब भीम की लड़ाई हुई तो दुनिया भर की बातें उन्होंने की हैं; यह सबको मालूम है। अगर आज कोई बात हुई, अगर उसकी चर्चा इस माननीय सदन में हुई या होती है और कही जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ, आपने एक बात में इतना हो-हल्ला मचा लिया है, यह नामांकन गलत हुआ है। आर० एस० एस० और जनसंघ के लोगों के साथ मंत्री जी ने धोखा बोला। यह ठीक है या गलत है यह तो सदस्यगण जानते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जन संघ के लोग या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग इस उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं, भारतवर्ष के नागरिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं सारे माननीय सदस्यों को यह बात दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सदस्य चाहे किसी भी कोने में रहे, उसकी सच्चाई, कर्त्तव्य निष्ठा, ध्येय परायणता किसी के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी माननीय सदस्य इस बारे में .....

(व्यवधान)

मैं कह रहा था, श्रीमन्, आचार्य जी ने कहा है कि १९३७ के पहले..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, जरा आप एक मिनट बैठें।

मुझे बड़े खेद के साथ फिर दोबारा यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि आखिरकार हम कौन सी परिपाटी इस सदन में डालेंगे, अगर कोई बात किसी माननीय सदस्य को अरुचिकर लगे तो संसदीय परंपरा के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर जो कुछ मन में चाहे कहने लगे और उधर से रोकने पर....

(व्यवधान)

माननीय सुदामा जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको भी समझा रहा हूं और मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार ठीक से चले, जिसमें सब का हित है। अगर एक मेम्बर इधर से खड़े होते हैं तो चार मेम्बर उधर से खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है। तो कृपा करके इस बात का प्रयत्न करें कि जब कोई माननीय सदस्य बोलें तो कोई दूसरे साहब न खड़े हों। अगर एक खड़ा हो जाता है तो ४ और खड़े हो जाते हैं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं और व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठाता हूं कि सदन में मैं बराबर यह देख रहा हूं कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए दिन प्रति दिन सदन का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और सदन में उच्छृंखल प्रवृत्ति दिखलायी पड़ती है। तो चाहे नेता विरोधी दल हों, चाहे नेता सदन हों वे अपने अपने दल के लिए जिम्मेदार हैं। वे नेता स्वयं अपने अपने दल का नेतृत्व करते हैं तो मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार जिधर से भी विघ्न हो, उसी नेता से इस्तीफा मांगे। चाहे उधर के सदस्य हों, चाहे इधर के सदस्य हों, इससे अपने आप ठीक हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि जब भाषण शुरू हो गया था तब आप किस नियम के अनुसार खड़े हो गये और यह कैसे व्यवस्था का प्रश्न हो गया।

श्री मलिखान सिंह—

श्रीमन्, मैं कल नियम दिखला दूंगा आपको ।

श्री अध्यक्ष—

कोई नियम ऐसा नहीं है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो, माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए मैंने बुला लिया था, तो आप खड़े हो गये ।

श्री परमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय आचार्य जी ने बतलाया कि १९३७ से पहले ६८ प्रति शत किसानों पर कर्जा था और ५५ प्रतिशत जमींदार भी कर्जदार थे तथा १० रुपये महीना १०० रुपये का ब्याज लिया जाता था । सारी बातों को आचार्य जी ने दूर किया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । लेकिन आचार्य जी इस बात को भूले नहीं कि आज हर बच्चे पर ४६ रुपये का कर्जा है । यही नहीं आचार्य जी ने कहा कि बड़े बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों को खत्म कर दिया । इसमें भी दो राय नहीं हैं लेकिन आचार्य जी ने उधर से शायद अपनी आंखें बन्द कर लीं कि आज नये नये जमींदार इतने खड़े हो गये हैं जिनके अत्याचार शायद उन जमींदारों के अत्याचार के सामने झूठ होंगे । यही नहीं । इतिहास साक्षी है । हम अपने मन की कोई बात नहीं कहते हैं । आचार्य जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो लखपती था वह करोड़पति हो गया और जो उससे नीचे था वह और नीचे चला गया । वह और अधिक दरिद्र बन गया ।

सहकारिता आन्दोलन को समाजवाद की रीढ़ बताया गया है । यह भी कहा गया कि जन संघ सहकारिता में विश्वास नहीं करता है तो समाजवाद में भी नहीं करेगा । जन संघ की नीति है कि वह सहकारिता में विश्वास करता है और करेगा । लेकिन एक बात जरूर है कि सहकारिता को एक जीवन-दर्शन के रूप में सच्चाई के साथ चलाना चाहता है । उसका प्रतिपादन करता है, उसे बढ़ते हुये देखना चाहता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वह कौनसा रूप है जिसके द्वारा वह सहकारिता को स्वीकार करते हैं ?

श्री परमेश्वर पांडेय—

हमारी उम्र तो यहां माननीय सदस्य से कम है लेकिन बताता हूं । इसके लिए जो आपने किया है, और जिसके लिए पुस्तिका भी छपी है, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है, उसके लिए एक ही उपयुक्त शब्द है "खाऊ-कमाऊ विभाग" । सहकारिता का दुरुपयोग किया जाता रहा है, भले आदमी इसमें नहीं आते हैं । ऐसी सहकारिता में हम विश्वास नहीं करते हैं । यह सच्चाई है । जहां तक हमारा अनुभव है, और माननीय त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, उनका भी अनुभव है, क्या सहकारिता में भले ही आदमियों को स्थान दिया गया है । वह अच्छी तरह से जानते हैं हम किसी का नाम नहीं लेते हैं । भला आदमी इसमें आया ही कौन है ? केवल राजनैतिक मूल्य इसका रखा गया और राजनैतिक दृष्टि से ही लोग इसमें आये हैं । कहा जाता है कि साधन सहकारी समितियां बन गई । हो सकता है कि इन किताबों में लिखा हो । लेकिन वे बेचारे सुपरवाइजर जिनकी दुहाई दी जाती है, वे बेचारे करें तो क्या करें ? उनको आदेश होता है कि फलां तारीख से फलां तारीख तक इसनी सोसाइटियां बना डालो । इस प्रकार से कागज पर सहकारी समितियां आ जाती हैं और उनके नाम पर जो कुछ किया गया है वह किसी से छिपा नहीं है । यही वास्तविकता है । किसने किया, यह मैं नहीं कहता, लेकिन हुआ यही है । चाहे मंत्रिगण किए हों, चाहे सरकारी अधिकारी किए हों, चाहे जनता, लेकिन वास्तविकता यही है । सहकारी समितियां इसलिए गठित हुयी थीं कि सरकारी पैसा लेकर उसका दुरुपयोग किया जाय । मऊ और खलीलाबाद की बड़ी सोसाइटियां हैं जो सूत बेचती हैं । उसका प्रमाण सरकार के पास है । सूत लिया गया, कपड़ा बन गया और बिक गया, लेकिन कहीं उसका रेकार्ड नहीं है । एक बार अखबारों में भी निकला था; काफी दिन हुए ।

जिम्मेदार व्यक्ति का यह तकाजा है कि अपने प्रदेश की उन्नति के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के विचारों के लिए यह आवश्यक होता है कि जो सच्चाई हो उसे दिलेरी के साथ स्वीकार किया जाय और बुराई को दूर करके समाज को आगे बढ़ाया जाय। यह एक सभ्य आदमी का काम है। यह नहीं होना चाहिए कि अगर आपने गलती की तो उसे क्यों कहते हैं। माननीय सहकारिता मंत्री ने जो कुछ कहा है, वे बुराइयां नहीं थीं, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं था। बल्कि माननीय सदस्यों को जानकारी कराई। प्रांत के चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि हैं, प्रांत की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर और माननीय सदस्यों के ऊपर है। हम लोग प्रांत में निवास करने वाले ८।। करोड़ लोगों की भलाई के लिए विचार करते हैं। जो मंत्रि-पद पर है उसका नैतिक कर्त्तव्य और धर्म हो जाता है कि माननीय सदन को सारी जानकारी करावें, ताकि उसके ऊपर विचार करके आगे का रास्ता प्रशस्त किया जाय।

यही नहीं। माननीय गौतम जी ने एक बात अपनी स्पीच में कह डाली हमारे उप मुख्य मंत्री के लिए, जब वह यहां डिप्टी मेयर थे, उस समय हमारे मुख्य मंत्री स्वायत्त शासन मंत्री थे। उनके ऊपर उन्होंने कुछ चार्जेज लगाये थे। उनकी जांच कराई थी लेकिन बाद में दोनों मिल गये। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन के सामने कह सकता हूं, कि गौतम जी को जब तक इस बात की पूरी जानकारी न हो, ऐसे योग्य और ईमानदार कार्यकर्त्ताओं के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगाने चाहिए..

श्री मोहन लाल गौतम---

मैंने लांछन नहीं लगाया। मेरे दिल में दोनों आदमियों के लिए इज्जत है, दोनों को मैं ईमानदार समझता हूं। मैंने यह कहा कि आज के मुख्य मंत्री ने आज के उप मुख्य मंत्री पर चार्जेज लगाए और कुछ भी नहीं हुआ। तो यह पहला काम गलत था या बाद का गलत था?

श्री परमेश्वर पांडेय---

जनता की शिकायत तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री के पास आई, उसकी जांच कराई गई और उनको ज्यों का त्यों साफ-सुथरा पाकर वह कागज दफना दिया गया। उसमें कहीं कुछ था ही नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या उनकी जानकारी में यह बात सही है, क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है?

श्री परमेश्वर पांडेय---

गौतमजी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसकेजांच के बाद सब आरोप असत्य पाये गये।

श्री मोहनलाल गौतम---

जिस मिनिस्टर ने पूरी जांच किये बिना एक भले आदमी के खिलाफ आरोप लगाये और उसे बदनाम किया क्या आप उसे सजा नहीं दे रहे हैं?

श्री परमेश्वर पांडेय---

मैं माननीय गौतमजी से उम्र में बहुत छोटा हूं, मैं क्या कहूं? लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री दोनों में महानतायें हैं। दोनों अपनी गलती का जनता में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जब दोनों में गलती नहीं है तो आज वे दोनों एक साथ मिलकर सच्चाई से काम भी कर सकते हैं। हम लोग १५, १६ मिनिस्टर हैं। अगर इनमें से कोई गलती करता

[श्री बरमेश्वर पाण्डेय]

है तो मुख्य मंत्री का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उन गलतियों की जांच करावे और उसके बाद अगर सही निकला तो कसौटी पर सोना खरा उतरा और तब लोगों के मुंह अपने आप बन्द हो जाते हैं।

जहां तक लांछन की बात है, जब भगवान राम ने रावण को परास्त कर दिया, सीता मां को वे ले आये, जिन भगवान राम के लिये कुछ लोग कहते हैं कि वे तानाशाह थे, लेकिन उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सर्वशक्तिमान और सर्वान्तर्यामी होते हुए भी जनता की एक झूठी आवाज का मुकाबला किया। तो उप मुख्य मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों, हम लोग जनता को किसी भी बात का दिल खोल कर मुकाबला करेंगे। यह सब लोग जानते हैं कि किसी के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कोई बात कही गयी। उन्होंने उसकी जांच करायी और उन आरोपों को निराधार पाया। हम सब लोग इसी में विश्वास करते हैं कि जनता अगर किसी के ऊपर आरोप लगाती है, तो उसमें छानबीन होनी चाहिये, यही जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा है।

यही नहीं, हमारे माननीय सदस्य जब खड़े होते हैं तो इंगलैन्ड की दुहाई देते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि जहां भी अच्छाई हो उसको लेना चाहिए और बुराई को नहीं। अंग्रेजों का बात बात में उद्धरण तो दिया जाता है। वहां एक महान चरित्र भी है। जब ईडन ने मिश्र पर हमला किया और उसका वहां की जनता द्वारा जब विरोध हुआ तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर-शिप को लात मार दी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, यह इतिहास जानता है। हम यहां पर ९ हैं; अगर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं, तो यह क्षम्य हो सकता है लेकिन जब एक ही दल में दलदल हो जाय और वहां दुलत्तियां चलें तो यह जनतंत्र में क्षम्य नहीं है। इसलिये यह सारे जो आरोप हैं कि यह भानमती का कुनबा है। कभी माननीय ऊदल जी को चैलेंज किया जाता है, कभी माननीय उग्रसेन जी को ललकारा जाता है, कभी माननीय झारखंडेराय जी को कहा जाता है और कभी प्रभुनारायण सिंह जी की दुहाई दी जाती है कि आपका समाजवाद कहां रहा। जनसंघ से क्यों जाकर मिल गये हों। उसका कारण है। दुनियां का नियम है, माननीय सदस्यगण और करें भी तो क्या, जब इंसान की गद्दी छिन जाती है तो उसको मोह ममता सताती है। आज वही हो रहा है और वही लोग बोल रहे हैं। महाराज नहुष जो इतने बड़े तपस्वी थे उनको इन्द्रपुरी का लालच हो गया तो हम यहां के रहने वालों को लालच हो जाय तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस प्रकार समाजवाद के नाम पर संविद में फूट डालने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जनसंघ ५२ में पैदा हुआ और इन १५ वर्षों में वह नाबालिग जनसंघ राज्य भर में प्रगति कर गया इसलिये माननीय सदस्यों के कलेजे पर सांप लोट गया।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बरेली)—

यह जो सब बातें माननीय परमेश्वर जी कह रहे हैं उस में एक शब्द भी सहकारिता के अनुदान के विषय में नहीं है, सारा भाषण उन का राजनीति पर हो रहा है क्या यह उचित है, व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और खास तौर से इसलिये नहीं है कि अभी मैंने एक बात कही थी जो आप को सुनना चाहिये थी, मैंने मंत्री जी से कहा था वह आप ने सुना नहीं इसलिये आप का इस तरह से व्यवस्था के लिये खड़ा होना मुनासिब नहीं है।

श्री बरमेश्वर पांडेय—

मैं कह रहा था कि जन संघ के जन्म काल से ही विरोधी सदस्यों की जानकारी थी कि जिस जिस तरह से वह भारत में अपनी नीतियां चला रहे हैं उनका एक दिन पर्दाफाश होगा और

जन संघ आगे आयेगा और आज उनको अखरता है कि जन संघ किन-किन लोगों से मिल रहा है। राष्ट्रीयता का नारा बुलन्द करने वाला जनसंघ कम्युनिस्टों, एस० एस० पी०, पी० एस० पी० आदि सबसे मिल सकता है और मैंने जैसा कहा कि जनसंघ उस विचारधारा में विश्वास करता है कि अनेकता में एकता का दर्शन होना चाहिये और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की साढे ८ करोड़ जनता के विचारों का आदर करके यह संविद की मिलजुली सरकार चल रही है।

सहकारिता के अनुदान के विषय में एक बात और कहना चाहता हूं और एक मिनट और आपका लेना चाहता हूं। बात यह है कि मंत्री जी ने जो सहकारिता का अनुदान रखा है वह सहकारिता आन्दोलन को प्रदेश में गठित करने के लिये है और अच्छा होता कि उस में और अधिक धन होता क्योंकि यह एक पवित्र कार्य है, इस को ईमानदारी से चलाया जाय तो अवश्य ही हमारे समाज का भला इससे हो सकता है। सहकारिता के अभाव में और अब तक की गलत नीतियों के कारण आज समाज में गांव के घरों में इतना अलगाव हो गया है कि संयुक्त परिवारों तक की प्रथा खत्म होती जाती है इसलिये मेलजोल की भावना और मिलकर कार्य करने की भावना को लाने के लिये यह विभाग एक रीढ़ है और संयुक्त परिवार की जो रीढ़ थी वह आज समाप्त हो गई है। सहकारिता आन्दोलन का बहुत बड़ा महत्व है, समाज में मिलजुलकर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है जो गलतियां हैं उन को खोज की जाय और सुधार किया जाय। जो गलतियां या विरोधाभास विभाग में घुस गया है उनको जल्द ठीक करना होगा। हमारे मंत्री जी ने इतना कष्ट उठाकर रात दिन दौड़-धूप करके जहां भी गड़बड़ियों का अन्दाजा था या पता लगा वहां जाकर देखा। एक उदाहरण मुझे मिला है जो विरोधी दल के ही सदस्यों ने विधान परिषद में कहा, वह फैजाबाद और बाराबंकी का है। फैजाबाद कोआपरेटिव बैंक से १४ हजार रुपया निकाल कर सदौली में बाबा नेहरू इंटर कालेज को दे दिया गया, कहते हैं वह कर्जा दिया गया लेकिन फैजाबाद कोआपरेटिव बैंक का बाराबंकी में कैसे जुरिसडिक्शन पहुंच गया, इस तरह के अनर्गल काम हुये। इस तरह की अनियमितताओं को पकड़ने के लिये अगर मंत्री जी अपने अफसरों को लेकर पकड़ने गये तो क्या गलत किया? उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि कायदे कानून का सख्ती से पालन हो। यदि दो मिनट समय आप और दे दें तो मैं एक उदाहरण और दे दूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)——

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि वह फैजाबाद का जो मामला उठा रहे हैं वह कोर्ट में है, नियमावली के नियम के अनुसार उस पर चर्चा नहीं हो सकती। अगर चर्चा करनी ही है तो मंत्री जी की करनी तो श्री परमेश्वर जी ने बता दी वह हाई कोर्ट को भी बता दें तो बात पूरी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष——

माननीय बहुगुणा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह एक वैधानिक प्रश्न है यदि जैसा कि अभी बताया गया, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसकी फैक्ट्स पर कोई बात न करें और उस पर न कोई चर्चा करें।

श्री परमेश्वर पांडेय——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर केवल हिन्ट्स ही दिये। मैं उसके फैक्ट्स पर नहीं गया।

जहां तक सहकारी आन्दोलन का संबंध है, उसको गति देने के लिए अपने सीमित साधनों में यह जो प्रोविजन किया, यद्यपि वह पूरा नहीं है, काम ठीक से चल रहा है लेकिन फिर भी जो फरजी समितियां बन गयी हैं, गलत तरीके से पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उनकी जांच के

[श्री बरमेश्वर पाण्डेय]

लिये कुछ गति लानी पड़ेगी। हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर जो कार्यवाही की है मुझे आशा है इस आन्दोलन में बड़ी सहायक होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इस विभाग में भले आदमी नहीं आते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहकारिता मंत्री और सहकारिता उपमंत्री भले लोग नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर ऐसी प्रथा नहीं है कि कोई माननीय सदस्य कोई वक्तव्य दे दें तो मैं उस पर पूरी टिप्पणी करने की अनुमति दूं।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने जो पहले घोषणा की थी कि नियम ५१ के अन्दर आने वाले प्रश्न को आप ४ १/२ बजे लेंगे, अब चूंकि ५ बजने वाले हैं तो मैं जानना चाहती हूं कि चूंकि अब सदन का समय ७ बजे तक बढ़ गया है तो क्या उन प्रश्नों को आप अभी लेंगे या आप फिर बाद में लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीया राजेंद्र कुमारी जी, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे स्मरण दिलाया। जब ७ बजे का समय हो गया है तो चर्चा बाद में हो सकती है, मैं इन सूचनाओं को अभी लेता हूं।

## महिला मंगल योजना की महिला कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास एक कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है और कुछ नियम ५१ की सूचनायें आयी हैं।

यह कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय राजेंद्र कुमारी जी का है। इसमें माननीय मंगला प्रसाद तिवारी जी के भी हस्ताक्षर हैं। यह इस प्रकार है:---

"गत ६ दिनों से महिला मंगल योजना की बहनें आमरण अनशन में पड़ी हैं इसमें एक बहिन श्रीमती प्रमोद जैन की अवस्था बिगड़ती जा रही है। उनके सीने में दर्द आरम्भ हो गया है और स्वांस की भी तकलीफ हो रही है यदि अविलम्ब इसके निराकरण के प्रश्न पर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो इससे अनशन करने वाली बहिनों के जीवन को खतरा बढ़ जायगा और जान भी जा सकती है। इस बात से सर्वत्र असंतोष व्याप्त है और जन मानस क्षुब्ध है। इस तथ्य के महत्व को देखते हुए कि इस से हमारी एक से अधिक बहनों का जीवन खतरे में है और इसका प्रभाव समाज पर व्यापकरूप से पड़ने वाला है। इसलिये सदन के सारे कार्य को रोक कर इस प्रश्न पर विचार किया जाय।"

इस विषय में कई रोज से मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें आ रही हैं और मैं उनको अस्वीकार करता रहा हूं इसलिये कि हमारा कुछ ऐसा नियम रहा है कि साधारणतया जो भूख हड़ताल या अनशन की बात है यह स्वेच्छा से होती है। तो इस में सदन कुछ कर हीं सकता। इसलिये मैंने काम रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन ५ दिन से लगातार माननीय सदस्यों की सूचना इस विषय पर आ रही है, मैं समझता हूं कि

माननीय सदस्यों की इस विषय में काफी उत्सुकता है, इसलिये मैंने इसको मंत्री जी के वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। तो क्या मंत्री जी आज इस पर कोई वक्तव्य दे सकेंगे ?

कृषि मंत्री (श्रीजयराम वर्मा)--

मुझ को तो पहले से कुछ जानकारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--

पहले से तो जानकारी अवश्य होगी क्योंकि मैंने इसको माननीय मुख्य मंत्री को भेज दिया था। अब चूंकि वह नहीं हैं इसलिये कुछ कठिनाई हुई होगी। तो आप चाहेंगे मैं इसके लिये समय दे दूं और आप एक वक्तव्य दे दें। तो सोमवार या मंगलवार तक आप वक्तव्य दे दें।

श्री जयराम वर्मा--

मंगलवार को दे दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आप ने मंत्री को भेज दिया था और उस पर वक्तव्य होगा। दो बातों पर मुझे खेद प्रकट करना है। माननीय नेता सदन के प्रति आदर की भावना रखते हुए मुझे इस बात का खेद है कि जब से यह सदन शुरू हुआ है तब से आज तक बराबर कई बार अवसर इस तरह के आये हैं कि मुख्य मंत्री जी इस सदन की सेवा को अपना पहला काम नहीं मानते हैं। आप ने, मान्यवर, माननीया राजेंद्र कुमारी का नोटिस भेजा। ठीक है, उन्हें समय नहीं था तो किसी दूसरे सहयोगी मंत्री को उस काम को दे देते। लेकिन माननीय जयराम वर्मा जी के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन की तरफ से जवाब देने के लिये इस तकल्लुफ में खड़े हो गये कि वह मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं, लेकिन इस की जानकारी नहीं कि इस विषय में मुख्य मंत्री का क्या विचार होगा। पार्लियामेंट में अभी हाल में लोक सभा में इस बात पर बड़ा रोष प्रकट किया गया। माननीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री जरा-सी देर के लिए तिलहर जेल देखने गये थे और वह भी नेता विरोधी दल के आग्रह पर। उस समय भी कहा गया कि वह सदन में नहीं हैं, क्योंकि सदन की सेवा प्रमुख है। अतः मुझे खेद है और आशा करता हूं कि आप हमारे इन विचारों को उन तक पहुंचा दें। नेता सदन की उपस्थिति से हमको बहुत लाभ होता है क्योंकि वह समझते हैं, सुनते हैं और जनता की सेवा होती है।

दूसरी बात यह है कि यह तो ठीक है कि परसों मंगलवार को मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य देंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ९ लाख रु० की जो बचत करने की बात है, इन बहनों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है और जो सामाजिक पुनरुत्थान का कार्यक्रम हमारी योजनाओं का अंग रहा है उस को धक्का दे कर पीछे सरकार कर रही है। तो परसों तक अगर कोई बहन मर गयी, प्रमोद जैन की हालत बहुत खराब है, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप चल कर उस बहन के पास इस सदन की ओर से कोई आश्वासन दे दें। इस से मैं समझता हूं कि इस बहन की बचत का रास्ता निकल सकेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आपने इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके इसको स्वीकार किया। श्रीमन्, जो अनशन हो रहा है वह विधान भवन के सामने हो रहा है। अब यह समझ में नहीं आता मंगल को बयान होगा, आज ६ दिन हो गये उन को अनशन करते हुए। तो जो अनशन कर चुके हैं वह जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है; मेरा निवेदन है कि ७ बजे के बाद अगर आप १५ मिनट का समय और बढ़ा दें तो मंत्री जी का वक्तव्य इस संबंध में आज ही दिलवा

[श्री नेकराम शर्मा]

दें। दूसरे जैसा बहुगुणा जी ने कहा, अगर आप कोई आश्वासन उनको दे सकें तो अनशन तुड़वाने की शीघ्रता की जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बहुगुणा जी ने मुख्य मंत्री जी की अनुपस्थिति के बारे में प्रश्न उठाया था। मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि वह मुख्य मंत्री सम्मेलन में लखनऊ से बाहर गये हुए हैं। इसलिये वह उपस्थित नहीं हैं इस सदन में और ऐसी अवस्था में मैं उनकी अनुपस्थिति को किसी तरह से आपत्तिजनक नहीं मानता।

दूसरे, मैंने इस सूचना को ५१ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है। कई रोज से लगातार इसे मैं अस्वीकृत कर रहा था लेकिन आज कुछ सदस्यों की जिज्ञासा की पूर्ति के लिये और कुछ भ्रांति न फैले इस वजह से मैंने इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है और इस पर मंगल को वक्तव्य हो जायगा।

तीसरे बहुगुणा जी ने यह बात उठाई कि मैं सदन की तरफ से आश्वासन दे दूं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह की भूख हड़ताल का स्वागत नहीं करता और उनको ठीक भी नहीं समझता। इसलिये इस तरह की भूख हड़ताल करने वालों के लिये सदन की ओर से जाकर कोई आश्वासन देने का न कोई मौका है, न मैं उसे उचित समझता हूं। माननीय मंत्री जी जैसा चाहें अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया। लेकिन मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो बहनें हड़ताल कर रही हैं उनकी हालत खराब होती जाती है और कोई भी डाक्टर उनको एग्जामिन करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप गालिबन यह चाहती हैं कि यह वक्तव्य आज ही हो जाय।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

करा सकें तो अच्छा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि सरकार उनकी जांच के लिये सरकारी डाक्टर भेजे और जब वह सदन में वक्तव्य दें तो पूरी जानकारी के साथ दें। कोई भी डाक्टर आतंक के कारण उनके पास जाने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आपकी बात सरकार ने सुन ली होगी। जैसा वह उचित समझेगी करेगी।

## नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, गल्ला वसूली के संबंध में मेरा नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रश्न था और उस संबंध में मेरी बातचीत खाद्य मंत्री जी से हुई थी।

श्री अध्यक्ष--

व्यक्तिगत बातचीत आपकी जो भी हुई हो उसके लिये माननीय सदस्य सदन का वक्त न लें यह बिलकुल अनुचित है। आप किस नियम में यह बात कहना चाहते हैं? प्रक्रिया नियमावली आप निकाल लें और नियम बतला दें। इस समय प्रश्नोत्तर का समय नहीं है।

एक सूचना हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत मुझे प्राप्त हुई थी। खाद्य मंत्री जी का १४ जुलाई को वक्तव्य होगा वह उसी से संबंधित है। इसलिये उसमें सम्मिलित होने के लिये उसे भेज दिया है।

इसके अतिरिक्त एक सूचना माननीय सुरेंद्रविक्रम जी की है उसको मैंने मुख्य मंत्री जी के पास आवश्यक जानकारी और न्यायोचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है। स्वामी ब्रह्माश्रम जी की एक सूचना आई थी वह भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दी है। एक माननीय राजाराम जी की सूचना आई थी उसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है लेकिन मंत्री जी के पास भेज दी है। इसके अतिरिक्त जो सूचनायें आई थीं उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

अब वाद विवाद जारी रहेगा।

## महिला मंगल योजना की महिला कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना—(क्रमागत)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं। मुख्य मंत्री जी के संबंध में जो मैंने कहा है उसके लिये मुझे खेद है। उनके यहां न रहने की मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बात पैदा होती है कि अक्सर मुख्य मंत्री जी फिर दिल्ली जायेंगे या बड़े-बड़े कामों में उलझे होंगे। उप-मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं उनके काम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने सदन की सेवा ठीक तरह से नहीं की। आपने कागज भेजा। आप दोनों पक्षों के संरक्षण के लिये हैं। आप चतुर वकील हैं, वकालत में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा कमजोर पक्ष है। आप केवल इतना कर दें कि जब वे किसी बड़े काम में लगे हों तो कौन आदमी है जिसने उत्तरदायित्व से इस काम को नहीं किया। मुख्य मंत्री जी के लिये जो बात मैंने कही उसका मुझे खेद है और इसकी मुझे जानकारी नहीं थी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष—

उप मुख्य मंत्री शायद नहीं हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

वे यहीं लखनऊ में ही हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे मालूम नहीं है। विषय के महत्व को देखिये। जिस विषय पर मैंने सूचना मांगी थी वह मैंने किसी नियम में स्वीकार नहीं की थी, केवल वक्तव्य मांगा था। नियम ५१/५२ में तो मैं आग्रह करता हूं कि आज का वक्तव्य आज ही हो जाय। इस संबंध में मैं समझता हूं कि काफी हो गया। अगर मुख्य मंत्री होते तो ठीक था। आगे मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री से संबंधित कोई सूचना हो जो उनके पास जाय तो उसका कोई प्रबन्ध होना चाहिये। यह मुख्य मंत्री के नोटिस में मैं ले आऊंगा।

श्री मोहन लाल गौतम—

अध्यक्ष महोदय, इसमें इतनी और प्रार्थना है कि यह संगठन के रूप में चले। मुख्य मंत्री के माने इंडिवीजुअल के नहीं हैं और केबिनेट की ज्वाइंट जिम्मेदारी होती है। इसलिये

[श्री मोहन लाल गौतम]

संगठन के रूप में यह च ं । एक दो व्यक्ति हों या न हों लेकिन गवर्नमेंट तो है। अगर आप कह दें कि गवर्नमेंट नहीं है तब तो सवाल है कि कार्य नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---

जो बात आप कह रहे हैं वह तो ठीक है।

श्री मोहन लाल गौतम---

श्रीमन्, आप व्यवस्था दे दें कि यह संगठन के रूप में चले, किसी व्यक्ति के बिना।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो कहा उसमें दो राय की गुंजाइश नहीं है। इसमें व्यवस्था का क्या सवाल है? एक पत्र मैंने मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में भेजा, उसको कहीं न कहीं चला जाना चाहिये था। भविष्य में हो सकता है कि इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो और वह उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय में ही रह जाय तो कठिनाई हो सकती है। इसको मैं देख लूंगा और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में ले आऊंगा। उसको देख लेंगे।

## १९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या २४---सहकारिता--- (क्रमागत)

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सहकारिता विभाग जन संघ वालों ने अपने हाथ में लिया और यह विभाग जन संघ के विशिष्ट कार्यकर्ता ठाकुर गंगाभक्त सिंह जी के हाथ में आया, उस दिन ही प्रदेश में सहक रिता आन्दोलन चलाने वाले लोग संशकित हो उठे कि क्या इस मंत्री के शासन काल में यह सहकारिता आन्दोलन उन्नति कर सकेगा? श्रीमन्, जन संघ की गंगोत्री आर०एस० एस० का गान है--एकता अज्ञानता का मंत्र जीवन व्याप्त हो, श्वास और प्रश्वास में निज नेता का विश्वास हो। उसके आगे की लाइन है---इन प्राणों का तो केवल निज नेता ही अधिकारी है। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक का रोज प्रातः काल इस प्रकार का अधिनायकवाद का गान होता हो उसके हाथ में सहकारिता विभाग दिया गया। जैसा श्रीरमेश्वर पांडेय जी ने कहा, सहकारिता समाजवाद की रीढ़ है। उसके बाद हम लोगों की आशंकाएं सामने दिखायी दीं। माननीय मंत्री जी ने आते ही जगह जगह नामिनेशन किये। आर०एस० एस० के कार्यकर्ताओं ने परेशान कर दिया कहीं ऐसा न हो कि हाथ से मौका निकल जाय। किस का नामिनेशन हुआ सारा प्रदेश जानता है। जिस दिन इस सदन में माननीय मंत्री ने इसके संबंध में प्रश्नों का उत्तर दिया, जो उनका जवाब आया, वह इसका साक्षी है। जो लोग उस नामिनेशन में किये गये मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस पर चर्चा हो चुकी। लेकिन उसके बाद भी २३ तारीख को जो उत्तर प्रदेश सहकारी संघ है उसकी साधारण वार्षिक सभा को टाल दिया गया, ऐसी संस्था की सभा टाल दी गयी जो एशिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। जब हम लोग महाराष्ट्र और मद्र स में गये जो सहकारिता के तीर्थ माने जाते हैं, उन्होंने पूछा कि आपका उत्तर प्रदेश सहकारी संघ कैसे चलाता है? इतनी तरक्की कैसे है? कुछ लोगों की जमात बैठी जिसमें विचार हुआ कि जिन लोगों को नामिनेशन हो गया, उनके अलावा लोगों का चुनाव कैसे कराया जाय। यह तय हुआ कि जिन लोगों को परमीशन मिली है उसको विदड्रा कर लिया जाय। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि २८ तारीख को उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव जगत का धुरंधर जानकार दिगम्बर सिंह एम०पी०, जो मिरधा कमेटी के सदस्य थे और जिस कोआपरेटिव सोसाइटी के वह मेम्बर हैं वह कोआपरेटिव सोसाइटी अपने इंटरमीडिएट कालेज चलाती है, उसके ट्यूबवेल हैं, लाखों रुपया ऋण के रूप में दिया है और अपने पास से दिया है यह उस समति की पूंजी है, ऐसी संस्था के चलाने वाले आदमी को आध घंटे पहले

हाथ में कागज पकड़ा दिया गया कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो। सहकारिता विभाग में काम करने वाले को जब ऐसा इनाम मिलेगा तो सहकारिता विभाग का क्या होगा? बाई लाज में नियम है कि छः साल के बाद रजिस्ट्रार से परमिशन ले कर लड़ें। उसका उद्देश्य यह है कि जो लोग सहकारिता में विश्वास नहीं रखते उनको रोका जाय। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन सहकारिता आन्दोलन को दान कर दिया-जिनकी समिति सहकारिता का तीर्थस्थल है ऐसे लोगों के लिये वह नहीं है। पता चला है कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि किसी आदमी के लिये परमीशन नहीं दी जायगी। इसमें भले बुरे का विचार नहीं किया गया और उसके बाद ही, मान्यवर, हमें तो बड़ी निराशा हुई। जब अभी हमारे आचार्य जी ने जो जन संघ का घोषणा-पत्र पढ़ कर सुनाया। कैसा तारतम्य है इन में, समझ में नहीं आता।

अभी मंत्री ज ने सदन में बैठकर कोआपरेटिव आन्दोलन में गबन की बात की है अपने सारे भाषण में और केवल १० मिनट में ही कोआपरेटिव आन्दोलन की प्रगति की बात थोड़े-थोड़े रूप में उन्होंने कह दी। क्या सहकारिता आन्दोलन को इससे आघात नहीं पहुंचेगा? क्या सहकारिता बैंकों की अमानत पर इसका असर नहीं पड़ेगा? ऐसा मालूम होता है कि जब से सहकारी मूल्यों की स्थापना हुई तब से मंत्री जी ने जितने गबन हुये थे, वह सब निकलवा कर ले आए हैं और उन्हें सदन में प्रस्तुत किया है। लेकिन उन्होंने इसके साथ इसका दूसरा पहलू नहीं देखा है, यहां के प्रदेशीय कोआपरेटिव संघ की बराबरी और साख की पूरे एशिया में कोई दूसरा कोआपरेटिव संघ नहीं है, उस पर क्या असर पड़ेगा? यू० पी० कोआपरेटिव बैंक को राज्य सरकार की गारन्टी के बिना रिजर्व बैंक रुपया देता है, बाकी और जितने बैंक हैं, सब सरकार की गारेन्टी पर रुपया पाते हैं। कहा गया यहां पर कि सर्विस कोआपरेटिव में कुछ नहीं हुआ। किन्तु मैं उनको यहां बताना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर सर्विस कोआ रेटिव का प्रोग्राम चला सब जगह कहा गया कि यह जादू है एक। इस पर केन्द्रीय सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जिसमें रिजर्व बैंक के भी अफसर थे, उस समिति ने प्रदेश में घूम-घूम कर सर्विस कोआपरेटिव के कार्यकलापों का अध्ययन किया और उसने यह डिक्लेयर किया कि जो कुछ काम हुआ है वह सही है। जिस तरह से आज गबन की बात मंत्री जी करते हैं उस तरह के गबन की बात यदि होती तो इन सहकारी संस्थाओं में एक पैसा न आता, लेकिन मंत्री जी को तो गबन ही गबन दिखाई देता है, इसके सिवा कुछ नहीं।

वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि क्रय-विक्रय समितियों में जो व्यापार है, वह घटा है। किन्तु इसका कारण जानने की कोशिश उन्होंने नहीं की। इसका सही कारण यह है कि क्योंकि बाजार में गल्ले की कीमत इतनी ऊंची हो गई है कि किसान यहां पर गल्ला लाने के बजाय बाजार में तुरन्त ऊंचे दामों पर बेच देना हितकर समझता है। सहकारी क्रय-विक्रय समितियों में किसान का गल्ला आने की बात तब होती है, जब बाजार में गल्ले की मद्दी हो और साहूकार और महाजन उस पर अपनी कर्ज की वसूली के लिये जोर दें और उससे कम कीमत पर गला खरीदना चाहे, ऐसी हालत में किसान गल्ला वहां ले जाता है और वहां से कीमत लेकर अपने कर्जे चुकाता है। तो इस महंगाई के कारण क्रय-विक्रय समिति में गल्ला कम आए तो यह सहकारी आन्दोलन का दोष नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं जो ऐसा होने को था।

अभी-अभी कर्ज की बात हुई जो यहां पर कही गई। हम लोग गांव के निवासी हैं, हम जानते हैं पहले एक ठढ़िया कहा जाता था। जो गांव में आता था तो गांव में आग लगा देता था और हम लोग दौड़ पड़ते थे, वह छप्पर को डंडा लेकर गिरा देता था। लेकिन आज हम लोगों को जहां पर पता ही नहीं चलता कि ठढ़िया नाम की कोई चीज है। हमारे यहां के सारे लोग कोआपरेटिव यूनियन और कोआपरेटिव बैंक के सदस्य हैं और उन्हीं से ऋण लेते हैं। जो १०० रुपये का १८० सूद मिलाकर लेते थे उनसे वह सब छूट गये। मैं मंत्री जी को कहता हूं कि वह नौगढ़ तहसील को आकर देखने का कष्ट करें, हमने रिजर्व बैंक के लोगों से बातें की थीं। रस्तोगी ब्रादर्स जो यहां के हैं उनका ६--६ लाख रुपया वहां पर एक-एक ब्लाक में बंटा हुआ है और उनका जो चौकीदार था वह तहसील हेड क्वार्टर्स गांव का प्रधान चुना गया।

[श्री राजबहादुर चन्द]

सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार की बात मंत्री जी को दिखाई देती है। मंत्री जी का भाषण सुनकर, जनसंघ का घोषणा-पत्र देखकर और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों को लेकर संस्थाओं में हस्तक्षेप किया गया है, उससे हमें बड़ी आशंका हो चली है कि कहीं यह आन्दोलन ही न समाप्त हो जाए। मान्यवर, जोरावर वर्मा जी हमारे यहां एलेक्शन में गये थे तत्कालीन ए० डी० सी० ओ० साहब अपना जांघिया और बेल्ट दिखलाने लगे कि मैं पुराना संघ का स्वयंसेवक हूं और उनको इसी बात पर ए० आर० बना दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

कृषि उप मंत्री (श्री महीलाल)—

मान्यवर, यदि अनुदान पर केवल विभागीय टीकाटिप्पणी हुई होती तो मैं अपने विचार प्रकट न करता। लेकिन वादविवाद को लाकर इस स्तर पर रख दिया गया है जिसमें मुझे भी एक मुलजिम के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सीधे न सही, इधर-उधर से घुमा-फिरा कर मुझ पर आक्षेप किया गया इसलिये मजबूर होकर मुझे इस माननीय सदन का कुछ समय लेना पड़ रहा है। मान्यवर, माननीय गौतम जी मेरे बुजुर्ग हैं और मुझे इस बात का फख्र है कि मने उनके सिपाही की हैसियत से उनके नेतृत्व में काम किया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उन गड़े मुरदों को उखाड़ कर की जो कि जेनरल डिस्कशन में दफन हो चुके थे और जिनका जवाब इधर से दिया जा चुका था। वह प्रश्न था इस सरकार के गठन के बारे में जिसमें मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला और फिर हम नैतिकता भंग कर के इधर आ गये।

श्री मोहनलाल गौतम—

मैंने जो बात कही थी वह उनके बारे में नहीं थी जिन्होंने टिकट मांगा था और उनको टिकट नहीं मिला था बल्कि जो आदमी कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आये थे और उधर बैठकर पक्षलोलुपता कर रहे हैं।

श्री महीलाल—

यह प्रश्न भी वादविवाद में तय हो चुका था और माननीय गौतम जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को नहीं उठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका उत्तर तो आ गया है। अब बजट पर आ जाइये।

श्री महीलाल—

ठीक है, थोड़ा कहकर आगे उसी पर आ जाऊंगा। प्रोफेसर मसानी, डांगे साहब और लोहिया साहब की बात कही गयी कि उन्होंने कहा है कि यह सम्मिलित सरकार नहीं चलेगी। लेकिन माननीय जयप्रकाश नारायण जी का स्थान देश के इनेगिने नेताओं में है। (एक आवाज .....वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं) तभी तो उनकी बात और भी आपके और हमारे दोनों के लिये माननीय है। उन्होंने बराबर कहा है कि राष्ट्र का हित इसी में है कि केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हो। उनके ही विचार सचमुच बड़े निष्पक्ष हैं।

दूसरा प्रश्न अलग अलग विचारधारा के लोगों द्वारा सरकार के गठन का उठाया गया। माननीय गौतम जी इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि केरल में जो सरकार कांग्रेस से मिली-जुली बनाई उसमें थानू पिल्लई साहब जो पी० एस० पी० के लीडर थे उनको अपना मुख्य मंत्री बनाया था। इसी प्रकार अगर माननीय चौधरी चरणसिंह जी के नेतृत्व में जन संघ, पी० एस० पी०

एस० एस०पी० और कम्युनिस्ट लोगों ने इकट्ठे होकर इस प्रदेश के हित में शासन की बागडोर उनके हाथ में देकर या उनके नेतृत्व में रहकर इस शासन की सेवा करना अच्छा समझा है तो फिर इसमें कौन सी बुराई है ? थानु पिल्ले की सरकार सन् १९६० में बनी थी और यह सरकार सन् १९६७ में बनी। इतना ही नहीं, जनसंघ से मिलने की शिकायत की जाती है। मान्यवर, मैं अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत आपत्ति की जन संघ के साथ मिलकर सरकार बनाने की। मुझे याद है कि मुसलिम लीग के साथ मिलकर केरल की सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। जब केरल में ११ सदस्य मुसलिम लीग के जीत कर आये थे उनके साथ मिलकर कांग्रेस ने वहां पर अपनी सरकार बनाई थी जिसकी मान्यता कांग्रेस हाई कमांड ने दी थी।

अब मैं केवल कुछ बातें नैतिकता के विषय पर भी कहना चाहता हूं। मैं यह बात मानता हूं कि मेरे जैसे लोगों ने लिखित वचन दिया था और आपके शब्दों में मैं अपने को अपराधी स्वीकार करता हूं। उस अपराध का दंड आपने मुझे यह दिया कि आपने मुझे अपने दल से ६ साल के लिये निकाल दिया। आप दंड दे चुके लेकिन दंड देने के बाद बार बार आपने मुलजिम कहा। मैं दोषी था तो आपने मुझे दंड दे दिया लेकिन मेरे जैसे अन्य कई साथी जो विरोध में बैठते थे, विरोधी दलों से जीते थे क्या उन्होंने नैतिकता का काम किया है, या उनसे मिलकर सरकार बनाकर आपने नैतिकता का काम किया है ?

मैं गौतम जी से एक बात पूछना चाहता हूं। वे मुझे माफ करेंगे छोटे मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं और अच्छी तरह से जानता हूं। मैं यह समझता हूं कि वह सचाई से इन्कार नहीं करेंगे। आपके दल में पहले भी एक छोटा सा सिपाही था। १९६२ में मुझे आपके यहां से टिकट मिला। तत्कालीन मुख्य मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गये और जो मेरे खिलाफ एलेक्शन लड़ रहे थे उनकी उन्होंने कमर थपथपाई और उनके यहां चाय पीकर आये। इतनी ही नहीं....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बजट के संबंध में भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री महीलाल—

जब कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के नेता अपने कांग्रेसी प्रत्याशी का विरोध करते हों और रुपया उसके खिलाफ देते हों तो फिर कांग्रेस के सच्चे सिपाही के लिये क्या रास्ता रह जाता है, वह स्वयं ही इसका निर्णय करें।

जहां तक सहकारिता विभाग का प्रश्न है, मैं उन लोगों में से हूं जो पूर्णतया सहकारिता में विश्वास करते हैं। स्वर्गीय बलवन्तराय मेहता, जिन्होंने विशेष रूप से सहकारिता के लिये जीवन दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने सहकारिता को पूंजीवाद की समाप्ति का एक मात्र साधन समझा था और उन लोगों की जो भावना और जो विचार था और जिस दृष्टिकोण से वह सहकारिता का विकास चाहते थे, उसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। एक मात्र अहिंसात्म रास्ता यही है कि हम सहकारिता के जरिये भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, साधनहीन जनता और दूसरे श्रमिकों में नवीन भावना भर दे ताकि उनके सही प्रतिनिधि आ सकें, ऐसी व्यवस्था हमारी बननी चाहिये थी लेकिन पिछले २० वर्ष में म उसका खुद भी पूरा जिम्मेदार हूं, जिन जिन माननीय सदस्यों का इस विभाग से संबंध रहा है वह इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि उन्होंने इसे समाजवादी ढंग से चलान की कोशिश नहीं की और वह इसलिये कि इस प्रकार की व्यवस्था बाईलाज में चली आ रही है कि यदि ३ वर्ष से अधिक दूसरे या तीसरे चुनाव में में कोई माननीय सदस्य खड़े होना चाहें तो उनको रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी पड़ेगी तो ऐसे लोग जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ६, ६ बार तक एक जगह पर चुने जा चुके हैं, उन्हें शासन बार-बार इजाजत देता रहा है और इसका नतीजा यह हुआ कि आपकी सहकारिता चन्द आदमियों की मोनोपोली बन कर रह गयी है जिसकी ओर माननीय गुप्त जी ने मुख्य मंत्री

[श्री महीलाल]

होने के बाद भी संकेत किया। तो सहकारिता मंत्री जी का अपराध यह था कि उन्होंने इस प्रणाली का अनुसरण नहीं किया जिस दूषित प्रणाली को हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री लगातार अनुसरण करते चले आये थे। नये खून को, नया विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं को खड़े होने का मौका ही नहीं दिया गया। इन सहकारी मंत्री का दोष यह है कि उन्होंने उन लोगों को अनुमति वापस ले कर, नये लोगों को उसमें भाग लेने का मौका दिया। यह बड़ा भारी अपराध माना जा रहा है। नये लोगो को मौका देना सहकारिता के हित में है, सहकारिता की उन्नति के हित में है, सहकारिता के लिये मैं समझता हूं कि यह उचित ही हुआ है। प्रान्तीय बैंक चुनाव के संबंध में मीटिंग का बार-बार प्रश्न उठाया गया। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि उन चन्द लोगों को जिनको अगस्त १९६६ में अनुमति मिल चुकी थी खड़े होने की, अगर उनकी अनुमति वापस न ली गयी होती तो शांतिपूर्वक मीटिंग हो जाती। माननीय मंत्री जी ने वह अनुमति वापिस ले ली, इसलिये मीटिंग नहीं होने पाई और यह हुड़बोंग हुआ और वह मीटिंग नहीं हुई। इसीलिये कुछ लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। जो २० साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं क्या वह समझते हैं कि उनके अलावा दूसरों को सहकारिता में विश्वास नहीं है या नये लोग इस प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते? उन्होंने इलाहाबाद हाई-कोर्ट की शरण ली। उसका फैसला शिरोधार्य होगा, लेकिन इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना देना कहां तक उचित है जब कि वह प्रदेश के, और सहकारिता के हित में था? सहकारिता आन्दोलन जिन लोगों का जीवन है उनके हित में था और इसके द्वारा नये लोगों को सहकारिता आन्दोलन में आने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अगला प्रश्न भ्रष्टाचार का है। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों इस बीमारी को दबाया गया त्यों-त्यों हम पतन की ओर गये और आप देख लें कि नन्दा जी ने इस प्रश्न को कांग्रेस में उठाया। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये उन्होंने योजना बनायी, लेकिन उसे सबल नहीं होने दिया गया। उसे असफल करने के लिये जिम्मेदार कांग्रेस का शासनारूढ़ दल था, जो आज विरोध में बैठा है। अगर हम आत्म-विवेचन करें और बुराई को बुराई समझ कर उसका उन्मूलन करें, उसमें सहयोग दें तो उसमें छोटे होने की बात नहीं है, उससे हम कुछ ऊंचे ही उठेंगे।

इस बीच एक प्रश्न और उठाया कि सहकारिता आन्दोलन में केवल मंत्री नहीं हैं, अधिकारी हैं, जनता के कुछ प्रतिनिधि हैं, कुछ कर्मचारी हैं। मैं इन्कार नहीं करता कि अधिकारियों में हमें ऊंचे से ऊंचे आदर्श के लोग नहीं मिलेंगे और न मंत्री जी इनकार करते हैं जिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कह दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सहकारिता विभाग द्वारा गरीबों के साथ खिलवाड़ हुये। परसों मेरे ही जिले के ५ किसान आये जिनके नाम से ३५,००० रुपया सुपरवाइजर इंसपेक्टर और अकाउंटेंट ने निकाल लिया और उनके दस्तखत, अंगूठा तक नहीं है। कौन सुपरवाइजर है? वह जो बुलन्दशहर के रहने वाले हैं, जिनका तबादला हो तो मंत्री जी फौरन कैंसिल करायें। इसकी इंक्वायरी बैठेगी कि किसने किस तरह से खाया है। बुरा क्यों मानते हैं? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जांच के बाद आपके सामने आ जायगा और मंत्री जी पर गलतबयानी का आपको चार्ज लगाने का मौका मिलेगा। अच्छा है, आपकी बात सही निकले, मंत्री जी की गलत निकले, तो धैर्य से सुनिये। भ्रष्टाचार नाम से इतने क्यों चिढ़ते हैं? पूज्य जवाहरलाल जी ने अनेक बार कहा, माननीय गुलजारीलाल नन्दा ने जिनका मैंने नाम लिया, अनेक बार कहा, लेकिन आप बराबर दबाते चले गये और वही कारण बना है कांग्रेस के पतन का।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आज अपने माननीय सहकारिता मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। एक अभिलाषा थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत सहकारी आन्दोलन में दिलचस्पी

रखता हूं। फतेहपुर कोआपरेटिव बैंक का मैं दो टर्म से डायरेक्टर हूं। मुझे आशा थी कि उनके भाषण से मैं कुछ सीखूंगा, लेकिन अफसोस की बात है कि आज जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, अगर वह आज मंत्री न होते तो शायद ही अखबारों में निकलता, लेकिन मंत्री हैं तो कुछ न कुछ निकलेगा ही। एक ऐसी परम्परा उन्होंने डाली है जो उन्हें नहीं डालनी चाहिये। किसी व्यक्ति पर आक्षेप करना जो सदन में न हो वह एक मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। यद्यपि उन्होंने यह किया है, मैं समझता हूं कि ऐसी परम्पराओं से सदन की गरिमा बढ़ेगी नहीं, घटेगी, मंत्री जी भविष्य में ध्यान रखेंगे और पूर्व वक्ताओं ने जैसी बातें कहीं तो जबसे सदन चल रहा है दो तरह की बातें आती हैं—२० वर्ष के कांग्रेसी शासन की और १९ सूत्री कार्यक्रम की जो संविद सरकार की ओर से है। अगर वह अपने को १९ और हमको २० मानते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि १९ से २० तो अच्छा ही है, लेकिन अगर वह और कुछ अर्थ लगाते हैं तो भइया हम मान लेते हैं कि हम १९ और आप २० सही। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि सहकारिता आन्दोलदन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं समझता हूं जो पुस्तिका आपने प्रकाशित की उसके बाद चर्चा करना अच्छा नहीं है। निश्चित है कि जन–जन में सहकारिता आन्दोलन में विश्वास हुआ है। लेकिन यह भी निर्विवाद सत्य है कि जब भी नया कदम उठाया जाता है उसमें गलतियां तो होती ही हैं और होना स्वाभाविक भी है। लेकिन देखने का भी दृष्टिकोण हुआ करता है। बुरा जो ढूंढ़ने मैं चला मुझसे बुरा न कोय। आप जो हमारी बुराइयां बतातें हैं यदि सही हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, मगर आप तो हमारी बुराइयों को म अपनाइये। अगर हमने एक खसम किया तो आप दो खसम क्यों करते हो? हममें खामियां होंगी, हम उन्हें सुधारेंगे। मगर आप तो वही गलतियां मत करो। मैं अपने जिले की बात बताता हूं। मेरे यहां दो व्यक्तियों का सहकारी बैंक फतेहपुर में नामिनेशन हुआ। एक तो जनसंघ के अध्यक्ष श्री बाजपेयी हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे पिछले पार्लियामेंन्ट के इलेक्शन में ५० हजार वोटों से हार चुके हैं। कम से कम आप ऐसे लोगों को तो नामिनेट करते जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त होता। हम यह नहीं कहते कि आप कांग्रेस वालों को नामिनेट करिये, मगर जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो उन्हें करिये। आपके ही संविद के विभिन्न दलों में ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त है उन्हें आप नामिनेट करते। एक दूसरे व्यक्ति रक्षपालसिंह जी हैं इनकी तो चुनाव में जमानत भी जब्त हुई थी। करीब २० हजार वोटों से वे हारे थे। उनको आपने नामिनेट किया। आप ऐसे प्रतिनिधियों को नामिनेट कीजिये जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम आपकी दया नहीं चाहते, हम अपनी शक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्रीमन्, केरल का उदाहरण मेरे पूर्व वक्ता ने दिया। केरल में कोलिशन गवर्नमेन्ट बनी थी, यहां दूसरी चीज है। यहां पर तो सभी पार्टियों ने मिलकर एक दल संयुक्त विधायक दल बनाया और वही एक दल की संयुक्त विधायक दल की सरकार यहां है। जिसमें केरल का उदाहरण यहां लागू नहीं होता, दोनों की परिस्थितियों में भिन्नता है।

जहां तक बैंकों में खराबियों आदि का सवाल है, उनको आप दूर कीजिये। वह बहुत आवश्यक है। देहात में बहुत से सीधे-साधे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सुपरवाइजर लोग उन्हें अशिक्षित होने के वजह से बेवफूक बना लेते हैं और रुपया खा जाते हैं। इस खराबी को दूर करना चाहिये। उसके लिये ठीक तरह से नियम बनाना चाहिये। आप क्या यह कर रहे हैं? जो भी आपके भाषण हुये हैं वे इसलिये हुये हैं कि आप संविद की अन्य यूनिट को यह दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भी समाजवादी विचारधारा के हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। अगर यह सही है कि आपको सहकारिता पर विश्वास है तो चलिए सदन कम से कम एक विषय में तो एक राय पर पहुंचा। यद्यपि बात यह नहीं है बात तो कुछ और ही है। यह तो आप कन्वेंसिंग बल के उप चुनाव के लिये कर रहे हैं, इसको सब समझते हैं। आपके घोषणापत्र और मेनिफेस्टो सब बताते हैं कि आप कितना विश्वास करते हैं? जहां तक सवाल है

[श्री प्रेमदत्त]

कटौती मोशन का, मैं इस पक्ष का हूं क्योंकि आपकी विचारधारा से इस सहकारिता आन्दोलन की किसी भी प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं है। इन शब्दों के साथ में कटौती के समर्थन में अपना मत व्यक्त करता हूं।

*श्री रमा वल्लभ मिश्र (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। श्रीमन्, पांच, सात दिन से, आठ दिन से धड़ाधड़ खड़े हो जाते थे माननीय सदस्य और माननीय सहकारिता मंत्री के ऊपर व्यंग्य और कटूक्तियों का प्रहार कर रहे थे, पर अब दिल थामकर बैठिये अब मेरी बारी आई है। जब सहकारिता मंत्री ने बीस साल के कारनामे रखे हैं तो बीस के अंक से परेशान हो गये हैं। सहकारिता एक ऐसा आन्दोलन था जिससे मेरे गरीब प्रदेश की बहुत उन्नति हो सकती थी। मेरे प्रदेश के रहने वाले बहुत गरीब हैं और उनकी उन्नति के लिये एकमात्र साधन सहकारिता ही हो सकता था परन्तु हुआ क्या? सहकारिता का यह जो अनुदान था, यह जो संस्थान बनाया गया वह उसी तरह से एक चरागाह की तरह से छोड़ दिया गया जिसमें सांड़ आये और चरते रहे। १८-१८ साल हो गये लोगों को एक ही स्थान पर चरते हुये और अब कोई डंडा मारकर भगाता है तो ये भौंकते हैं। यह क्या करते हैं? परन्तु हमें इन टैक्सपेयर्स के प्रति प्यार है और उसको देखकर के यदि हम उस सांड़ को मारकर भगाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सारे लोग उसके लिये पुरस्कार देंगे परन्तु इसके बिल्कुल विपरीत बात हो रही है। मैं यह कह रहा हूं कि सहकारिता आन्दोलन के प्रति विश्वास शासक और विपक्ष के लोगों में भी है। परन्तु हो क्या रहा है? अगर किसी पर कहीं कोढ़ छिपा हुआ है तो पट्टी डालते जाइये उस पर, यही हो रहा है। अगर पांच साल पहिले इस कोढ़ को शुद्ध किया होता तो यह कोढ़ इस सीमा तक न पहुंचता। मेरे नगर बरेली में डी० सी० डी० एफ० चलती है। उसमें एक लाख रुपये का तेल चुईया गया। कल्पना कीजिये कि एक लाख रुपये का तेल चुईया गया। कल्पना कीजिये इसके अलावा कि १७० बोरे गेहूं ट्रकों पर लादकर चला गया, पता नहीं चलता। २८ हजार रुपये ले गये पर इनको टाईम नहीं पता करने का। अगर ऐसे मामलों को कोई खोज करता है तो माननीय सदन इसको पुरस्कृत करता शाबाशी देता। परन्तु मैं कहता हूं कि विपक्ष दल में बठने वाले बन्धु अगर इतना साहस नहीं रखते तो कम से कम उस सहकारिता आन्दोलन में जो गलत और भ्रष्ट लोग थे और उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसको दूर करने के लिये जिस व्यक्ति ने कोशिश की उसके लिये धन्यवाद के दो शब्द तो कह देते परन्तु हुआ इसके विपरीत। एक व्यक्ति निरन्तर मेहनत तथा चौबीस घंटे घूमघूम कर अगर भ्रष्टाचार को पकड़ता है तो उसके लिये सदन में यह कहा जा रहा है कि यह भ्रष्टाचार को क्यों पकड़ते हैं। भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों करते हैं। मैं कहता हूं कि इस कोढ़ को दबाने के लिये आप हमारे लोगों को सिखलाते हैं कि वे भी कोढ़ को दबाये रखें। जो सरकार यहां पर बनी है, कई पार्टियों को मिला कर उसका एक चूर्ण बना जिस चूर्ण को खाने से वह सरकार चली गयी और न मालूम कितने लोगों के जुलाब लग गये। हम चाहते हैं कि तमाम भ्रष्टाचारियों को नंगा करके चौराहे पर खड़ा कर दें और तभी प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर होने की आशा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इधर के तथा उधर के भी बन्धुओं की निरन्तर यह मांग है और इस आन्दोलन से उनका प्यार है। उधर के बन्धुओं का भी पिछले बीस वर्ष तक प्रेम व स्नेह रहा तथा उन्होंने कोशिश की कि इस आन्दोलन की प्रगति हो। प्रगति की है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यदि उम्र बढ़ गयी, शरीर के साथ वजन बढ़ गया और उसने चोरी करना व जुआ खेलना सीख लिया है तो उसे हम सदन के सामने खोलें नहीं बल्कि उसपर पर्दा डाले रहें। मैं कहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी हो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिये और यदि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही करते हैं तो वहां की जनता को व उसके प्रतिनिधियों को चाहिये कि अगर वे अपने दल के प्रेम व अनुशासन के कारण हमारा समर्थन खुले तौर पर सदन में न कर सकें तो पीछे से ही आकर हमारी पीठ थपथपा दिया करें कि चोरों को पकड़ कर जो तुमने माननीय सदन के सामने पेश किया है वह बहुत ठीक किया है। कुछ लोगों का कहना है कि सदन में इसकी चर्चा करने की क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता थी। अध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रदेश के साढ़े ८ करोड़ लोगों की आशा का केन्द्र है और उनके भविष्य का निर्माण करता है इसलिये इस सदन में बैठ कर हम उनके साथ कोई धोखे की बात नहीं कर सकते। जो कुछ हमने किया है उसको स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखते हैं। और सारे प्रदेश को यह जानना चाहिये, इसलिये इसकी चर्चा यहां की गयी है। जैसे पौधों में कीट लग जाते हैं, उसी तरह से अगर सहकारिता आन्दोलन के अन्दर किसी तरह का रोग उत्पन्न हो गया हो तो उसे हमें छिपाना नहीं चाहिये बल्कि उसका इलाज करना चाहिये ताकि वह स्वस्थ हो सके। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान की मांग की स्वीकृति के लिये सदन से अनुरोध करता हूं।

श्री केशव देव—

श्रीमन्, आज सुबह से सहकारिता पर जो बहस हो रही थी उस पर गरमा-गरम बहस शुरू हुई लेकिन मैं यह समझा कि मिनिस्टर साहब ने सहकारिता में सुधार के संबंध में एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया। उन्होंने केवल एक अच्छी खासी छोटी मोटी पुस्तिका तैयार की कि उस गांव में गबन हुआ है, उस शहर में गबन हुआ है, उस जिले में गबन हुआ है, उस बैंक में गबन हुआ है। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सहकारिता के संबंध में माननीय मंत्री जी ने अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। उनको अभी तक यह ज्ञान नहीं कि सहकारिता का श्री मंत्री जी से क्या संबंध है, सुपरवाइजर किसके माध्यम से काम करता है या जो लोग कि चुने हुये सोसाइटीज के सदस्य हैं, या जो डाइरेक्टर हैं या मंडल के सदस्य हैं उनके माध्यम से काम करते हैं। श्रीमन्, इसमें ऐसा दुहरा शासन चलता है कि अगर मंत्री जी किसी सुपरवाइजर का तबादला करना चाहें और वहां का डायरेक्टर न चाहे तो एक वर्ष तक उसका तबादला नहीं कर सकते। मेरा निवेदन यह है कि बिना सहकारिता के किसानों की नैया पार नहीं लग सकती।

मुझे चौधरी साहब में बड़ी श्रद्धा थी, मैं उनको ईमानदार व्यक्ति समझता था, कुशल प्रशासक समझता था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से इन सब मंत्री लोगों को इकट्ठा किया है और उसमें फंस गये हैं, इससे उनकी आत्मा भी दुखी है। बिलकुल एकान्त में पूछिये कि उन्होंने जो यह मंत्रिमंडल का गठन किया है, क्या वह ईमानदारी से किया है? उनकी आत्मा नहीं तो चाहती लेकिन बेचारे मजबूर हैं क्या करें। उन्हें उस कुर्सी पर बैठने का बड़ा शौक चर्राया था। एक बेशऊर ज्योतिषी ने, हाथ देखने वाले ने उनको बहका दिया। मैं इस सरकार को क्या कहूं। इसको शहरी सरकार कहूं या इसको पूंजीपतियों की सरकार कहूं। यह शहरी सरकार है क्योंकि इसने भूमिभवन कर माफ किया, वह शहर वालों पर किया और गांव वालों पर लेवी लगा दी। श्रीमन्, आप बतायें कि कोई कपड़ा तैयार करता है कोई चीनी तैयार करता है, कोई फौलाद तैयार करता है लेकिन किसी के ऊपर लेवी नहीं लगायी जाती, केवल इस किसान पर लगायी जाती है और यह सरकार कहती है अपने को किसान की सरकार। और कहती है कि किसान खूब गल्ला दे रहा है। इससे पहले तो मैं इस सहाकरिता विभाग की सदा आलोचना ही करता रहा, गौतम जी से इसकी बुराइयां किया करता था। उन्हीं के कारण उन्होंने एक बिल तैयार किया लेकिन उसको अन्तिम रूप देने की आपकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि आप तो अपने आदमियों को वहां फिट करना चाहते हैं किसी न किसी तिगड़मबाजी के साथ। जैसे अब तक चलता रहा है वही आप भी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है उन्होंने गांवों को कुछ न कुछ दिया लेकिन आप शहरों को दे रहे हैं और किसानों को अपने लेवी दी है। चौधरी साहब कहते हैं कि किसान दान कर रहा है। प्रधान की प्रधानी छीनी जा रही है, सरपंच की सरपंची छीनी जा रही है, कलेक्टरों से जोर डलवाया जा रहा है। इस प्रकार से आपकी वसूली हो रही है। मेरे और मेरी बीवी के नाम से मेरी खेती है और मुझे भी बुलाया गया और कहा गया कि तुमको लेवी देनी होगी, नहीं दोगे तो सख्त कार्यवाही की जायगी। मैंने लिखा कि क्या कार्यवाही की जायगी? जब मैं लखनऊ चला तो मेरे घर में अब भी २०० मन अनाज मौजूद है। मैं स्वयं खेती करता हूं। इतवार को जाकर पानी देता हूं, ५–५ निशान फावड़े के लगे हैं। मेरी खून पसीने की कमाई है। मैं तो अपनी बीवी से कह कर आया हूं कि अगर कोई गल्ला लेने के लिये आवे तो उसको गल्ला मत देना चाहे कुछ भी हो। मैंने उसको अपने हाथ से पैदा किया है। (शोर)

एक सदस्य--

श्रीमन्, एक तरफ वह सरकारी कर्मचारियों की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं ।..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री केशव देव--

मेरा जोर के साथ यह कहना है कि अगर मेरे सूने घर में कोई भी कर्मचारी सरकार का जायेगा तो झगड़ा हो जायगा, हमने उस गल्ले को बहुत मेहनत से पैदा किया है इसलिये उस को लेने को कोई सरकार हकदार नहीं है। अब मैं मंत्रिमंडलके मंत्रियों के दौरों के बारेमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। दो एक मंत्रियों ने तो कायदे से अपना कर्तव्य किया है और जाकर पावर हाउस और खेतों की पैदावार आदि को जाकर स्वंय देखा है, वह ठीक है लेकिन उधर ऐसे भी मंत्री हैं कि जो बिना कहे सुने सप्लाई आफिस में घुस गये वह शराब पिये हुये थे अगर उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी, यहां तक कि जब यह मिनिस्टर छापा मार रहे थे तो दफ्तरके लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, चपरासी लोग मजाक उड़ा रहे थे इस तरह से हमारी निगाह नीची होती थी। यह अलीगढ़ का किस्सा है। यह असलियत है चाहे व्यक्तिगत बात क्यों न हो हम सुधार करना चाहते हैं मैं माननीय वरमेश्वर पांडेय जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी राम और सीता की दुहाई दी और बड़े आदर्श सामने रखे लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने बनारस महापालिका से ६० हजार रुपया कर्ज लेकर मकान अर्दली बाजार में बनवाया है, लोगों ने मुझ से कहा है और अखबार में भी मैंने पढ़ा है, पता नहीं कहां तक सच बात है। अब इत्तिफाक से यह महकमां ही उनके पास आ गया तो मैंने सुना है कि वह फाइल ही मिनिस्टर साहब ने गायब करा दी है क्या इसको मुख्य मंत्री जी जांच करायेंगे ? (व्यवधान)

(श्री चन्द्रदेव के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्र देव जी क्या फायदा इस तरह के व्यवहार से ।

श्री केशव देव--

मैं तो चाहता था कि सहकारिता विभाग पर कुछ अच्छे सुझाव पेश करता और मंत्री जी को कुछ रास्ता दिखा देता लेकिन सुबह से ही ऐसा रास्ता सदन में डाला गया है कि सारी बहस व्यक्तिगत रास्ते पर आ गई है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप तो रास्ते पर आ जायं ।

श्री केशव देव--

आप देखें किस तरह से मंत्री लोग अपने लोंगो को यह बड़े बड़े जुर्म से बचाते हैं ? अलीगढ़ में सीमेंट की बोरियां पकड़ी गई और मंत्री लोग जमानत कराते हैं, जिस के यहां पीला झंडा लहरा रहा था उसका मामला था, बड़ी कोशिश की गई और मेहनत की, तब ४० बोरा ब्लैक का सीमेंट बसन्त लाल एन्ड को० के यहां पकड़ा, जब उनको छोड़ा गया तो बिना हथकड़ी डाले हुये कार में बिठा कर ले जाया गया। मैं सबूत दे रहा हूं, आप देखें कि आप की यह पलटन क्या कर रही है बिना नाथ के बैल की तरह सब काम अललटप कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं समझ रहा हूं कि बाबू बदरे साहब बहुत तड़प रहे हैं।

श्री बाबू बदरे--

यह तो खुद श्रीमन्, हरियाना बैल हैं। हमको बना रहे हैं।

श्री केशव देव--

वह बड़े मुआयने करते हैं और मामलों को पकड़ते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं कि वह खाद में जो नमक मिलाया जा रहा है उसके सेम्पिल लें। मैं बड़ी शांति मुद्रा में बात कर रहा हूं, मुझे रोष नहीं है। सीड स्टोर और गोदामों में जो मिलावट हो रही है क्या उसके भी उन्होंने कोई सैम्पिल लिये हैं? एक भी नहीं लिया। ये तो बस छापेमार का काम कर रहे हैं। अभी माननीय बनारसी दास के ऊपर आरोप लगाये गये। उनको वे फ्रंट के सिपाही नजर आते हैं कि इसको मार दो और मामला साफ। माननीय बनारसी दास जी ने कहा था कि अगर सरकार को कोई संदेह है तो जांच के लिए किसी जज को मुकर्रर कर दिया जाय यदि हिम्मत हो तो किसी जज को नियुक्ति कर दिया जाय और जज उनको दोषी ठहराये तो उनको सजा दी जाय। तब हम भी थूकेंगे लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाना मुनासिब नहीं है। गौतम जी के बारे में यहां पर कहा गया लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये ही वे आदमी हैं जिन्होंने एक-एक गांव में जाकर सहकारिता के आन्दोलन को चलाया। आपने हजारों ही नहीं बल्कि लाखों अल्प समितियों का निर्माण किया।

अब मैं श्रीमन्, एक दो सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक तो यह है कि कर्जा दिया जाता है वह सुपरवाइजर के जरिये से दिया जाता है। लेकिन उसके वसूल करने की जिम्मेदारी बैंक के ऊपर होती है। तो इस तरह से वह बैंक के चेयरमैन के सिर पड़ जाता है। तो मेरा निवेदन यह कि जो इस तरह की प्रथा है उसको समाप्त किया जाय। ब्लाक में ए०डी०ओ० तो ब्लाक प्रमुख के नीचे होता है लेकिन सुपरवाइजर प्रमुख के अन्डर में नहीं होता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस ओर ध्यान दें नहीं तो सब बेकार हो जायगा। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि कम से कम शराब पीकर जाने वाले मंत्रियोंपर और महापालिका के संबंध में जो बातें मैंने कहीं हैं, उन पर जांच करवाने का कष्ट करें।

श्री राम चरन दोहरे (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मैं आज प्रातः से बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया है। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री रामचरन दोहरे सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री भुवनेशभूषण--

श्रीमन्, जबसे यह अनुदान माननीय सहकारिता मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है मैंने माननीय सदस्यों के भाषण को सुना। उधर के बैठने वालों को हमने २० साल तक खूब अच्छी तरह से देखा है और भुगता है। जिस प्रकार से किसी के कुत्ता काट लेता है और उसे पीड़ा होती है, उसी प्रकार से इनको सहकारिता मंत्री के भाषण से हो रहा है। आज जितने भी सदस्य उधर से बोले हैं उन्होंने कोई तथ्य की बात नहीं की है बल्कि तथ्य को छिपाने की कोशिश की गयी है। यह सौभाग्य की बात है कि अब वह समय आ गया है जब कांग्रेस के १-१ आदमी को जवाब देना होगा। उन्होंने जो भी करनी की है, जो भी कांग्रेस के शासन में कुकर्म किये हैं, पाप किये हैं, उनको एक-एक का जवाब देना होगा। आज उन्हें आश्चर्य बहुत सी बातों का है। कांग्रेस के एक-एक मिनिस्टर के भाषण को सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं समझता था कि वे कुछ तथ्यकी बातें रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। एक बात उन्होंने यह कही कि भ्रष्टाचार की बात कह कर सहकारिता आन्दोलन बदनाम हो जायगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। सही बात यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण]

सहकारिता आन्दोलन, अगर मैं कहूं रावण के वंशजों ने नष्ट करने का प्रयास किया है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुरानी कांग्रेस के समय की बनी हुई सहकारिता की किताब मंत्री महोदय ने पढ़ दी तो भूतपूर्व मंत्री लोग बिलबिलाने लगे। सदन का कार्य ठीक से नहीं चलने देते, क्या यही पार्लियामेन्टरी पद्धति और तरीका है जैसा कांग्रेसी सदस्य कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप के १० मिनट हैं, अतः आप बजट पर बोलें, पार्लियामेन्टरी पद्धति पर भाषण न दें।

श्री भुवनेश भूषण—

मैं कही हुई बातों का जवाब दे रहा हूं। मुझे भी एक शिकायत मंत्री जी से है। इन्हें तो बहुत सी बातों का आश्चर्य है, लेकिन मुझे भी एक बात का आश्चर्य और शिकायत भी है कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो सहकारिता ऐसी संस्था को बदनाम करते हैं आज वह बाहर घूम कैसे रहे हैं? इन का तो जेलखाने में स्थान होना चाहिये। आज जनतन्त्र की दुहाई दे कर यहां बैठे हुये हैं और अपने किये हुये पापों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

मंत्री महोदय ने थोड़े से काल में जगह जगह सहकारिता में मजे हुये भ्रष्टाचार को जो पकड़ा है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मेरा तो दावा है कि किसी भी जिले में कोई भी ऐसी सहकारी समिति नहीं होगी, जिस का अगर ठीक प्रकार से जांच की जाय तो उसमें आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी व्यक्ति न निकलें।

मैं अपने जिला इटावा की ओर ध्यान दिलना चाहता हूं। वहां की डी० सी० डी० एफ० के जो उपाध्यक्ष हैं, जो यहां सदन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं मंत्रीजी फाइल उठाकर देख लें कि रेलवे लाइन के किनारे पर ३३ हजार की जो जमीन तय हुई थी उसको न लेकर के कोल्ड स्टोरेज का जो निर्माण हुआ उसके लिये अपने रिश्तेदारों की जमीन जिस को कोई ६ हजार में भी नहीं खरीद सकता था ७५ हजार रु० में खरिदवाई। वहीं इटावा का एक दिवालिया आदमी, सरकार में जो दिवालिया घोषित है, उसे ६० रु० महीने का नौकर रखा गया और बाद में उसी को २५० रु० की नौकरी पर डी० सी० डी० एफ० में रखा गया, जिसने काफी गोलमाल किया, अपना मकान तक बनवाया लेकिन उस की जांच बन्द कर दी गयी। हमने सहकारिता मंत्री को ८ मई को लिख दिया था कि वह इसको देख लें कि कोल्ड स्टोरेज में किस प्रकार की कितनी गड़बड़ियां हैं और क्या अपेक्षायें जनता शासन से रखती है। आज तो सदन में उस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ता है जैसे एक डाक्टर पैनी छुरी लेकर किसी कठिन फोड़े का आपरेशन करने जा रहा हो और जब फोड़ा टटोला जा रहा हो तो मरीज चिल्लाने लगता है। आज फोड़ा टटोला जा रहा है। याद रखिये एक एक का आपरेशन होगा। कहा जाता है कि जनसंघ और सहकारिता का तालमेल नहीं बैठता। जनसंघ ने हमेशा सहकारिता की हिमायत की है लेकिन सहकारिता जिस ढंग से तथा जिन भ्रष्ट लोगों के द्वारा चलायी जा रही थी उसके लिये जनसंघ नेता का विरोध रहा है। वह सहकारिता को पूरा कैसे कर सकते हैं जो एक दल में रह कर एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते हैं। आप लोग सहकारिता को धरती पर कैसे उतारेंगे? सहकारिता से तो हमारी सरकार बनी है और उधर के बैठने वाले उसे देख कर परेशान हो गये हैं।

माननीय चरणसिंह तथा उनके साथ आने वाले साथियों पर कई व्यक्तियों ने नाना प्रकार के छींटें कसे। मैं जानना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने सन् ६७ में अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार किस भ्रष्ट तरीके से बनाई थी? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। वे व्यक्ति जो किसी प्रलोभनवश खरीदे गये थे, जैसा नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, आज वही ज्यादा व्याज खा रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं।

भतपूर्व सहकारिता मंत्री, गौतम जी ने एक आक्षेप लगाया और कहा कि यह सरकार किस तरहसे बनी हुई है कि लोग पदों के लालच से उधर चले गये हैं। मैं उनसे तथा उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जरा वे अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें कि उनकी सरकार कैसे इतने दिन तक बनी रही? माननीय गेंदा सिंह उधर से चुन कर आये। पी० एस० पी० से चुन कर आये और मंत्री पद के लोग में उधर चले गये। उस समय यह लोग कहां चले गये थे जो कि आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं और जिनके दामन में ३६ थेगड़ी लगी हुई हैं। उधर बैठ कर आज आपको इन सब बातों का पता चल रहा है। मैं कहता हूं कि जैसा भ्रष्टाचार सहकारिता में हुआ है कांग्रेस के शासन काल में उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा भी कभी इतिहास में हुआ है कि ५०० रुपये जमा किये गये और मुख्य मंत्री के पद पर आसीन होते ही ५०० के ११ हजार हो गये? उधर के बैठने वाले चाहे राम प्रकाश जी हों अथवा सहकारिता मंत्री, वे अवश्य इस्तीफा दे देंगे अगर यह साबित हो जाय कि मंत्री बनने के बाद उनके रिश्तेदार भाई भतीजे उनके विभागों में भर लिये गये। वे अवश्य इस्तीफा ही नहीं देंगे उनको जेल भेज दिया जायगा। लेकिन कांग्रेस के शासन काल में सहकारिता मंत्री ने जहां-जहां हाथ डाला वहां वहां गंदगी भर दी। अब समय आ गया है और जरा आप लोग देखें कि क्या होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब यह सरकार भले ही आप लोगों को क्षमा कर दे लेकिन जनता इन भ्रष्ट कर्मचारियों को क्षमा करने वाली नहीं है और आज आप कहीं भी चुनाव कराइये ये वापस आने वाले नहीं हैं मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि सहकारिता को पवित्र बनाने के लिये कड़े से कड़ा कदम उठाये। भ्रष्टाचारी को छोड़ना नहीं चाहिये, उसे जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त। माननीय राम नरेश शुक्ल।

आप ६, ७ मिनट में समाप्त कर दीजिये क्योंकि इसके पश्चात् समय नहीं है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, दो घंटे का समय इसीलिये बढ़ाया गया था कि ज्यादा माननीय सदस्य इस पर विचार रखेंगे, लेकिन आपने इतनी दरियादिली से काम लिया कि एक-एक सदस्य को आधा-आधा घंटा बुला दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी दरियादिली को क्यों रोक रहे हैं? (हंसी)

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अक्सर माननीय ऊदल से सहमत हुआ करता हूं। बहुत सी बातें हैं जिनमें मेरे उनके विचार कभी कभी मिल जाया करते थे। आज भी एक ऐसा मौका आया कि मैं उनसे सहमत हूं। जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय ऊदल और एस० एस० पी० के लोग इस बात के लिये तैयार रहें कि उनको नजदीक के खम्भे में जनसंघ के लोग जब ताकत में आवेंगे तो टांगेंगे तो उन्होंने तो यह कहा कि आप भी तैयार रहिये। तो यह बात सही है कि जितनी भी प्रगतिशील ताकतें हैं, चाहे वह माननीय ऊदल का दल हो, चाहे एस० एस० पी० का हो, चाहे कांग्रेस हो, यदि यह भूल दोहरायी गयी तो प्रदेश में वह समय आयेगा जब हम सबको मिल कर भुगतना पड़ेगा। जहां तक बीस वर्ष के शासन की बात है, उसको तो मैं माननीय विकल जी और माननीय महीलाल पर छोड़ता हूं कि वह बतायेंगे कि वह कैसा शासन था। मैं ९० दिन की बात आपसे करने के लिये खड़ा हूं। ९० दिन में जिलों के अन्दर एक एक समय में तीन तीन मंत्रिगण पहुंचे हैं। डाक बंगलों में जगह नहीं रहती थी। मैं आपको एक उदाहरण दूं जिसका मैंने प्रश्न भी किया था लेकिन संयोग से मैं उस दिन उपस्थित नहीं था—६ तारीख को।

[श्री राम नरेश शुक्ल]

एक माननीय मंत्री जी ६ अप्रैल को यहां शपथ लिये और ८ तारीख को प्रतापगढ़ पहुंचे। हुक्म यह था कि अपने भाई के घर पर रुकेंगे। वहां पर शासन के अधिकारी, एस० पी०, डिप्टी एस० पी० और मैजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। पुलिस के लोग सलामी देने के लिये भी तैयार थे। तैयारी पूर्णरूप से की गयी और उनके भाई एक एक्साइज इंसपेक्टर है। आप सोचिये अध्यक्ष महोदय, और मैं अपने मित्रों से जो उधर बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि शासन सिर झुकाये उस वक्त खड़ा था जब एक एक्साइज इन्सपेक्टर के दरवाजे पुलिस एक मिनिस्टर को सलामी दे रही थी, मैजिस्ट्रेट वहां ड्यूटी पर था, एक्साइज मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पर था और मंत्री जी केवल इसलिये गये थे कि भाभी के चरण छुये। कौन सा सरकारी काम उन्होंने किया। यह तो मंत्रियों के दौरे का हाल है। जहां, कुछ लोग गये हैं जिन्होंने काम भी किया है। उनकी सराहना जरूर की जायगी। लेकिन जो केवल भाभी का आशिर्वाद लेने के लिये गये हैं तो मैं चाहूंगा कि आज के मुख्य मंत्री जी, जो बड़े स्वच्छ प्रशासन का दावा करते हैं, जो बड़ी ईमानदारी का ढोल पीटते हैं वह अपने मंत्रियों की गतिविधियों पर जरा नजर रखें।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

मंत्री होने के बाद क्या भाभी के चरण नहीं छये जाते? (व्यवधान)

श्री राम नरेश शुक्ल—

अध्यक्ष जी, मैं शोरगुल नहीं चाहता हूं। मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूं। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने यह कहा था कि उन्होंने किसी को एक्जेम्पशन नहीं दिया जिनको ६ साल हो गये हैं। लेकिन हमारे जिले में तीन आदमियों को एक्जेम्पशन दिया गया है जिनको ८-९ साल हो गये हैं इसी सरकार की तरफ से दिया गया और कोआपरेटिव बैंक का इलेक्शन लड़ने के लिये दिया गया है। कहा जाता है कि बड़ी निष्पक्षता से काम होता है। कोआपरेटिव बैंक प्रतापगढ़ की ए० जी० एम० की मीटिंग ११ जून को रखी गई थी। देहात में जलसा कर दिया गया था ताकि सारे जिले के प्रतिनिधि वहां न पहुंच सकें। रजिस्ट्रार के यहां दरख्वास्त दी गई थी और १० तारीख को यह आदेश भेजा कि इसको मुल्तवी किया जाय और बैंक के हेड क्वार्टर पर उचित नोटिस देकर जलसा किया जाय। लेकिन ११ तारीख को ७ बजे फिर दूसरा हुक्म पहुंचा कि ए० जी० एम० जरूर होगा। टेलीफोन से यह हुक्म दिया था। क्या यह सही है कि १० तारीख को एक हुक्म भेजा जाये और जिसकी सबको सूचना दे दी गई और फिर ११ तारीख को दूसरा हुक्म भेज दिया जाय। फिर यह कौन स्वच्छ और शुद्ध प्रशासन है? ऐसे उदाहरण और भी हैं और मैं चाहता हूं कि जरा इनकी जांच की जाय। क्या इसमें पार्टीबाजी की गन्ध नहीं आती है? क्या इसलिये यह नहीं किया गया है कि बैंक ऐसे लोगों के हाथ में है, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं? क्या उनकी मदद करने के लिये यह नहीं किया गया? जो कल तक कांग्रेस में थे वे आज जन कांग्रेस में पहुंच गये हैं। जब इस तरह से पक्षपात किया जायेगा। जब जिलों में इस तरह से आतंक फैलाया जायेगा तो इसको शुद्ध शासन नहीं कहा जा सकता है और चाहे जो कहा जाय। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी देखें कि १० तारीख को किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रार न तार दिया था और फिर ११ तारीख को जिन परिस्थितियां में दूसरा तार दिया था? इन दोनों की जांच करके उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता था। लेकिन समय कम है। सुपरवाइजरों के लिये कहा जा रहा है कि इनको बैंक के अधीन कर दिया जाय। मेरा सहकारिता के क्षेत्र में बहुत पुराना अनुभव है। कांग्रेस के समय में भी यह प्रश्न उठा था तो मैंने कहा था कि इसका प्रान्तीयकरण न होना चाहिये क्योंकि यदि आपने सुपरवाइजरों को जिले की यूनिट के मातहत कर दिया तो फिर इनका पार्टीबाजी में प्रयोग किया जायेगा। इस से प्रदेश का नुकसान होगा और पार्टीबाजी भी बढ़ेगी। इस विभाग के मंत्री बहुत जोरदार हैं। वे काम में सख्त हैं तो अपने कर्मचारियों को क्यों कम तनख्वाह दे रहे हैं। सख्ती कर रहे हैं तो तनख्वाह में नर्मी

क्यों की जा रही है ? माननीय भुवनेश जी ने कहा था कि एक दिन वह आयेगा जब वे मुकदमें चलाकर हमको जेल भेज देंगे। ये धमकियां हमने बहुत देखीं। अंग्रेजों की देखी है आपकी धमकी में क्या दम है ? यदि जनतंत्र में यह परम्परा होगी तो फिर आपकी सरकार भी महीने भर में जाने वाली है आप अपने लिये भी तैयार हों कि हम भी कटघड़े में खड़े होंगे। आप में ताकत क्या है ? अगर हमारे बीस पचीस आदमी न गये होते तो आज आप सरकार में बैठे हुए न दिखायी देते। मैं समझता हूं कि जो बीस पचीस आदमी गये हैं उनके दिलों पर चोट लगती होगी जब यह कहा जाता होगा कि आज से १५-२० वर्ष पहले यह गड़बड़ थी वह गड़बड़ थी। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि विरोध पक्ष को सताने की यह परिपाटी न चलायें।

श्री शिवमंगल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इस सहकारिता के अनुदान के अवसर पर कुछ रामायण और महाभारत की बातें सुनने को मिलीं। कुछ शेअर शायरी सुनने को मिली। कुछ जनसंघ का प्रचार भाषण सुनने को मिला, लेकिन दुख की बात है क्यों कि हमें ऐसी आशा थी कि सहकारिता अनुदान के अवसर पर हमारे सहकारिता मंत्री द्वारा नवीन नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जायगा जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों को सहकारिता के नये कार्यक्रमों की कुछ रुपरेखा मिल सकेगी। यदि आप सहकारिता मंत्री के भाषण पर गौर करें तो उनके भाषण को आसानी से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग इस प्रकार का है जैसे कोई पुलिस इन्सपेक्टर जब अपने किसी उच्चाधिकारी के पास प्रोमोशन के इंटरव्यू के समय जाता है तो एक लम्बी लिस्ट उस अधिकारी के सामने पेश करता है कि हुजूर हमने इतनी डकैतियां पकड़ी, इतनी चोरियां पकड़ी, इतनों को हवालात में रखा और इतने लोगों को पीटा और मारा। दूसरा हिस्सा उससे सम्बन्ध रखता है जिसको आसानी से हम कह सकते हैं पोलिटिकल स्पीच। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्रियों ने क्या किया। मैं समझता हूं कि आपने बड़ा अन्याय किया इस सदन के साथ। आज आप को अपनी नयी नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना चाहिये था जिसके द्वारा आप सहकारिता को चलाना चाहते हैं। मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्यों ने अनेकों अवसर पर इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि यदि सहकारिता को आगे बढ़ाना है तो सहकारिता आन्दोलन को दल बन्दी से मुक्त करना है। इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। आज नामिनेशन की जो चर्चा की गयी क्या हमारे माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जिस तरीके से, जिस समय पर नये नामिनेशन किये हैं और जिस प्रकार के लोगों को आपने रखा है क्या इससे दलबन्दी की बू नहीं आती ? यदि दलबन्दी की बू आती है जिसको आपने स्वीकार किया है, दल विशेष के लोगों को इसमें नामांकन किया गया है तो फिर हमारा और आपका वह संकल्प जिससे हम और आप भी सहमत हैं कि सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये उसको दलबन्दी से मुक्त करना है, कहां रहता है ? मैं आपसे नर्मतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप अपना दृष्टिकोण बदलें। हमें आशंका थी उसको मैंने आपके सम्मुख व्यक्त भी कर दिया, मैं सोचता था कि मंत्री जब विभाग को संभालता है तो उसका प्रथम कर्त्तव्य होता है कि किस प्रकार से उस विभाग में उन्नति हो, इस पर वह दृष्टिपात करता है।

दूसरी बात मैं मान्यवर, आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि संचालकों को जो परमीशन्स मिली थी और उसको मंत्री जी ने वापस ले लिया था, इस सम्बन्ध में मैंने कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने, महीलाल जी का भी भाषण सुना, उन्होंने एक नया तर्क हमारे सामने दिया। सारी परमीशन्स और इजाजत वापस लेने का तर्क उन्होंने यह बताया कि इसमें नये खून का प्रवेश हो सकता है। मैं इस तर्क को समझ नहीं पाया। सहकारी संस्थाओं में चुनाव होता है और प्रत्येक सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में १२ सदस्य चुने जाते हैं, उस चुनाव के मौके पर कौन किस नये खून को खड़े होने से और चुने जाने से रोकता है जो इस तरह से उनके प्रवेश कराने का मंत्री ने प्रयास किया। उनको कौन रोकता है कि यह खड़े न हों, चुनाव न लड़ें

[श्री शिवमंगल सिंह]

अपनी कनवेंसिंग न करें। इसी पर मैंने कहा था कि मुझे पता है कि वर्तमान सरकार को लोकतंत्र की मर्यादाओं में विश्वास नहीं है। जिन व्यक्तियों को आम जनता का विश्वास प्राप्त है और सहकारी साथियों का सहयोग प्राप्त है तथा काफी अनुभव आन्दोलन का प्राप्त है, आप उन पर प्रतिबन्ध लगा दें कि हम आपको मुनासिब नहीं समझते—ऐसा किसी भी देश के सहकारी आन्दोलन में और किसी भी इतिहास में इसकी मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपसे चाहूंगा कि सहकारी संस्थाओं का सहकारी आन्दोलन कोई ऐसा आन्दोलन नहीं है जिसके ऊपर आप यह निर्णय दें दे कि इसमें अनुभवी आदमियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर इसमें सार्वजनिक कार्यकर्त्ता काम करते हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा था उन कार्यकर्त्ताओं को कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है और वर्षों काम करते-करते जिन्होंने अनुभव और जानकारी प्राप्त की है उनको हराना आपके लिये लाभदायक नहीं होगा बल्कि इससे आपकी और आन्दोलन की हानि ही होगी। नये खून का नामिनेशन करने का आपको अधिकार है, लेकिन मैं यह तर्क समझ नहीं पाया कि आज यह नये लोग जो कभी सहकारी आन्दोलन में भाग नहीं लिये, जो केवल एक राजनैतिक दल में काम करते रहे हों, आज उनको इस आन्दोलन में प्रवेश कराने से सहकारी आन्दोलन को क्या बल मिलने वाला है और आपको क्या लाभ होने वाला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस जनतंत्र के अन्दर जो मौलिक अधिकार जनता को संविधान में मिले है, कृपा करके आप उन पर प्रहार करने की चेष्टा न करें। यह बात आसानी से समझी नहीं जा सकती है कि जहां आज हजारों सहकारी संस्थाओं का जिस व्यक्ति पर विश्वास है, उस पर आप प्रतिबन्ध लगा दें कि वह संचालक मंडल में न रहे, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं आशा करता हूं सहकारिता मंत्री जी इस पर ठंडे दिल से विचार करेंगे। आपके इस अभियान से ऐसा नहीं होने वाला है कि सारे कांग्रेस के आदमी आन्दोलन से बाहर निकल जायं और सारे आदमी जनसंघ के आ जायें। आपको ऐसी कल्पना करना बेकार है।

श्री अध्यक्ष—

अब समय ७ बजे का बिलकुल निकट है, अभी मंत्री जी भी बोलेंगे, श्री शिव मंगल सिंह जी आप २ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री शिवमंगल सिंह—

श्रीमन्, मैं आशा करता था सहकारिता मंत्री जी से कि सहकारिता में जो कमियां हैं उस पर वे जरा सख्ती से काम लेकर ठीक करेंगे लेकिन यह अपील अब उनसे जरूर करूंगा कि कृपा करके इस तरह के षड्यंत्रों की रचने की चेष्टा न करें कि जितनी सहकारी संस्थायें हैं उनको एक दल विशेष के आधिपत्य में ले जाकर रख दें, उससे हम लोगों को बहुत दुख होगा। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत कहा गया है लेकिन मैं आपसे यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेसवालों ने सहकारिता के लिये बहुत अधिक काम किया है जो किसी भी दल ने नहीं किया। थोड़ा सा हम कांग्रेस जनों की कमी है कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं और इसलिये अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं किया करते। आप कहते हैं कि हमने बहुत भ्रष्टाचार किया है तो उस पर जांच बैठाइये, बहुत अच्छी बात है लेकिन इस तरह से जैसे कि यहां सीतापुर के बिसवां के एक सदस्य महोदय हैं जनसंघ के हैं—उन पर मंत्री जी कृपा करते हैं और उन्होंने वहां गड़बड़ी बैंक के काम में की लेकिन उनको वहां बनाकर रखा गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के नाम लेकर इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। यह लोकतंत्र की मान्यताओं के विरुद्ध है। इससे आम जनता का विश्वास उठ जाता है और अगर यह हट जाता है तो फिर जनतंत्र सफल नहीं हो सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये जो आज की स्थिति है उसको देखते हुये सहकारी बैंकों को पूरी तौर से रिजर्व बैंक के हवाले कर देंगे और सरकार के हस्तक्षेप से उस तरह से छुट्टी देंगे। जससे कार्य अच्छी तरह से चल सकें।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम प्रसाद नौटियाल के बार-बार खड़े होने पर) माननीय नौटियाल जी आप किस लिये बार-बार इस तरह से खड़े हो रहे हैं, अब समय नहीं है बैठ जाइये ।

श्री राम प्रसाद (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं । मैं बहुत पुराना कोआपरेटर हूं और इसके सम्बन्ध में मेरा बहुत पुराना अनुभव है लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बोलने के लिये समय ही नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री नौटियाल, आप पुराने कोआपरेटर हैं, पुराने सदस्य इस विधान सभा के हैं लेकिन उसका नमूना आपने अभी जब गये थे तब नहीं दिया और अब बार-बार खड़े होकर आप उसका अच्छा नमूना नहीं पेश कर रहे हैं ।

श्री राम प्रसाद—

मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप निरन्तर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । अभी जाते समय आपने नियमों का परिचय नहीं दिखाया और अब बोलते समय भी नहीं दिखा रहे हैं । आपको मालूम है कि ७ बजे इस अनुदान को समाप्ति हो जाना है ।

श्री रामप्रसाद—

मैं फील्ड वर्कर हूं और आज जो हालत है....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राम प्रसाद—

तो मैं इसके विरोध में सदन से चला जाता हूं ।

(श्री राम प्रसाद ने सदन का त्याग कर दिया ।)

*श्री गंगाभक्त सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि मेरा कार्य बहुत सरल हो गया है । मुझे यह कल्पना थी कि शायद उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य २० वर्ष में जिस प्रकार उनको अनुभव हुए हैं उसके संबंध में मुझे यहां पर जानकारी देने की कृपा करेंगे । मुझे यह आशा थी कि भूतपूर्व २, ३ माननीय मंत्री जो इस विभाग में रह चुके हैं उनसे मुझे कुछ सुझाव मिलेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसी एक महानुभाव ने भी सहकारिता के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे मुझे कुछ रोशनी मिलती । जो एक बाजा ८ दिन से बजाया जा रहा है, केवल वही जनसंघ के प्रति अपना रोष और अपना उपदेश देने का प्रयत्न किया जा रहा है । पता नहीं किस प्रकार उनको अधिकार हो गया है जनसंघ के प्रति अपनी बात कहने का जिसका चर्चा वह करते रहते हैं । मैं यह समझता हूं कि इधर से बहुत सी बातों का उनको उत्तर मिल गया है । जो बात इधर से जिम्मेदारी के साथ कही गई थी उनका कोई उनके पास जवाब नहीं है । फिर वही बात लौट-लौट कर कही जाती है । इसलिए मैं यह समझता हूं कि उस संबंध में कुछ न कहा जाय तो अच्छा होगा और सदन का समय बचेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गंगा भक्त सिंह]

नामिनेशन की बात कही गई। जो मेरी धारणा है और जो मैंने अपना अनुभव करते हुए बतलाई थी उन बातों का ही मैंने जिक्र किया। उसके संबंध में नामिनेशन को वापस लेने की बात बराबर कही जा रही है। इस संबंध में हमारी नीति भी वही है जो उन्होंने कहा है। मैंने उनके भाषण को बहुत गौर से सुना था और उनके उदाहरण को अपने सामने रखकर चलना चाहता हूं। मेरा मत भी वही था जो उनका था। मैं उस विस्तार में जाना उचित नहीं समझता हूं। हम भी इसको विशुद्ध और प्रगतिशील विभाग देखना चाहते हैं। जो सुझाव इस संबंध में हमारे मित्र वीरेन्द्र वर्मा जी ने दिए हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिन बातों की ओर उनका संकेत आया है उस संबंध में मैंने अपने भाषण में पहले ही कह दिया था। उस संबंध में उधर के लोगों की ढील रही। नये कानून को शीघ्र लागू करने की बात की बात कही गई। उस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि उस कानून के लागू होने में जो देर हुई है वह उसी शासन के द्वारा हुई है। वह एक साल पहले पास हुआ था। उसके नियम अभी नहीं बने हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि नियम जल्द बन जायं। जैसे ही नियम बन जायेंगे उनको लागू कर दिया जायगा।

सुपरवाइजर के बारे में सब लोगों ने कहा था। उस संबंध में मैंने बतला दिया कि सुपरवाइजर की कार्य-प्रणाली के बारे में विचार किया गया है। जो संस्था या बैंक उनको नियुक्त करता है यह सुपरवाइजर उनके अधिकार में होने चाहिए। यही निर्णय किया गया है। हम इसको दो फेज में करने की सोच रहे हैं। पी० सी० यू० उनकी संस्था है। उनकी सर्विस को टरमिनेट करना या सजा देना वगैरा जो कठिनाइयां हैं वह सभी सामने आती हैं तो कुछ कठिनाई होती है। इसलिए यह संपूर्ण अधिकार उन संस्थाओं को नियुक्त करने का और डिसमिस करने का रहेगा। बाकी जहां जिस संस्था में यह सुपरवाइजर काम करेगा। और जहां पर पदोन्नति होगी वही बैंक और वही संस्था देखरेख करेगी। केवल जब कभी ऐसा मौका आयेगा कि सुपरवाइजर के विषय में कोई राय दूसरी हो तो यह पी० सी० यू० बाडी और बैंक संचालक मण्डल मिलकर तय करेगा। अगर उसका कार्य ठीक नहीं है तो हटाया जायगा। अगर मतभेद होगा तो उसमें वह ऊपर का अधिकारी निर्णय करेगा। मैं यह समझता हूं कि जो कठिनाइयां सभी को अनुभव हो रही हैं वह दूर हो जायेंगी।

भूमि विकास बैंक के संबंध में बात कही गयी कि उसमें ज्यादा समय लग जाता है। उस दृष्टि से मैंने विचार किया था। उसमें कुछ थोड़ी सी पद्धति में सुधार किया गया। आशा की जाती है कि महीना डेढ़ महीना के अन्दर लोन मिल जाया करेगा ऐसी हम सुविधा कर रहे हैं और भी उसमें जो सुधार करने हैं, जो आवश्यक होंगे वह हम करेंगे। मैं तो माननीय सदस्यों से आज का विवाद समाप्त होने के बाद भी आशा करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि उस संबंध में अगर कोई सुझाव हों तो वे अवश्य दें और उन पर हम विचार करेंगे। इसके बाद ऋण के बारे में, अल्पकालीन ऋण के बारे में जो किसानों को दिया जाता है, कहा गया कि उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से विचार हुआ है कि उसे हम आगे क्राप लोन के सिस्टम पर, उस आधार पर देने की व्यवस्था करें और उसकी वसूली के लिए भी नियंत्रित प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी क्रय विक्रय समितियों के द्वारा इस प्रकार की बात हम सोच रहे हैं। दूसरी बात मध्य कालीन और दीर्घ कालीन ऋणों को प्रोत्साहन देने के संबंध में है। इनको प्रोत्साहन देकर अल्पकालीन ऋणों को हम प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। साथ ही साथ खाद और बीज के रूप में भी ऋण ज्यादा दिया जायगा, इस प्रकार की व्यवस्था करने को हम सोच रहे हैं। आर्बिट्रेशन के बारे में कहा गया कि उसमें बहुत देर हुई। मैं समझता हूं कि सारे मसलों को सुलझाने के लिए कम से कम देर उनमें लगे, वे शीघ्रातिशीघ्र निबटें इसके लिए हमने आवश्यक निर्णय लिए हैं और उसके लिए हम प्रयत्न भी कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करूंगा कि सहकारिता जैसे जनहितकारी आन्दोलन के लिए जितना सहयोग माननीय सदस्य हमको दे सकें दें और वे इस अनुदान को स्वीकार कर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें। इस बात के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अपने निहित अधिकार के अन्दर मैं यह घोषणा करता हूं कि जब तक मतदान की प्रक्रिया इस अनुदान पर चलेगी उस समय तक सदन का समय बढ़ा हुआ माना जायगा ।

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २४-सहकारिता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाय ।

कमी का उद्देश्य (१) सहकारिता की नीति में आमूल परिवर्तन कर अफसरशाही के बन्धन से इस आन्दोलन को हर क्षेत्रों से समाप्त कर सहकारिता के माध्यम से समाजवादी समाज की रचना की ओर अग्रसर होना तथा यदि आवश्यकता हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस संबंध में नियमों का संशोधन करना ।

(२) सहकारी संस्थाओं से राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने हेतु सरकारी दखलन्दाजी और नामिनेशन की प्रथा का अन्त करना ।

(३) सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के माध्यम से ही नियंत्रित रहने देना और इसके लिए कानून में यथा-आवश्यक परिवर्तन करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४—सहारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०५,००,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५५ मिनट पर सोमवार, १० जुलाई, १९६७ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ।
८ जुलाई, १९६७ ।

## नत्थी "क"

(देखिए पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

### अनुदान संख्या २४—सहकारिता

(लेखा शीर्षक ३४—सहकारिता)

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| १ | श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री रामनरेश शुक्ल | संपूर्ण मद के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—शासकीय हस्तक्षेप तथा पार्टीबाजी के द्वारा सहकारी आन्दोलनों को समाप्त करने की कोशिश की आलोचना । |
| २ | श्री गोविन्द सहाय .. | संपूर्ण मद के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—सहकारी आन्दोलन को सरकार द्वारा बर्बाद करने की कोशिश एवं सहकारी आन्दोलन में दलबन्दी को बढ़ाने की नीति की निन्दा करना । |
| ३ | श्री कालीचरण अग्रवाल .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—जिला सहकारिता बैंकों एवं क्षेत्रीय समितियों में अनियमितता पर चर्चा करना तथा ठोस सुझाव देना । |
| ४ | श्री राजनाथ सिंह .. | संपूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—सहकारिता के वर्तमान कार्य-शैली की आलोचना, व्याप्त भ्रष्टाचार का चर्चा और निराकरण हेतु सुझाव । |
| ५ | श्री मोहन लाल गौतम .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—सरकार की मौजूदा सहकारिता संबंधी दोषपूर्ण नीति की आलोचना । |
| ६ | श्री रामबली मिश्र .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—विशेष सुझाव देना । |
| ७ | श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । |

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| | | कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| ८ | श्री प्रेमदत्त .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य--सरकार की दलबन्दी नीति से सहकारिता आन्दोलन में जनता का विश्वास उठने के संबंध में आलोचना एवं दोषपूर्ण प्रणाली के सुधार के सुझाव। |
| ९ | श्री वीर बहादुर .. | सहकारिता के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| १० | श्री मुक्तिनाथ राय .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य-- समस्त प्रदेश में सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध सरकारी हस्तक्षेप द्वारा दल विशेष को सुदृढ़ करने की व्यापक योजना की ओर ध्यान दिलाना। |
| ११ | श्री मंगल प्रसाद तिवारी .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना एवं सुझाव देना। |
| १२ | श्री प्रभुदयाल .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य--देवरा बाजार में लार्ज सोसाइटी की धांधली तथा बस्ती जिले के सहकारी अधिकारियों के धांधली के बढ़ते हुए कामों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना। |
| १३ | श्री राम नरेश शुक्ल .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य--सैद्धांतिक दृष्टि से सहकारिता में सरकार का विश्वास न होने से उत्पन्न स्थिति की आलोचना। |
| १४ | श्री मुक्तिनाथ राय | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। |

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| | | कमी करने का उद्देश्य—आजमगढ़ जिले में जिला सहकारी बैंक में बिना सालाना जलसा के हुए दो मनोनीत सदस्यों की सदस्यता समाप्त करके दो नये सदस्यों को मनोनीत करने और डी० सी० डी० एफ० आजमगढ़ में वर्तमान आनरेरी सेक्रेटरी को हटा कर पुनः नये आनरेरी सेक्रेटरी को, जो दल विशेष के हैं, नियुक्त करने की ओर ध्यान दिलाना। |
| १५ | श्री दल बहादुर सिंह .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। |
| | | कमी करने का उद्देश्य—आलोचना करना और सुझाव देना। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा